त्रयोदश माला, खंड 18, अंक 16

सोमवार, 13 अगस्त, 2001
22 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERNCE ONLY

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 6.2.2002

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 16, सोमवार, 13 अगस्त, 2001/22 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320. . .	3-26
अतारांकित प्रश्न संख्या 3165 से 3394 . . .	26-254
सभा पटल पर रखे गए पत्र	255-261
विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां - एक समीक्षा. . .	261
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन .	262
कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	262
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) नासिक तथा अंकलेश्वर में कुंभ मेले के सुचारू संचालन के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामन वनगा .	263
(दो) महाराष्ट्र के जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री दानवे रावसाहेब पाटील.	263
(तीन) झारखंड राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में कोयले के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय .	263
(चार) उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जाफरा-जंघई रेल लाइन का सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्मयानन्द स्वामी .	264
(पांच) राजस्थान के अजमेर जिले में ब्यावर तथा विजयनगर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन आने वाली सूती कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता	
प्रो० रासा सिंह रावत . .	264
(छह) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों को वर्ष 1997-98 के लिए बोनस के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल.	265

विषय		कॉलम
(सात)	कर्नाटक में मंगलौर स्थित कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कुमार सोराके . .	265
(आठ)	बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह . .	266
(नौ)	पूर्व रेल के फरक्का-अजीमगंज सेक्शन का सुदृढ़ीकरण किए जाने तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में धुलियान निमितिता और जंगीपुर स्टेशनों पर मेल रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अबुल हसनत खां . . .	266
(दस)	सरकारी उद्यमों, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश, में ऐसे उद्यमों की परिसम्पत्तियों के निपटान से होने वाली पूंजी अभिलाभ के समायोजन की अनुमति देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के० येरननायडू	266
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पृथ्वीगंज हवाई अड्डे का भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम के रूप में उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रनाथ सिंह	267
(बारह)	मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश रामराव जाधव	267
(तेरह)	उड़ीसा के कान्धामल और बौड़ जिलों को के.बी.के. जिला सुधार योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पद्मनाव बेहरा	268
(चौदह)	शहरी सहकारी बैंकों, विशेष रूप से महाराष्ट्र, में इन बैंकों द्वारा सांविधिक नकद अनुपात धारिता के अनुपात में वृद्धि करने पर रोक लगाने वाले आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक . . .	268
(पन्द्रह)	तमिलनाडु के वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले चेन्नई-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर उपरिपुलों का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन०टी० षणमुगम	269-270

लोक सभा

सोमवार, 13 अगस्त, 2001/22 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

(इस समय श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उसे अभी नहीं प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं। अब, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। प्रश्न-काल के दौरान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टी०वी० कैमरा बन्द किए जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो 'शून्य-काल' के दौरान उठा सकते हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। मैं आपको अवसर दूंगा, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय, डा० वी० सरोजा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह अच्छी बात नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। बहुत हो चुका।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह नियम के विरुद्ध है। सभा में इसकी अनुमति नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह नियमों के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों के विरुद्ध है। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। आप इस मुद्दे को अभी नहीं 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेत्रिसेलवन, कृपया अपनी कमीज पहन लीजिये। बहुत हो चुका। यह नियमों के विरुद्ध है। कृपया अपनी कमीज पहन लीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वास्तव में सभा में यह मामला उठाना चाहते हैं या सिर्फ सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहते हैं ? कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। मैं आपको इसे अभी नहीं 'शून्य काल' के दौरान उठाने की अनुमति दे सकता हूं। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। यह प्रश्न काल है। यदि आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो आप उसे अब नहीं 'शून्य-काल' के दौरान उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, यह राज्य का विषय है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। कृपया समझने की कोशिश कीजिए, यह प्रश्न काल है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रदूषणकारी उद्योगों का अन्यत्र स्थापित किया जाना

*301. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राजधानी में प्रदूषणकारी उद्योगों को प्रतिबंधित करने संबंधी अपने आदेश के क्रियान्वयन के बारे में दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रदूषणकारी उद्योगों को अन्यत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार की सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि राजधानी से प्रदूषणकारी उद्योगों को अन्यत्र स्थानांतरित करते समय प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योगों को कोई नुकसान न पहुंचे ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की निगरानी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने अभिनिर्धारित उद्योगों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार तथा पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ भी बातचीत की है। इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने उद्योग/इकाई के वर्गीकरण के संबंध में प्राप्त किसी आवेदन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

ग्रामीण खेल कार्यक्रम हेतु योजना

*302. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 में खेलों का आधार व्यापक बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए "ग्रामीण खेल कार्यक्रम" योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस योजना का किस सीमा तक कार्यान्वयन हुआ है;

(ग) इस संबंध में राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह योजना कितनी सफल रही है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हां।

(ख) 1970-71 से आज की तारीख तक, ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर लड़कों और लड़कियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताएं राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आयोजित की जाती हैं। वित्तीय सहायता के वर्तमान पैटर्न के अनुसार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण मेजबान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में सहभागियों की संख्या 1970-71 में 239 थी जो अब काफी बढ़कर 2015 तक पहुंच गई है।

उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्यथा उपेक्षित क्षेत्रों में खेल-कूद को व्यापक आधार प्रदान करने तथा वहां पर काफी मात्रा में, छिपी हुई प्रतिभा का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने 1986-87 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए खेल महोत्सव की योजना को अनुमोदित किया तथा इसे ग्रामीण खेल कार्यक्रम का एक घटक बनाया।

(ग) राज्य स्तरीय खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए 10 खेल विधाओं के आयोजन हेतु राज्य सरकारों को 30,000/- रु० प्रति खेल विधा की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। संघ शासित क्षेत्रों के

संबंध में, यह सहायता 15,000/- रु० प्रति खेल विधा की दर से दी जाती है।

राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, जो बारी-बारी से विभिन्न राज्यों में टूर्नामेंटों का आयोजन करता है, को प्रति खेल-विधा 2.00 लाख रु० की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस योजना के आरंभ से ही राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंटों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। राज्य और संघ शासित क्षेत्र भी छोटे स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों तथा लड़कियों को खेलों के प्रति जागरूक बनाने में सहायता की है तथा प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरों पर उन्हें भाग लेने का अवसर प्रदान किया है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन

*303. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के अधीन पात्रता सीमा और अधिकतम सीमा की गणना को हटाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पात्रता सीमा और गणना की अधिकतम सीमा में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस कार्य से संबंधित विविध प्रक्रिया/कार्रवाइयों एवं संबद्ध वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यह निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है कि अधिनियम का संशोधन किए जाने में कितना समय लगेगा।

टेलीफोन कनेक्शन

*304. **डा० वी० सरोजा :**
डा० एस० वेणुगोपाल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार इन राज्यों के प्रत्येक जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में, अलग-अलग, कितने व्यक्ति दर्ज है; और

(ग) सरकार ने इन राज्यों में प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर, केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की प्रतीक्षा सूची तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि इन राज्यों में कार्यरत कुल कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का अनुपात देश की लगभग 25% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है। 31.7.2001 की स्थिति के अनुसार, इन राज्यों में टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं;

1. नए एक्सचेंजों को संस्थापित करके स्विचिंग क्षमता में वृद्धि तथा मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करना।
2. मौजूदा नेटवर्क के विस्तार के लिए नए भूमिगत केबल बिछाना।
3. दूर-दराज के स्थानों में दूरसंचार को सुगम बनाने के लिए डब्ल्यू०एल०एल० तथा सेल्यूलर टेलीफोनों की व्यवस्था करना।

विवरण

31.7.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के जिलेवार ब्यौरे

जम्मू एवं कश्मीर सर्किल			केरल सर्किल			पश्चिम बंगाल सर्किल		
क्र० सं०	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की सं०	क्र० सं०	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की सं०	क्र० सं०	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जम्मू	7954	1.	कासरागोद	42372	1.	बर्दवान	34267
2.	उधमपुर	1055	2.	कन्नानोर	78841	2.	मुर्शिदाबाद	16558

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	कथुवा	915	3.	कालीकट	25557	3.	बंकुरा	9437
4.	डोडा	931	4.	बायनाड	84735	4.	हावड़ा	15128
5.	राजौरी	964	5.	मालाप्पुरम	111653	5.	हुगली	16002
6.	पुंछ	260	6.	पालघाट	51465	6.	24 परगना (उ०)	14304
7.	लेह	1562	7.	त्रिचूर	72193	7.	24 परगना (द०)	16042
8.	कारगिल	627	8.	एर्नाकुलम्	59367	8.	कूचविहार	4223
9.	श्रीनगर	16793	9.	इदुक्की	32369	9.	जलपाइगुड़ी	4859
10.	बारामूला	5206	10.	कोट्टायम	48657	10.	मिदनापुर	24382
11.	कुपवाड़ा	911	11.	अल्लेप्पी	72294	11.	नाडिया	24252
12.	अनन्तनाग	4025	12.	पथानम्थीट्टा	23615	12.	माल्दा	6225
13.	पुलवामा	2516	13.	क्विलोन	87336	3.	पुरूलिया	2703
14.	बडगाम	2568	14.	त्रिवेन्द्रम	55020	14.	दिनाजपुर (उ०)	4200
			15.	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	155	15.	दिनाजपुर (द०)	2007
			16.	माहे (संघ शासित क्षेत्र)	2193	16.	दार्जिलिंग	11808
						17.	बीरभूम	12052
						18.	सिक्किम (पू०)	50
						19.	सिक्किम (प०)	37
						20.	सिक्किम (उ०)	47
						21.	सिक्किम (द०)	43
	जोड़	46287		जोड़	847822		जोड़	218626

पर्यावरण संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन

*305. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री मानसिंह पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानूनों को उपयुक्त रूप से कार्यान्वित न किए जाने पर चिन्ता जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु कोई रणनीति तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) संघ सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। पिछली समीक्षा 29-30 जनवरी, 2001 को कोयम्बटूर में आयोजित की गई। सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में की गई थी।

(ग) और (घ) अपनाई जा रही नीति का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परामर्श से राष्ट्रव्यापी प्रदूषण नियत्रण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

(ii) जल अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(iii) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किसी भी राज्य में स्थित उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उसे बन्द करने के निर्देश जारी करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

(iv) केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ये शक्तियां भी प्रत्यायोजित की गई हैं कि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों को सीधे बन्द करा सकें।

(v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सुदृढ़ करने के लिए उपकर राशि का 80 प्रतिशत भाग सीधे ही राज्यों/ केन्द्रशासित क्षेत्रों को दे दिया जाता है।

(vi) अनेक द्विपक्षीय कार्यक्रमों के अंतर्गत मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को शामिल करके केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में कार्यरत वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों को देश में तथा विदेश में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

संचार सुविधाएं

*306. **श्री मंजय लाल :**
श्री अरूण कुमार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए लक्षित वृद्धि दर कितनी है;

(ख) आज की तारीख तक उक्त लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस कमी को पूरा करने और लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) संचार सुविधा प्रदान करने संबंधी वृद्धि दर को सामान्यत: सीधी एक्सचेंज लाइनों की वृद्धि से मापा जाता है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के लिए वास्तविक वृद्धि दर लक्षित दर से अधिक है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	लक्षित वृद्धि दर (%)	वास्तविक वृद्धि दर (%)
1997-98	19.94	22.4
1998-99	20.22	21.3
1999-2000	21.07	22.77
2000-2001	21.84	22.35

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वृक्षारोपण योजना

*307. **डा० अशोक पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का विचार वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) बढ़ती हुई जनसंख्या औद्योगीकरण, शहरीकरण एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण देश के कुछ भागों में प्रदूषण बढ़ रहा है। तथापि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप कुछ बड़े शहरों के प्रदूषण में कमी आई है। शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने शहरी हरित पट्टी योजना बनाई है। प्रदूषण उपशमन एवं पर्यावरण सुधार के लिए एक प्रायोगिक हरित पट्टी योजना शुरू की गई है। इस स्कीम का विभिन्न राज्यों के अनेक शहरों में विस्तार करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के प्रबंधन में परिवर्तन

*308. **श्री मोहन रावले** : क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया के घाटे में चलने वाली एअरलाइन बनने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) नए विमान खरीदे जाने संबंधी निर्णय पर रोक लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) एअर इंडिया के प्रबंधन में परिवर्तन करने से एअरलाइन्स को कितनी सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) एअर इंडिया इक्विटी के लिए टाटा/सिंगापुर एयरलाइन्स द्वारा कितनी राशि का भुगतान किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एअर इंडिया को 1995-96 से घाटा हो रहा है जबकि इससे पूर्व एअर इंडिया मुनाफा कमाने वाला संगठन था तत्संबंधी विवरण निम्नानुसार थे :–

1992-93	330.00 करोड़ रुपए का लाभ
1993-94	201.90 करोड़ रुपए का लाभ
1994-95	40.80 करोड़ रुपए का लाभ
1995-96	271.84 करोड़ रुपए का घाटा

वर्ष 1993-94 से एअर इंडिया के लाभ में वर्ष, 1992-93 की स्थिति को देखते हुए, लाभ में कमी आनी शुरू हो गई थी। इंडियन एयरलाइन्स के एअर इंडिया की हकदारिता से बड़ी संख्या में लाभकारी भारत खाड़ी मार्ग दिए गए थे जिससे कि इंडियन एयरलाइन्स भारी घाटे से उबर पाए चूंकि उसे यह घाटा वर्ष 1990 में उसके विमान बेड़े में से 31 विमान ए-320 के जमीन पर खड़े हो जाने की वजह से हुआ था। वर्ष 1994-95 में, एअर इंडिया बिना विचारे वेट लीज पर विमान प्रचालित करने संबंधी व्यापार निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप भी लाभ में कमी आई। मुख्यत: इन दोनों के कारणों से एअर इंडिया के लाभ में वर्षानुसार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता चला गया, और इतना ही नहीं एअर इंडिया को वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 में क्रमश: 217.84 करोड़ रुपए तथा 296.94 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। निस्संदेह, इसके और भी अन्य कारण थे जैसे (I) भारी घाटे के कारण प्रबंधन के विश्वास को धक्का लगने की वजह से विमान बेड़े में अतिरिक्त विमान शामिल न करना, (II) ईंधन मूल्य में भारी वृद्धि होना, (III) पुराने विमान बेड़े की वजह से अधिक ईंधन खपत और सामग्री खपत होना, (IV) विमान-बेड़े की पुन:स्थापना और संवर्धन के साथ-साथ अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत गिरने की वजह से मूल्यह्रास और वित्तीय लागतों में अधिक दबाव का होना, (V) प्रमुख दुर्लभ मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए का कमजोर होने के परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि होना, (VI) अर्थ व्यवस्था को सृजित करने वाली प्रमुख यातायात में मंदी आना।

(ख) जबकि एअर इंडिया का शीघ्र ही विनिवेशन होने वाला है, अत: उन्होंने इस समय और नए विमान नहीं खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, उन्होंने अपने मार्गों में संवर्धन करने और यात्री वहन संबधी क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से ड्राईलीज पर 4 ए-310-300 विमान ले लिए हैं।

(ग) यह प्रत्याशा है कि रणनीतिक भागीदार के पक्ष में एअर इंडिया के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण से दक्ष प्रबंधन परम्पराओं को बल मिलेगा जिससे कंपनी को अपेक्षाकृत अधिक प्रचालन दक्षता प्राप्त करने और अपने संसाधनों के इष्टतम उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

(घ) एअर इंडिया की 40 प्रतिशत इक्विटी के लिए बोलीकर्ता की बोली राशि के बारे में बताना संभव नहीं है।

ईस्टर्न घाट में पारिस्थितिकी असंतुलन

*309. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्टर्न घाट में बढ़ रहे पारिस्थितिकी असंतुलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेवार हैं; और

(ग) ईस्टर्न घाट के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सरकार को पूर्वी घाट में पारिस्थितिकी असंतुलन दर्शाने वाले किसी व्यापक अध्ययन की जानकारी नहीं है। पारिस्थितिकी असंतुलन मानव जनित तथा अन्य संबंधित कारकों के कारण पारि-प्रणाली संरचना एवं कार्य में परिवर्तन दर्शाता है। इनमें वासस्थल अवक्रमण और संविभाजन, जलवायु परिवर्तन, मृदा अवक्रमण तथा वायु और जल प्रदूषण शामिल है। तथापि, सरकार पूर्वी घाट सहित पारिस्थितिकीय दृष्टि से सभी संवेदी क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखती है। मंत्रालय ऐसी विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य पूर्वी घाट सहित पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। कार्यान्वित की जा रही कुछ स्कीमों में प्रदूषण उपशमन, वनीकरण और पारि-विकास, सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से स्व-स्थाने संरक्षण, नमभूमियों का संरक्षण, पर्यावरणीय विकासात्मक परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, खनित क्षेत्रों का सुधार और उनकी बहाली तथा कैचमैंट क्षेत्रों का सुधार शामिल है।

वन्यजीव संरक्षण हेतु निगरानी तंत्र

*310. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्बेट पार्क में सांड अवैध शिकारियों के निशाने पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उन उपाय और साधनों पर निगरानी रखती है, जिनके द्वारा राज्य सरकार अपने क्षेत्र में स्थित नेशनल पार्कों/अभयारण्यों/रक्षित वन क्षेत्रों का प्रबंधन, प्रशासन और तत्संबंधी सभी पहलुओं पर योजना बनाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों के व्यय के मामले में किस हद तक निगरानी रखी जाती है;

(ङ) वन्यजीव संरक्षण हेतु निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए कौन से अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या आंध्र प्रदेश के पर्यावरणविदों की ओर से भी कुछ अभयारण्यों के विकास और संरक्षण के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) देश के बाहर गुप्त बाजार में नर हाथी के दांतों के ऊंचे दाम मिलते हैं।

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों तथा आरक्षित वनों के संबंध में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केवल वित्तीय और तकनीकी निवेश देकर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। बाघ परियोजना और हाथी परियोजना की विषय निर्वाचन समिति के सदस्यों के साथ-साथ इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों, बाघ रिज़र्वों और हाथी रिज़र्वों के प्रबंधन की समीक्षा की जाती है।

(घ) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में से किए गए कार्यों का विशिष्ट ब्यौरा देते हुए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होता है। केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा कार्यों का अचानक वास्तविक निरीक्षण भी किया जाता है।

(ङ) इस मंत्रालय के वन्यजीव खंड में तैनात प्रत्येक अधिकारी को विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का दौरा करने हेतु विशेष जिम्मेदारी दी गई है।

(च) और (छ) डा० पुल्ला राव ने आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा अभयारण्य को वित्तीय सहायता देने हेतु अनुरोध किया है। प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी की है।

[हिन्दी]

तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

*311. **श्री निखिल कुमार चौधरी :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कोई बजट आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आधुनिकीकरण का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) देश में तार सेवाओं को माइक्रो-प्रोसेसर आधारित स्टोर एवं फारवर्ड मेसेज स्विचिंग प्रणालियों (एस०एफ०एम०एस०एस०) इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर्स (इ०के०बी०सी०), फारमेटेड टर्मिनल कन्सेन्ट्रेटर्स (एफ०टी०सी०) और उपयुक्त टर्मिनल उपकरणों को शामिल करके आधुनिक बनाया गया है।

(ख) तार सेवाओं के आधुनिकीकरण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, आवश्यकताएं टेलेक्स और तार संबंधी कार्यों के लिए किए गए बजट आबंटन से पूरी की जाती हैं।

(ङ) आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इस प्रकार के कार्य मांग और आवश्यकता के आधार किए जाते हैं।

विवरण

संस्थापित आधुनिक टेलीग्राफ उपस्करों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	सर्किल	एस०एफ०एम०एस०एस०			इ०के० बी०सी०	एफ०टी० सी०	
		32 एल	64 एल	128 एल			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	अंडमान-निकोबार	—	—	—	—	—	पोर्ट उपलब्ध है
2.	आंध्र प्रदेश	—	1	1	8	4	
3.	असम	—	1	—	9	—	
4.	बिहार	1	1	—	5	—	
5.	गुजरात	1	—	1	18	4	

1	2	3	4	5	6	7	
6.	हरियाणा	1	—	—	8	—	
7.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—	7	—	
8.	जम्मू-कश्मीर	1	—	—	2	—	
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	पोर्ट उपलब्ध है
10.	कर्नाटक	1	1	1	15	—	
11.	केरल	1	1	1	18	—	
12.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	4	1	—	4	—	
13.	महाराष्ट्र और गोवा	4	2	2	45	—	
14.	पूर्वोत्तर राज्य	1	—	—	3	—	
15.	उड़ीसा	2	—	—	8	—	
16.	पंजाब	1	1	—	14	2	
17.	राजस्थान	1	1	—	32	2	
18.	तमिलनाडु	4	3	1	64	6	
19.	उत्तर प्रदेश	4	—	1	21	6	
20.	उत्तरांचल	1	—	—	3	—	
21.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	—	—	1	28	—	
22.	नई दिल्ली	—	—	1	3	1	
	जोड़	29	13	10	315	25	

पूर्ण विवरण

एस०एफ०एम०एस०एस० 32 एल	32 लाइन्स स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम
एस०एफ०एम०एस०एस० 64 एल	64 लाइन्स स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम
एस०एफ०एम०एस०एस० 128 एल	128 लाइन्स स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम
इ०के०बी०सी०	इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर
एफ०टी०सी०	फारमेटेड टर्मिनल कन्सेन्ट्रेटर

[अनुवाद]

दक्षिणी प्रायद्वीप की पवित्र नदियों का संरक्षण

*312. **श्री रमेश चेन्नितला :**
श्री के० मुरलीधरन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी प्रायद्वीप की पवित्र नदी पम्बा सहित धार्मिक महत्व वाली नदियों के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के त्रावणकोर-देवास्वम बोर्ड ने सबरीमाला में श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था और विकास हेतु 100 हेक्टेयर वनभूमि दिए जाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत दक्षिणी प्रायद्वीप की नदियों सहित देश में नदियों के संरक्षण का कार्य देखती है। केरल सरकार से 155 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पम्बा नदी के प्रदूषण उपशमन के प्रस्ताव की रूपरेखा प्राप्त हुई है जिसमें इस समय परियोजना पर एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के

लिए राशियां रिलीज करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को 3 लाख रुपए की राशि रिलीज करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने सबरीमाला आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु 20 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। उपयोग के लिए प्रस्तावित 20 हेक्टेयर भूमि में से 15 हेक्टेयर भूमि पेरियार बाघ रिजर्व का भाग है। तथापि, सरकार ने मलजल शोधन संयंत्र के लिए 0.42 हेक्टेयर वन भूमि और केवल बाघ रिजर्व के अन्दर जल वृद्धि सुविधा हेतु 0.20 हेक्टेयर भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति दे दी है क्योंकि ये कार्य वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुरूप हैं। सरकार ने पार्किंग सुविधाओं के लिए बाघ रिजर्व क्षेत्र के बाहर 5 हेक्टेयर वन भूमि के अस्थाई उपयोग की अनुमति भी दी है। राज्य सरकार को बाघ रिजर्व के बाहर सबरीमाला में तीर्थयात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है।

टेलीफोन संबंधी शिकायतें

*313. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुंबई में टेलीफोन दोष दर बढ़ी है और बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही नहीं की जा रही है;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें दर्ज करने के लिए उनके कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ काम कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो जनवरी से जून, 2001 तक गत छह माह के दौरान इस शिकायत प्रकोष्ठ में कितनी शिकायतें दर्ज हुईं; और

(घ) शिकायतों पर विलम्ब से कार्यवाही करने के लिए संबंधित जोनल प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) एम०टी०एन०एल० ने दोष दर को दिल्ली में 1999-2000 में 30.34% से घटाकर 2000-2001 में 25.47% और मुंबई में 1999-2000 में 13.3% से घटाकर 2000-2001 में 11.03% कर दिया है। भूमिगत केबलों में क्षति के कारण उत्पन्न दोष, जिसे ठीक करने में समय लगता है, को छोड़ कर आम तौर पर दोष दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है और साथ ही दोष को तत्परता से दूर करने में देरी के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई भी की जाती है।

संचार मंत्री के कार्यालय में एक जन शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। एम०टी०एन०एल०, दिल्ली से संबंधित दोष संचार मंत्री के जन शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा एम०टी०एन०एल० की कम्प्यूटरीकृत दोष सुधार प्रणाली में सीधे दर्ज किए जाते हैं। प्राप्त शिकायत को क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के संबंधित अनुभागीय दोष नियंत्रण केन्द्र को तत्काल अंतरित किया जाता है जिसे उसके पश्चात् लाइन स्टाफ को अंतरित कर दिया जाता है। हालांकि अधिकांश दोष तत्काल दूर कर दिए जाते हैं किन्तु जिन मामलों में दोष केबल में त्रुटि के कारण होता है, उन्हें दूर करने में कुछ देरी लगती है।

जनवरी से जून 2001 के दौरान इस प्रकोष्ठ में कुल 1,81,805 शिकायतें दर्ज हुईं।

[हिन्दी]

समुद्री कटाव

*314. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री कटाव को रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्री कटाव के कारण कितनी वार्षिक हानि हो रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) समुद्री कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, तटकटाव रोधी कार्यों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया कराती है।

समुद्री कटाव से कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता मुहैया कराने के वास्ते इस समय दो स्कीमें केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं। व्यय वित्त समिति (ई०एफ० सी०) द्वारा 39.97 करोड़ रुपये की लागत से "समुद्र तटों में तथा गंगा बेसिन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को अनुमोदित किया गया है जिसमें 30 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंशदान शामिल है। इसमें से, 20 करोड़ रुपये विभिन्न तटवर्ती पहुचों में कटावरोधी कार्यों के वास्ते हैं। इस स्कीम को पूर्ण योजना आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। दूसरी, तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए एक समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन०सी०पी०पी०) है, जिसके अंतर्गत तटीय राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी आते हैं। इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। तटवर्ती राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को विभिन्न चरणों पर अन्तिम रूप दिया जा रहा है। लक्षद्वीप और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की सरकार से भी अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। ये प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आर्थिक दृष्टि से विभिन्न तटीय राज्यों में समुद्र कटाव से होने वाली औसत वार्षिक क्षति/संभावित क्षति लगभग 558.24 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

टेलीफोन सेवाओं का आधुनिकीकरण

*315. **श्री रामानन्द सिंह :***
श्री राजो सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2001-2002 में देश की टेलीफोन सेवाओं का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) आधुनिकीकरण का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) आधुनिकीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। टेलीफोन सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए इस समय निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं :–

(i) नेटवर्क में नयी प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक स्विच शामिल किये जा रहे हैं। 2001-2002 के दौरान 72.3 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें शामिल करने की योजना है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ii) शहरी और ग्रामीण दोनों के नेटवर्क के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रणाली शुरू की जा रही है ताकि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में टेलीफोन लगाए जा सकें। 2001- 2002 के दौरान वायरलेस इन लोकल लूप की कुल मिलाकर 833700 लाइनें शुरू की जा रही है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(iii) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने देशव्यापी सेल्यूलर सेवाओं की योजना बनायी है। 2001- 2002 के दौरान 16 लााख लाइनों की क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(iv) शेष एनालॉग एक्सचेंजों के स्थान पर डिजीटल एक्सचेंजों की स्थापना।

(v) उपरोक्त के अलावा, देश में टेलीफोन एक्सचेंजों को विश्वसनीय संचार माध्यम प्रदान करने के लिए मुख्यत: आप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

2001-2002 के दौरान राज्य-वार टेलीफोन सेवाओं के लिए अस्थायी रूप से आबंटित निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राज्य का नाम	सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य	ग्रामीण डब्ल्यूएलएल से सीधी एक्सचेंज लाइनें	शहरी डब्ल्यूएलएल से सीधी एक्सचेंज लाइनें	सेल्यूलर मोबाइल फोन	आबंटित निधियां (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार	10000	2000	0	300	20.07
आंध्र प्रदेश	530000	110000	19500	32000	1127.61
असम	100000	16000	300	2200	207.22
बिहार	200000	40000	3900	7000	477.72
झारखंड	82000	25500	3000	6000	225.38
गुजरात	650000	12000	18600	35000	1222.74
हरियाणा	245500	0	3900	8600	426.37
हिमाचल प्रदेश	90000	4500	0	2400	219.10
जम्मू और कश्मीर	80000	4000	900	2400	158.90
कर्नाटक	500000	11000	10500	23000	974.01
केरल	663000	14000	12900	25000	1093.39

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	155000	12000	7800	6900	479.51
छत्तीसगढ़	40000	14000	3000	1800	176.37
महाराष्ट्र*	950000	7000	64700	88000	2329.08
उत्तर पूर्व*	53500	12000	300	600	222.62
उड़ीसा	135000	17000	900	7400	388.41
पंजाब	460000	0	15300	18000	851.71
राजस्थान	300000	7000	6900	10000	684.94
तमिलनाडु*	596000	6000	16500	26000	1127.69
उत्तर प्रदेश	625000	85000	20700	30200	1283.04
उत्तरांचल	100000	9000	1500	4600	187.35
पश्चिम बंगाल*	465000	24000	9000	13100	981.10
दिल्ली	200000	–	34400	50000	800.00

* – तमिलनाडु में चेन्नई शामिल है।

– महाराष्ट्र में मुम्बई शामिल है।

– पश्चिम बंगाल में कोलकाता, सिक्किम शामिल हैं।

– मोबाइल फोन के आंकड़ों में – बिहार में झारखंड शामिल है।

– मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल है।

– उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल शामिल है।

– उत्तर-पूर्व – उत्तर-पूर्व I – मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा

उत्तर-पूर्व II – अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर

– महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली और मुम्बई द्वारा मांग के अध्यधीन सेल्यूलर मोबाइल फोन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

वातावरण में प्रदूषण के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी

***316. श्री नवल किशोर राय :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वातावरण प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत की कमी आ जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वातावरण में प्रदूषण फैलाने वाले सभी कारकों पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) इस संबंध में कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पानी की कमी वाले बेसिन

***317. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी, वैगई, पन्नार, साबरमती और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ अन्य नदियों के बेसिनों को पानी की कमी वाला बेसिन माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन बेसिनों में पानी की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता कितनी है; और

(ग) सरकार ने उक्त बेसिनों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर से कम जल वाली किसी भी स्थिति को जल की कमी वाली स्थिति माना जाता है। इस मानदण्ड तथा नवीनतम आकलन के अनुसार जल की उपलब्धता के आधार पर छः बेसिन अर्थात कावेरी, साबरमती, पेन्नार, लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ तथा पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ इस श्रेणी में आती हैं। वर्ष 1991-2000 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (घन मीटर में) नीचे दी गई है :–

क्रम सं०	नदी बेसिन	वर्ष 1991 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (घन मीटर)	वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (घन मीटर)
1.	साबरमती	360	307
2.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व को बहने वाली नदियाँ	366	311
3.	पेन्नार	651	550
4.	लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	683	579
5.	कावेरी	728	619
6.	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व को बहने वाली नदियाँ	953	808

जल संसाधनों संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल हस्तांतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1982 में एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सभी संपर्क प्रस्तावों के जल संतुलन तथा व्यावहारिकता पूर्व (प्रीफिजीबिलिटी) अध्ययन पूरे कर लिये हैं। व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 30 संपर्कों की पहचान की है। इनमें प्रायद्वीपीय घटक के तहत 9 संपर्क महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदियों को परस्पर जोड़ने से संबंधित हैं तथा 3 संपर्क पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ने से संबंधित हैं। इनमें कावेरी के जल की कमी वाले बेसिनों तथा पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियों में जल हस्तांतरित करने की योजना है। उपरोक्त संपर्कों के 3 संपर्कों की व्यावहारिकता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं तथा शेष संपर्कों की व्यावहारिकता रिपोर्टें वर्ष 2004 तक पूरी कर लिये जाने की योजना है। हिमालयी घटक के तहत, घाघरा और सारदा को यमुना के साथ, यमुना को वाया राजस्थान साबरमती से परस्पर जोड़ने की योजना है जिसकी व्यावहारिकता पूर्व रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं। इस प्रकार के जल हस्तांतरण संपर्क प्रस्तावों का कार्यान्वयन, प्रस्तावित हस्तांतरण के संबंध में बेसिन राज्यों के बीच सहमति होने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और निधियों की उपलब्धता इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

खेलों में जवाबदेही

*318. **श्री के० येरननायडू :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेलों में जवाबदेही के संबंध में कड़ा रूख अपनाया है और राष्ट्रीय परिसंघों से जिम्मेवारी और दंड निर्धारित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खेल परिसंघों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) खेल परिसंघ सरकार के सुझावों से किस सीमा तक सहमत हो गए हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (घ) खेलों के संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतः राष्ट्रीय खेल परिसंघों की होती है जो सोसायटीज़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय हैं।

सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन०एस०एफ०) को सहायता देने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। जहां तक योजना के अंतर्गत उन्हें सहायता देने का संबंध है, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जवाबदेही संबंधी प्रावधान भी सम्मिलित हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, सहायता के लिए पात्र होने के वास्ते, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उन उपयुक्त, लोकतांत्रिक तथा स्वस्थ प्रबंधन प्रथाओं का पालन करना अपेक्षित है जिनमें सभी स्तरों पर बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता की व्यवस्था हो, सभी स्तरों पर उपयुक्त लेखांकन प्रक्रियाएं हों तथा जो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा उस प्रतिस्पर्धा से संबंधित लेखा परीक्षित लेखों का विवरण, जिसके

लिए वित्तीय सहायता दी गई है, निष्पादन रिपोर्ट सहित भेजना अपेक्षित है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों की मान्यता के लिए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु कुछ निर्धारित मानदंड हैं जैसे – संगठन की वर्तमान कानूनी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय, एशियाई परिसंघ तथा भारतीय ओलंपिक संघ (आई०ओ०ए०) द्वारा मान्यता, इसका अखिल भारतीय प्रसार, आंतरिक वित्तीय तथा प्रबंधन कार्य-प्रणालियां और मानक, निर्वाचन पद्धतियां आदि। मार्गदर्शी सिद्धांतों में गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में, राष्ट्रीय खेल परिसंघों के निलंबन तथा मान्यता समाप्त करने की व्यवस्था भी है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार करने पर भी विचार कर रही है। आदर्श आचार संहिता को अंतिम रूप देते समय, राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सुझावों पर भी विधिवत विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निधि का उपयोग

*319. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क-निर्माण गतिविधियों/राजमार्ग-निर्माण के लिए सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निधि (एन०एच०डी०एफ०) के तहत 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि खर्च करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इससे पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निधि के तहत 2500 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से है जिसके अंतर्गत सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चार महानगरों को जोड़ने वाले 5952 कि०मी० लम्बे स्वर्णिम चतुर्भुज और जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबन्दर से जोड़ने वाले 7300 कि०मी० लम्बे उत्तर – दक्षिण और पूर्व – पश्चिम महामार्गों को 4/6 लेन का बनाने का कार्य शुरू किया है जिनकी कुल लंबाई 13252 कि०मी० है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की कुल अनुमानित लागत 54,000 करोड़ रुपए है।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 5060 करोड़ रुपए का कुल अनुदान दिया गया है जबकि किया गया व्यय 2815 करोड़ रुपए है।

(घ) प्रारंभिक अवस्था में परियोजनाओं के लिए कम धनराशि की जरूरत होती है। अब व्यय बढ़ रहा है और वर्ष 2001-02 में लगभग 5000 करोड़ रुपए के व्यय का पूर्वानुमान है।

अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों का दोहन

*320. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के अधिकतम दोहन के लिए एक विधान तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर हाल में दिल्ली में आयोजित ''खान एवं भू विज्ञान राज्यमंत्रियों के सम्मेलन'' में चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में निकाले गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने एक अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक तैयार किया है और इसे लोक सभा में रखा जाना है।

(ग) और (घ) हाल ही में, नई दिल्ली में आयोजित खान और भू-विज्ञान राज्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रतिनिधियों को अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विदोहन के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा एक कानून बनाए जाने की मंशा के बारे में बताया गया था। यह मामला औपचारिक रूप से कार्यसूची में नहीं था, तथापि इस पर चर्चा की गई।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

3165. **श्री राजेश वर्मा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 19 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3333 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रत्येक संबंधित समितियों के सदस्यों के चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है जो उनके मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओज०) का चयन करती है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गठित संबंधित समितियों में सदस्यों का चयन पूरे देश में से ऐसे प्रमुख शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, सरकारी अधिकारियों और कार्यक्षम गैर सरकारी संगठनों के प्राधिकारियों में से किया जाता है जिन्हें स्कीमों के अंतर्गत संबंधित विषयों में, जिसके लिए समितियां गठित की गई है, विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा और कच्छ से लाहौर के लिए बस सेवा

3166. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोटा और कच्छ से लाहौर के लिए बस सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खेल परिसर

3167. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में देश में, विशेषकर उत्तरांचल और आंध्र प्रदेश में कितने-खेल परिसर मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और खेल परिसरों के निर्माण का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में खेल परिसरों के विकास हेतु कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) 'खेल' राज्य का विषय है। प्रमुख रूप से यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार, खेल परिसर सहित खेल सुविधाओं का सृजन करे। तथापि, केन्द्र सरकार, ''खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों'' की योजना के अंतर्गत उनसे व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, योजना के अंतर्गत खेल परिसरों के निर्माण हेतु अनुमोदित केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) खेल परिसरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता को विशिष्ट रूप से नहीं रखा जाता है। परिसरों सहित सभी प्रकार की खेल अवस्थापनाओं के सृजन के लिए 2001-2002 के दौरान ''खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना'' के लिए बजट आबंटन 650.00 लाख रु० है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक केन्द्रीय सहायता के लिए अनुमोदित खेल परिसरों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	10
2.	बिहार	1	–	–
3.	केरल	–	1	–
4.	नागालैण्ड	–	2	2
5.	तमिलनाडु	–	1	1
6.	पंजाब	–	–	1
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1
8.	उत्तरांचल सहित अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	–	–
	कुल	1	4	15

मजदूरी अनुबंध

3168. श्री महबूब जाहेदी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड के प्राधिकारियों ने छठे राष्ट्रीय मजदूरी अनुबंध के खत्म होने पर मजदूरी निर्धारण हेतु कोयला उद्योग के मजदूर संघों के साथ बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है;

(घ) क्या खानों में कार्यरत अधिकांश मजदूरों को सेवानिवृति के बाद अपने भविष्य निधि और पेंशन की बकाया राशि नहीं मिल रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या खानों में कार्यरत मजदूरों के स्थान पर धीरे-धीरे ठेका श्रमिकों को लगाया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(छ) क्या ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा महिला मजदूर के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्वतीय पारिस्थितिकी-तंत्र का क्रियान्वयन

3169. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने मई, 1999 के दौरान आदिवासी क्षेत्र में पर्वतीय पारिस्थितिकी-तंत्र के क्रियान्वयन हेतु परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-36 पर चल रहे कार्य

3170. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-36 के करबी-आंगलौंग खंड पर कितना कार्य किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य के लिए कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-36 के उक्त उल्लिखित खंड के पुलों के उन्नयन और चौड़ा करने के कार्य के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है और इसे कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-36 के करबी-आंगलौंग खंड पर चार कार्य शुरू किए गए हैं। इन कार्यों में पहुंच मार्गों के साथ-साथ पुल संख्या 32/2 और 48/4 का निर्माण, 48/0 से 52/0 कि०मी० तक सड़क गुणता में सुधार और 130/0 से 133/0 कि०मी० तक दो लेन बनाना शामिल है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन चालू कार्यों पर 133.22 लाख रु० खर्च किए गए हैं।

(ग) उक्त चालू कार्यों के दिसम्बर, 2001 और दिसम्बर, 2003 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है।

वाहनों से होने वाला प्रदूषण

3171. **श्री सईदुज्जमा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'निस्टाड्स न्यूज' खंड-3, संख्या-1 के अप्रैल 2001 अंक में प्रकाशित "कंट्रोल आफ व्हीक्यूलर पॉल्यूशन इन इंडिया" पर किए गए अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और विशेषकर दिल्ली के बाहर अन्य शहरों में सी०पी०सी०बी० और अन्य निकायों की ऐसी ही रिपोर्टों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या लेखकों ने पिछले 50 वर्षों से ब्राजील में गैसोहोल के सफलतापूर्वक उपयोग पर आंकड़े संकलित किए हैं जो गैसोहोल के रूप में प्रौद्योगिकी को पूर्व में बार-बार अस्वीकार किये जाने के बाद अंततः हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय का ध्यान विशेष आकर्षित किया है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और एंडीलुक एजेंट के रूप में काम करता है एवं इन सबके अलावा किसानों के लिए लाभकारी है तथा विदेशी मुद्रा की बचत करता है;

(ग) क्या लेखकों ने कई पश्चिमी देशों में गैसोहोल और बिजली से चलने वाली बसों/वाहनों की तुलना में सी०एन०जी० और अन्य ईंधनों के लाभ के बारे में भी कुछ बताया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) निस्टाड्स और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट/अध्ययन के मुख्य बिन्दुओं में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- 1951 से लेकर हमारे देश की शहरी जनसंख्या में छः गुणा बढ़ोतरी हुई है।
- भारत में वाहनों की कुल संख्या का पांचवा भाग चार महानगरों में है।
- दिल्ली के वायु प्रदूषण का लगभग 70 प्रतिशत वाहन जनित उत्सर्जनों से होता है।
- बैंजीन की निम्न मात्रा वाले सीसा रहित पैट्रोल, कम सल्फर युक्त डीजल तथा पहले से ही मिश्रित किए गए टू-स्ट्रोक इंजन ऑयल के प्रयोग की वजह से उत्सर्जनों में काफी कमी आई है।

(ख) लेखक ने ब्राजील में पिछले 50 वर्षों में गौसोहोल के सफल प्रयोग के संबंध में आंकड़े संकलित नहीं किए हैं। तथापि, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मोटर स्पिरिट में इथेनॉल की डोपिंग हेतु पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वन्य जीवों की संख्या

3172. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में हाल ही में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन सम्पदा की रक्षा हेतु किए गए ऐसे उपायों को उत्तरी क्षेत्र में भी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) चार दक्षिणी राज्यों में दो निरन्तर गणनाओं के अनुसार बाघ, तेंदुए तथा हाथी की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है :–

राज्य	1993			1997		
	बाघ	तेंदुआ	हाथी	बाघ	तेंदुआ	हाथी
आन्ध्र प्रदेश	197	152	46	171	138	57
कर्नाटक	305	455	5500	350	620	6088
केरल	57	16	3500	73	16*	5737
तमिलनाडु	97	138	2400	62	110	2971
कुल	656	761	11446	656	984	14853

(टिप्पणी : *संख्या की गणना नहीं की गई। 1993 की गणना संबंधी आंकड़े 1997 में भी शामिल कर लिए गए हैं।)

संख्या की प्रवृत्ति कमोवेश उसी पद्धति पर है जैसा कि देश के अन्य राज्यों में है। कुछ राज्यों में बाघ और तेंदुए की संख्या में बढ़ोत्तरी पाई गई है जबकि कुछ में गिरावट। तथापि, दक्षिणी राज्यों में हाथियों की मिलती रहती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा हेतु कई पहल की हैं लेकिन सीमापार गुप्त बाजार में हाथी दांत तथा तेंदुए और बाघों से प्राप्त भागों और उत्पादों की बढ़ती मांग की वजह से सफलता सीमित है। कीमती वन्य जीव के अवैध शिकार तथा अवैध व्यापार के पीछे संगठित माफिया का हाथ है जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं तथा अत्याधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों से लैस हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मनाती रही है। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	बाघ परियोजना	1660.875	1749.162	1918.567
2.	हाथी परियोजना	547.01	596.57	636.85
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	934.883	1298.00	2479.984
4.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारि-विकास	634.499	729.208	1311.152
5.	लाभोन्मुखी जन जातीय स्कीम	350.00	269.580	310.65
	कुल	6026.267	6641.52	6657.203

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रदत्त धनराशि

3173. श्री जय प्रकाश : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नैनीताल जिले के राम नगर में स्थित कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्रमशः उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकारों को प्रदत्त धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों में हाथियों की हत्या संबंधी घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने उद्यानों की सुरक्षा मजबूत करने और पर्यटकों के लिए इसे अधिक आकर्षक बनाने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) कार्बेट बाघ रिजर्व के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशियां नीचे दिए अनुसार है :

(लाख रुपये)

क्र०सं०	स्कीम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	बाघ परियोजना	137.88	162.95	90.895
2.	पारि विकास	25.40	21.57 (पुनः वैधता)	21.57 (पुनः वैधता)

उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद वर्ष 2000-2001 में कार्बेट बाघ रिजर्व के लिए 7.60 लाख रुपये दिए गए थे।

(ख) से (घ) उत्तरांचल सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान कार्बेट बाघ रिजर्व के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है। बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत 182.76 लाख रुपये मंजूर किए गए थे और प्रथम किस्त के रूप में 70.00 लाख रुपये दे दिए गए हैं। पारिविकास स्कीम के अंतर्गत कार्बेट बाघ रिजर्व के लिए 26.70 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं और प्रथम किस्त के रूप में 15.00 लाख रुपये दे दिए गए हैं। बाघ रिजर्व में वन्यजीव प्रबंधन के लिए पर्यटन अनिवार्य नहीं है।

[अनुवाद]

टेलीकम्युनिकेशंस कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा इंटरनेट एक्सेस सेवा शुरू किया जाना

3174. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी० सी०आई०एल०) का विचार अपनी इंटरनेट एक्सेस सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी स्थान क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट्स इण्डिया लि० (टी०सी०आई० एल०) ने एक विदेशी कम्पनी तथा पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से इन्टरनेट एक्सप्रेस लिमिटेड नामक एक इन्टरनेट कम्पनी बनाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव के अनुसार टी०सी०आई०एल० की इन्टरेट एक्सप्रेस लि० में 46 प्रतिशत इक्विटी होगी। सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रारंभ में देश के 5 बड़े शहरों अर्थात दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर में सेवा प्रदान की जाएगी।

उड़ान क्लबों पर प्रशिक्षु पायलटों के उड़ान समय

3175. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व में विभिन्न उड़ान क्लबों/संस्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षु पायलटों (जिनका व्यावसायिक पायलट लाइसेंस भारत में जारी किया गया है) द्वारा भरे गए उड़ाने के समय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उड़ान क्लबों/संस्थानों में भरे गए उड़ान समय का वर्ष-वार और विमान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उड़ान क्लबों, नान-शिड्यूल आपरेटर्स और शिड्यूल आपरेटर्स के वार्षिक कारोबार और कुल लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न उड़ान क्लबों/संस्थानों के पास उड़ान भरने लायक उपलब्ध विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए गए और कितने एफ०ए०ए० लाइसेंस बदले गए; और

(च) सरकार द्वारा विमानन उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारत तथा विदेश दोनों में स्थित विभिन्न फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों में उस व्यक्तिगत प्रशिक्षु पायलट जिसको (भारत में वाणिज्यिक लाइसेंस जारी किया जाता है) द्वारा कितने घंटे उड़ान भरी गई है, के संबंध में नागर विमानन महा-निदेशालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों/स्कूलों द्वारा दिए गये उड़ान घंटों का वर्ष-वार तथा विमान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) विभिन्न फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों/स्कूलों से उपलब्ध उड़न-योग्यता विमानों की जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) दिनांक 1.4.1998 से 31.3.2001 की अवधि के दौरान जारी किए गए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसों की कुल संख्या 606 है जिसमें से 118 एफ०ए०ए० लाइसेंसों को उनके भारतीय समतुल्य लाइसेंसों में बदल दिया गया।

(च) घरेलू प्रचालन की लागत को कम करने के लिए समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं जिससे गंतव्य स्थलों तक जहां जेट विमानों से प्रचालन किया जाना व्यवहार्य न हो, वहां छोटे विमानों की प्रचालन सेवा को बढ़ाया जा सके। ऐसा करने से छोटे-छोटे शहरों और प्रमुख गंतव्य स्थलों जो ट्रंक मार्गों पर अवस्थित हैं, के बीच अपेक्षाकृत अधिक हवाई मार्ग संपर्क सुनिश्चित होंगे। विदेशी पर्यटक चार्टरों के प्रचालन संबंधी विनियमों की सावधिक समीक्षा की जाती है ताकि इस देश को एक आकर्षित पर्यटक स्थल बनाया जा सके।

विवरण-I

सरकारी आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में विभिन्न फ्लाइंग क्लबों/स्कूलों/संस्थानों द्वारा दिये गए उड़ान घंटे के वर्ष-वार तथा विमान-वार ब्यौरे को दर्शाने वाली सूची

फ्लाइंग क्लब/संस्थानों के नाम	वर्ष	सेसना	पुष्पक	स्वाती	कुल
1	2	3	4	5	6
अण्डमान तथा निकोबार फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान पार्ट ब्लेयर	1998-1999		उड़ान नहीं		
	1999-2000				
	2000-20001				

1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश विमानन अकादमी हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1998-1999	1219:05	071:40	114:10	1404:55
	1999-2000	1518:15	—	—	1518:15
	2000-2001	1545:00	—	—	1545:00
असम फ्लाइंग क्लब गुवाहाटी (असम)	1998-1999		उड़ान नहीं		
	1999-2000				
	2000-20001				
बिहार फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान पटना, बिहार	1998-1999	—	117:10	511:10	628:20
	1999-2000	—	—	—	—
	2000-2001	754.40	—	—	754:40
जमशेदपुर को-ऑपरेटव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर, बिहार	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-20001				
दिल्ली फ्लाइंग क्लब, दिल्ली	1998-1999	653:00	—	—	653:00
	1999-2000	1504:00	—	—	1504:00
	2000-2001	808:35	—	—	808:35
गुजरात फ्लाइंग क्लब, बडोदा, गुजरात	1998-1999	930:30	6:35	—	937:05
	1999-2000	1160:20	—	—	1160:20
	2000-2001	643:50	29:25	—	673:15
नागर विमानन संस्थान हिसार, हरियाणा (नागर विमानन संस्थान) हरियाणा की शाखा (करनाल)	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-20001				
नागर विमानन संस्थान करनाल, हरियाणा	1998-1999	1005:45	682:35	1:00	1989:20
	1999-2000	910:05	426:30	—	1336:35
	2000-2001	719:50	369:05	—	1088:55
नागर विमानन संस्थान पिन्जोर, हरियाणा (एचआई सीए, करनाल शाखा)	1998-1999	149:50	1131:55	218:15	1500:00
	1999-2000	49:25	709:00	239:40	998:05
	2000-20001	247:10	521:45	47:10	1016:05
सरकारी फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूल, बंगलौर (कर्नाटक)	1998-1999	893:10	395:55	117:25	1406:30
	1999-2000				
	2000-2001	(एरोनका सुपर चीफ)			
सरकारी फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	1998-1999		उड़ान नहीं		
	1999-2000				
	2000-20001				
सरकारी एविएशन प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1998-1999				20:45
	1999-2000				468:25
	2000-2001				48:45

1	2	3	4	5	6
केरल एविएशन प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिवेन्द्रम (केरल)	1998-1999	—	412:55	73:55	486:50
	1999-2000	—	95:40	505:15	600:55
	2000-2001	—	125:40	194:45	120:25
मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर (मध्य प्रदेश)	1998-1999	3453:25	54:50	19:50	3528:05
	1999-2000	2996:40	1:35	—	2998:15
	2000-2001	2176:05	—	—	2176:05
मुम्बई फ्लाइंग क्लब मुम्बई, महाराष्ट्र	1998-1999	551:05	—	—	551:05
	1999-2000	319:00	—	—	319:00
	2000-2001	335:25	—	—	335:25
नागपुर फ्लाइंग क्लब नागपुर, महाराष्ट्र	1998-1999		उड़ान नहीं		
	1999-2000				
	2000-20001				
अमृतसर एविएशन क्लब अमृतसर, पंजाब	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-20001				
लुधियाना एविएशन क्लब पंजाब	1998-1999	—	—	—	1781:10
	1999-2000	—	—	—	1536:40
	2000-2001	—	—	—	1148:25
उत्तर भारत फ्लाइंग क्लब जालंधर (कैम्प पटियाला में) पंजाब	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-20001				
पटियाला एविएशन क्लब पटियाला, पंजाब	1998-1999	1311:30	637:10	53:40	2020:20
	1999-2000	1268:20	494:05	80:15	1842:40
	2000-2001	784:40	709:50	—	1494:30
वनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग क्लब, राजस्थान	1998-1999		उड़ान नहीं		
	1999-2000				
	2000-20001				
राजस्थान राज्य फ्लाइंग स्कूल, जयपुर, राजस्थान	1998-1999	139:45	76:40	23:35	240:00
	1999-2000	720:40	56:45	—	777:25
	2000-2001	623:50	97:50	—	721:40
कोयम्बटूर एविएशन प्रशिक्षण एकादमी कोयम्बटूर, तमिलनाडु	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-20001				
मद्रास फ्लाइंग क्लब चेन्नई, तमिलनाडू	1998-1999	1116:50	13:10	—	1130:00
	1999-2000	449:25	25:05	27:20	501:50
	2000-2001	860:35	115:50	2:10	978:35

1	2	3	4	5	6
		(टीबी-20)		(किंग एयर बी-90-ई)	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1998-1999	2472:00	286:55		2758:55
	1999-2000	5491:25	490:10		5981:35
	2000-2001	3447:15	898:35		4345:50
यू०पी० राज्य नागर विमानन फ्लाइंग प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-20001				

(ख) सरकारी आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में विभिन्न फ्लाइंग क्लबों/स्कूलों/संस्थानों द्वारा दिये गए उड़ान घंटे के वर्ष-वार तथा विमानवार ब्यौरे को दर्शाने वाली सूची

बिंग्स एविएशन हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	1998-1999				516:45
	1999-2000				1066:25
	2000-2001				1098:50
फ्लाइटेक विमान अकादमी हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	1998-1999	1721:05			1721:05
	1999-2000	1420:30			1420:30
	2000-2001	663:50			663:50
टाटा नगर एविएशन जमशेदपुर, बिहार	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-20001				
		सेसना	अजटेक	जेनिथ	कुल
अहमदाबाद विमानन अकादमी, गुजरात	1998-1999	4709:25	169:10	22:40	4901:15
	1999-2000	4712:35	344:20	—	5056:55
	2000-20001	2692:15	109:00	310:05	3111:20
		सेसना	पुष्पक	स्वाती	कुल
कावेर एविएशन अकादमी मुम्बई, महाराष्ट्र	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-2001				
बंगलोर एरोनोटिक्स तकनीकी सेवा, बंगलोर, कर्नाटक	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-20001				
हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लि० एच०ए०एल०, रोट्री विंग अकादमी, बंगलोर	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-2001				
तनेजा फ्लाइंग स्कूल बंगलौर, करनाटका	1998-1999	390:25			390:25
	1999-2000	00:00			00:00
	2000-20001	00:00			00:00
फ्लाक एयरवेज प्रा०लि० इंदौर, मध्य प्रदेश	1998-1999		सूचना प्रतीक्षित		
	1999-2000				
	2000-2001				

1	2	3	4	5	6
ओरियंटल फ्लाइंग स्कूल पाण्डीचेरी (संघ क्षेत्र)	1998-1999		विना सहायता प्राप्त		2210:15
	1999-2000				595:55
	2000-20001				508:55
राजपूताना एविएशन अकादमी जयपुर, राजस्थान	1998-1999	694:30			694:30
	1999-2000	575:50			575:50
	2000-2001	122:35			122:35
टेटरा एविएशन (इंडिया) प्रा०लि० मद्रास, तमिलनाडु	1998-1999	सूचना प्रतीक्षित			
	1999-2000				
	2000-20001				
गर्ग एविएशन, कानपुर उत्तर प्रदेश	1998	सेसना	पुष्पक	स्वाती सी-310	कुल
	1999				1008:20
	2000				2358:20
	2001	1354:20		158:00	1419:50
					1512:20

विवरण-II

उड़ानयोग्य एयरक्राफ्ट की सूचना, विभिन्न फ्लाइंग क्लबों/इंस्टीट्यूटों/स्कूलों से प्राप्त सूचना

क्र० सं०	फ्लाइंग क्लब का नाम	उड़नयोग्य विमान की संख्या
1	2	3
1.	अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर (पंजाब)	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	02
3.	बिहार फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, पटना (बिहार)	03
4.	बम्बई फ्लाइंग क्लब, मुम्बई (महाराष्ट्र)	02
5.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब, दिल्ली	03
6.	डाइरेक्टरेट आफ स्टेट सिविल एविएशन, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	04
7.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर (कर्नाटक)	01
8.	गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	02
9.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, बेहाला, कलकत्ता (प० बंगाल)	शून्य
10.	हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल (हरियाणा)	02
11.	हिसार ब्रांच ऑफ हरियाणा इंस्टीच्यूट आफ सिविल एविएशन, हिसार (हरियाणा)	01
12.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली, फुरसतगंज (उत्तर प्रदेश)	02
13.	जमशेदपुर को-आपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर (बिहार)	शून्य
14.	केरल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, त्रिवेन्द्रम (केरल)	01
15.	लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना (पंजाब)	02
16.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर (मध्य प्रदेश)	07
17.	मद्रास फ्लाइंग क्लब, चेन्नई (तमिलनाडु)	01
18.	नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर (मध्य प्रदेश)	शून्य
19.	नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब (पटियाला कैम्प), जालंधर (पंजाब)	01
20.	पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला (पंजाब)	03
21.	पींजौर ब्रांच ऑफ हरियाणा इंस्टीच्यूट आफ सिविल एविएशन पींजौर (हरियाणा)	02
22.	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर (राजस्थान)	02
23.	एच०ए०एल० रोटरी विंग एकेडमी, बंगलौर (कर्नाटक)	02
24.	गर्ग एविएशन लि०, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	03

1	2	3
25.	ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल, चेन्नई (तमिलनाडु)	02
26.	विंग्स एविएशन (प्रा०) लि० हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	01
27.	अहमदाबाद एविएशन, अहमदाबाद (गुजरात)	06
28.	फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी, सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	05
29.	टाटा नगर एविएशन प्रा०लि०, जमशेदपुर (बिहार)	02

[हिन्दी]

सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना

3176. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना पर कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई और केन्द्र सरकार एवं हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों द्वारा अलग-अलग वहन की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) सिद्धमुख और नहर परियोजनाओं सहित सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना का कार्य, अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना 2001 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस परियोजना पर जुलाई, 2001 तक कुल 252.32 करोड़ रुपया व्यय हुआ जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 79.24 करोड़ रु० है। जब कि केन्द्र सरकार तथा हरियाणा सरकार का इस व्यय में कोई हिस्सा नहीं है। शेष 173.08 करोड़ रुपये के हुए व्यय का संयुक्त वित्तपोषण कमीशन ऑफ यूरोपीयन कम्यूनिटीज द्वारा किया गया है।

महाराष्ट्र में उड़ान क्लब

3177. श्री रामदास आठवले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र सहित राज्यों में उड़ान-क्लबों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रत्येक उड़ान क्लबों के पास कितने विमान हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उड़ान क्लबों द्वारा कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया;

(घ) प्रशिक्षुओं से पूरे पाठ्यक्रम के लिए कितना शुल्क लिया जाता है;

(ङ) क्या प्रशिक्षु पूरा व्यय वहन करते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण शुल्क पर कोई राज सहायता दी जाती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) राज्यों (महाराष्ट्र सहित) में स्थित फ्लाइंग क्लबों के स्थान-वार तथा विमान-वार ब्यौरे अद्यतन तिथि के अनुसार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यह सूचना नागर विमानन महानिदेशालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह एकत्र की जा रही है।

(घ) प्रभारित पाठ्यक्रम शुल्क, प्रशिक्षुओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले विमानों की किस्म के आधार पर प्रत्येक फ्लाइंग क्लब के मामले में अलग-अलग होता है।

(ङ) जी, हां।

(च) जी, नहीं। उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए सरकार की आर्थिक सहायता योजना दिनांक 01.4.2001 से बंद हो गई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों (महाराष्ट्र सहित) में फ्लाइंग क्लबों की अवस्थिति और विमानों की संख्या के ब्यौरे

क्र०सं०	राज्य	फ्लाइंग क्लब	विमानों की संख्या
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	1. मुम्बई फ्लाइंग क्लब, मुम्बई	08
		2. नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर	05
2.	अंडमान और निकोबार	1. अंडमान निकोबार, प्रशिक्षण संस्थान लम्बालाइन, पोर्ट ब्लेयर	सूचना प्रतीक्षित

1	2	3	4
3.	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी, हैदराबाद	06
		2. फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी, हैदराबाद (प्राइवेट एकेडमी)	05
4.	असम	1. असम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी	सूचना प्रतीक्षित
5.	बिहार	1. बिहार फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट पटना	05
		2. जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर	03
		3. टाटा नगर एविएशन एकेडमी, प्राइवेट लिमिटेड, जमेशदपुर	06
6.	दिल्ली	1. दिल्ली फ्लाइंग क्लब, नई दिल्ली	06
7.	गुजरात	1. गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ोदरा	05
		2. अहमदाबाद एविशन एकेडमी अहमदाबाद (प्राइवेट एकेडमी)	11
8.	हरियाणा	1. हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल (+2 शाखाएं हिसार और पिंजौर में)	14
9.	कर्नाटक	1. एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन, बेलगांव (प्राइवेट एकेडमी)	03
		2. बैंगलूर एयरोनौटिक्स एण्ड टेक्निकल सर्विसेज, बैंगलूर (प्राइवेट एकेडमी)	सूचना प्रतीक्षित
		3. तनेजा एयरोस्पेस एविएशन लि० बैंगलूर (प्राइवेट एकेडमी)	सूचना प्रतीक्षित
		4. एच०ए०एल० रोटरी विंग एकेडमी, बैंगलूर (प्राइवेट एकेडमी)	02
		5. राजकीय उड़ान प्रशिक्षण विद्यालय, बैंगलूर	06
10.	केरल	1. केरल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, त्रिवेन्द्रम	03
11.	मध्य प्रदेश	1. मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर (+1 शाखा भोपाल में)	12
		2. फ्रैंक एयरवेज प्राइवेट लि०, इंदौर (प्राइवेट एकेडमी)	सूचना प्रतीक्षित
12.	उड़ीसा	1. राजकीय विमानन प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर	04
13.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1. ओरिएंट फ्लाइट स्कूल, पांडिचेरी (प्राइवेट एकेडमी)	05
14.	पंजाब	1. अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर	06
		2. लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना	06
		3. नॉर्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर (पटियाला कैंप)	07
		4. पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला	06
15.	राजस्थान	1. बनस्थली विद्यापीठ ग्लाईडिंग एण्ड फ्लाइंग क्लब, बनस्थली	सूचना प्रतीक्षित
		2. राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर	06
		3. राजपुताना एविएशन एकेडमी, कोटा (प्राइवेट एकेडमी)	03
16.	तमिलनाडु	1. कोयम्बतूर एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी, कोयम्बतूर	सूचना प्रतीक्षित
		2. मद्रास फ्लाइंग क्लब, चेन्नई	06
		3. तेत्रा एविएशन एकेडमी, सेलम (प्राइवेट एकेडमी)	सूचना प्रतीक्षित

1	2	3	4
17.	उत्तर प्रदेश	1. राजकीय उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ (+3 शाखाएं, कानपुर, फैजाबाद और वाराणसी में)	11
		2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज	15
		3. गर्ग एविएशन लि० कानपुर (प्राइवेट एकेडमी)	03
18.	पश्चिम बंगाल	1. राजकीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता	03

[अनुवाद]

पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में थर्ल्ड वर्ल्ड कांग्रेस

3178. प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में थर्ल्ड वर्ल्ड कांग्रेस की बैठक जून, 2001 के मध्य में शिमला में आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) नीति मामलों, बाजार लिखतों, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, कानूनी ढांचों, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी अन्तरण, अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, औद्योगिक स्वास्थ्य और कार्यक्रम कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग संबंधित कई सिफारिशें कांग्रेस में की गई थीं। इनमें निम्नलिखित शामिल है :–

- सतत विकास और इसके कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार करना;
- उद्योगों द्वारा आई०एस०ओ० 14000 का प्रमाणन
- पर्वतीय क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए हिमाचल नीति तैयार करना;
- विश्व पर्यावरणीय मानकों को संगत बनाना।
- विश्व पर्यावरण सुविधा, यूरोपीय संघ का ईको-निवेश जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से पर्यावरणीय कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था।

सी०ए०डी० कार्यक्रम की निगरानी

3179. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा धनराशि का कम उपयोग करने के कारण कमान क्षेत्र विकास (सी०ए०डी०) कार्यक्रम के लिए बजट आबंटन 160.88 करोड़ रुपये से घटाकर 119.74 करोड़ रुपये कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की गहन निगरानी हेतु कोई रणनीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवती) : (क) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के 160.88 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय को संशोधित आकलन स्तर में घटाकर 119.74 करोड़ रुपये कर दिया गया था। तथापि, वर्ष 2000-2001 का वास्तविक व्यय 144.96 करोड़ रुपये था।

(ख) से (घ) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए बजटीय आबंटन प्रारंभिक रूप में राज्य के द्वारा पिछले वर्ष में किए गए व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह देखा गया है कि वित्तीय कठिनाईयों के कारण, राज्य सरकारें पहले वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में अपेक्षित स्तर तक व्यय नहीं कर पाती हैं। इसके परिणामस्वरूप संशोधित आकलन (आर०ई०) स्तर पर आबंटन में कमी हो जाती है। परियोजनाओं की मानीटरिंग तिमाही प्रगति रिपोर्टों, वार्षिक रिपोर्टों के द्वारा और सी०ए०डी० स्कंध के अधिकारियों के दौरों के दौरान की जा रही है। इसके अलावा, 60 परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है।

डब्ल्यू०एल०एल० प्रौद्योगिकी

3180. श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री सुबोध राय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमित गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रौद्योगिकी से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा लेकिन जिस तरह से यह बेसिक आपरेटरों को दिया जा रहा है उस तरह से इसमें पारदर्शिता का पूरा-पूरा अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) स्थानीय क्षेत्रों प्रतिनिधिक-तहसीलों के भीतर सीमित मोबिलिटी प्रदान करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रौद्योगिकी से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। यह सुविधा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सभी स्टेक होल्डरों से अभ्युक्तियां मंगाकर एक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया का पालन करके, खुली चर्चा आयोजित करके और एक तर्कसम्मत, पारदर्शी तथा पक्षपात रहित रूप में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए दी गई सिफारिशों के आधार पर विस्तारित की गई है। इसके साथ ही इन सिफारिशों की दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता दल द्वारा समीक्षा की गई है और इन्हें अनुमोदित कर दिया गया है।

रांची-दिल्ली सेक्टर पर उड़ान

3181. श्री राम टहल चौधरी :
प्रो० दुखा भगत :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची-दिल्ली उड़ान को दिन में दो बार परिचालित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इंडियन एयरलाइन्स के अनुसार दिल्ली और रांची के बीच, यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त विमान सेवाएं उपलब्ध हैं।

जेतपुर से सोमनाथ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य

3182. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेतपुर से सोमनाथ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरावल-सोमनाथ-केशोड़ बाईपास और जूनागढ़ बाईपास का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जेतपुर से सोमनाथ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल 127.780 कि०मी० लंबाई में से लगभग 85 कि०मी० में सड़क गुणता सुधार पूरा कर लिया गया है और जूनागढ़ बाइपास सहित 18.5 कि०मी० लंबाई में कार्य के लिए 4.63 करोड़ रु० हेतु अभी हाल में स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) विरावल-सोमनाथ बाइपास का सुधार कार्य और केशोड़ बाइपास का साध्यता अध्ययन वार्षिक कार्यक्रम 2001-2002 में शामिल किया गया है। विद्यमान जूनागढ़ बाइपास के गुणता सुधार कार्य को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्ति

3183. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितने शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार काम के बदले अनाज देने की योजना शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 31.12.1998 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षितों (10वीं कक्षा व उससे अधिक) तथा अशिक्षितों (10वीं कक्षा से कम) की राज्य-वार संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इस समय सूखा प्रभावित राज्यों/क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित व अशिक्षित रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित (10वीं व उससे अधिक) (हजार में)	अशिक्षित (अनपढ़ों सहित 10वीं कक्षा से कम) (हजार में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2022.2	1184.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.1	10.6
3.	असम	932.5	556.8
4.	बिहार	2482.8	827.2
5.	गोवा	83.2	28.6
6.	गुजरात	698.7	244.6

1	2	3	4
7.	हरियाणा	562.5	257.6
8.	हिमाचल प्रदेश	494.5	300.9
9.	जम्मू और कश्मीर	72.2	92.6
10.	कर्नाटक	1217.5	595.2
11.	केरल	2749.1	923.0
12.	मध्य प्रदेश	2026.2	520.9
13.	महाराष्ट्र	3044.2	1058.9
14.	मणिपुर	218.6	116.1
15.	मेघालय	18.9	14.5
16.	मिजोरम	34.3	39.9
17.	नागालैण्ड	19.2	8.5
18.	उड़ीसा	743.5	227.4
19.	पंजाब	389.0	189.8
20.	राजस्थान	622.2	269.0
21.	सिक्किम*		
22.	तमिलनाडु	2852.8	1323.0
23.	त्रिपुरा	109.5	136.8
24.	उत्तर प्रदेश	2007.9	630.6
25.	पश्चिम बंगाल	3350.0	2374.7
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.6	18.4
27.	चंडीगढ़	59.9	50.5
28.	दादर व नगर हवेली	1.2	4.8
29.	दिल्ली	869.0	259.2
30.	दमन व दीव	3.5	2.5
31.	लक्षद्वीप	1.7	7.6
32.	पांडिचेरी	90.6	26.0
	योग	27789.0	12300.6

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

नए विमानपत्तनों का निर्माण

3184. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2000 के दौरान राज्य-वार उन नए वायु मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर विमान सेवाएं शुरू की गईं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त अवधि के दौरान नए विमानपत्तनों का निर्माण किया गया;

(ग) निर्माण किए जाने वाले नए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2001-2002 के दौरान कितने नए वायु मार्ग शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को कोई उपहार दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2000 के दौरान घरेलू अनुसूचित प्रचालकों द्वारा आरंभ किए गए नए वैमानिक मार्गों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दिसम्बर, 99 में मिजोरम में लेंगपुई में और जून, 99 में केरल में नेदुम्बसेरी (कोचीन) में हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था।

(ग) से (च) वर्ष 2001-2002 के दौरान कार्गिल (जम्मू कश्मीर) तथा तुरा (मेघालय में नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। विमानकंपनियां वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु उन्हें मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा।

विवरण

वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2000 के दौरान विमान सेवा आरंभ किए जाने वाले मार्गों के राज्यवार ब्यौरे

इंडियन एयरलाइन्स

वर्ष	सैक्टर	राज्य
1	2	3
1997	आगाती-गोवा	लक्ष्यद्वीप/गोवा
	जयपुर-जैसलमेर	राजस्थान
	दिल्ली-जैसलमेर	दिल्ली/राजस्थान

1	2	3
1998	दिल्ली-विजाग	दिल्ली/आंध्र प्रदेश
	मुम्बई-रायपुर	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़
	अहमदाबाद-पुणे	गुजरात/महाराष्ट्र
	मुम्बई-जैसलमेर	महाराष्ट्र/राजस्थान
	कोलकाता-पुना	पश्चिमी बंगाल/महाराष्ट्र
	मुम्बई-वाराणसी	महाराष्ट्र/उत्तर प्रदेश
	अजवाल-इम्फाल	मणिपुर/मिजोरम
1999	मुम्बई-पटना	महाराष्ट्र-बिहार
	दिल्ली-शिमला	दिल्ली/हिमाचल प्रदेश
	दिल्ली-धर्मशाला	दिल्ली/हिमाचल प्रदेश
	मुम्बई-जम्मू	महाराष्ट्र/जम्मू और कश्मीर
	मुम्बई-श्रीनगर	महाराष्ट्र/जम्मू और कश्मीर
	मुम्बई-रांची	मुम्बई/झारखंड
	बंगलौर-कोयम्बतूर	कर्नाटक/तमिलनाडु
	दिल्ली-कालीकट	दिल्ली/केरला
	दिल्ली-जबलपुर	दिल्ली/मध्य प्रदेश
	मुम्बई-रांची	महाराष्ट्र/झारखंड
	जबलपुर-भोपाल	मध्य प्रदेश
	ग्वालियर-जबलपुर	मध्य प्रदेश
	मुम्बई/रांची	महाराष्ट्र/झारखंड
	मुम्बई-लखनऊ	महाराष्ट्र/उत्तर प्रदेश
	लखनऊ/वाराणसी	उत्तर प्रदेश
	दिल्ली-देहरादून	दिल्ली/उत्तरांचल
	दिल्ली-कुल्लू	दिल्ली/हिमाचल प्रदेश
	मुम्बई-पुना	महाराष्ट्र
	दिल्ली-कोयम्बतूर	दिल्ली/तमिलनाडु
2000	गोवा-आगरा (एक तरफा)	गोवा/उत्तर प्रदेश
	चेन्नई-भोपाल	तमिलनाडु/मध्य प्रदेश
	भोपाल-नागपुर	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र
	चेन्नई-नागपुर	तमिलनाडु/महाराष्ट्र
	भोपाल-नागपुर	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र
	उदयपुर-जैसलमेर	राजस्थान
	चेन्नई-नागपुर	तमिलनाडु/महाराष्ट्र

1	2	3
	सहारा एयरलाइन्स	
1997	मुम्बई-गोवा	महाराष्ट्र/गोवा
	गोवा-मुम्बई	गोवा/महाराष्ट्र
	भोपाल-इंदौर	मध्य प्रदेश
	इंदौर-दिल्ली	मध्य प्रदेश/दिल्ली
	पटना-लखनऊ	बिहार/उत्तर प्रदेश
	दिल्ली-भोपाल	दिल्ली/मध्य प्रदेश
	मुम्बई-कोयम्बतूर	महाराष्ट्र/तमिलनाडु
1998	चेन्नई-बंगलौर	तमिलनाडु/कर्नाटक
	बंगलौर-चेन्नई	कर्नाटक/तमिलनाडु
1999	लखनऊ-पटना	उत्तर प्रदेश/बिहार
	कोलकाता-पटना	पश्चिमी बंगाल/बिहार
	वाराणसी-कोलकाता	उत्तर प्रदेश/पश्चिमी बंगाल
	कोलकाता-वाराणसी	पश्चिमी बंगाल/उत्तर प्रदेश
2000	मुम्बई-जयपुर	महाराष्ट्र/राजस्थान
	जयपुर-मुम्बई	राजस्थान/महाराष्ट्र
	इंदौर-मुम्बई	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र
	मुम्बई-भोपाल	महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश
	गोवा-बंगलौर	गोवा/कर्नाटक
	बंगलौर-गोवा	कर्नाटक/गोवा
	मुम्बई-चेन्नई	महाराष्ट्र/तमिलनाडु
	चेन्नई-मुम्बई	तमिलनाडु/महाराष्ट्र

जेट एयरवेज

वर्ष	सैक्टर	राज्य
1	2	3
1997	मुम्बई-पुना-मुम्बई	महाराष्ट्र
	मुम्बई-औरगांबाद-मुम्बई	महाराष्ट्र
	बंगलौर-मंगलौर-बंगलौर	कर्नाटक
	मुम्बई-नागपुर-मुम्बई	महाराष्ट्र
	दिल्ली-चेन्नई-दिल्ली	दिल्ली/तमिलनाडु
	चेन्नई-बंगलौर-चेन्नई	तमिलनाडु/कर्नाटक

1	2	3
	बंगलौर-पुना-बंगलौर	कर्नाटक/महाराष्ट्र
	दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली	दिल्ली/उत्तर प्रदेश
	दिल्ली-जयपुर-दिल्ली	दिल्ली/राजस्थान
	चेन्नई-कोयम्बतूर-चेन्नई	तमिलनाडु
	चेन्नई-हैदराबाद-चेन्नई	तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश
	दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-दिल्ली	दिल्ली/जम्मू और कश्मीर
	दिल्ली-श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली	दिल्ली/जम्मू और कश्मीर
	दिल्ली-पुना-दिल्ली	दिल्ली/महाराष्ट्र
1998	मुम्बई-राजकोट-मुम्बई	महाराष्ट्र/गुजरात
	मुम्बई-भुज-मुम्बई	महाराष्ट्र/गुजरात
	कोलकाता-बागडोगरा-कोलकाता	पश्चिमी बंगाल
	गुवाहाटी-इम्फाल-गुवाहाटी	असम/मणिपुर
	दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली	दिल्ली/उत्तर प्रदेश
	वाराणसी-खजुराहो-वाराणसी	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश
	दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली	दिल्ली/आंध्र प्रदेश
	मुंबई-लखनऊ-मुंबई	महाराष्ट्र/उत्तर प्रदेश
1999	चेन्नई-पोर्टब्लेयर-चेन्नई	तमिलनाडु/अंडमान और निकोबार
	चेन्नई-कोचीन-चेन्नई	तमिलनाडु/केरला
	चेन्नई-कोलकाता-चेन्नई	तमिलनाडु/पश्चिमी बंगाल
	जोरहाट-इम्फाल-जोरहाट	असाम/मणिपुर
	मुम्बई-त्रिवेन्द्रम-मुम्बई	महाराष्ट्र/केरला
	दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-दिल्ली	दिल्ली/राजस्थान
	मुम्बई-उदयपुर-मुम्बई	महाराष्ट्र/राजस्थान
	दिल्ली-चण्डीगढ़-दिल्ली	दिल्ली/चण्डीगढ़
	दिल्ली-इंदौर-दिल्ली	दिल्ली/मध्य प्रदेश
	मुम्बई-भावनगर-मुम्बई	महाराष्ट्र/गुजरात
	मुम्बई-दीव-मुम्बई	महाराष्ट्र/दीव
2000	बंगलौर-कोचीन-बंगलौर	कर्नाटक/केरला
	बंगलौर-गोवा-बंगलौर	कर्नाटक/गोवा
	बंगलौर-कोयम्बतूर	कर्नाटक/तमिलनाडु
	मुम्बई-मदुराई-मुम्बई	महाराष्ट्र/तमिलनाडु
	चेन्नई-हैदराबाद-चेन्नई	तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश
	हैदराबाद-विजाग-हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
	हैदराबाद-तिरूपति-हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
	मुम्बई-दीव-पोरबन्दर-मुम्बई	महाराष्ट्र/दीव-गुजरात

[अनुवाद]

चेन्नई में जल की कमी

3185. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कमी से निपटने के लिए जल चेन्नई पहुंचने हेतु कृष्णा नदी का जल छोड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कंडालेरू जलाशय से तमिलनाडु के लिए दिनांक 18.7.2001 से 6.8.2001 तक जल छोड़ा। तमिलनाडु ने 6.697 मिलियन घन फिट जल प्राप्त किया, जिससे चेन्नई शहर की जलापूर्ति हो रही है।

(घ) चेन्नई शहर के जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, नए रिवर्स ओसमोसिस प्लांट को लगाने, निजी कृषि कूपों को किराये पर लेने तथा रेल/रोड द्वारा जल की ढुलाई जैसे कार्य आकस्मिक आधार पर प्रारंभ किए गए हैं।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट केन्द्र

3186. **श्रीमती सुशीला सरोज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के शहरों/नगरों में कितने स्पीड पोस्ट केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यों में राज्य-वार स्थापित किए जाने वाले स्पीड पोस्ट केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है और इसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, आवश्यकता के आकलन, प्रत्याशित राजस्व तथा परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र

राज्य का नाम	खोले गए राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
आंध्र प्रदेश	—	—	1
असम	2	—	—
बिहार	—	1	—
हरियाणा	2	—	2
हिमाचल प्रदेश	—	—	3
कर्नाटक	3	1	2
केरल	—	1	—
महाराष्ट्र	1	—	1
मिजोरम	1	—	—
मध्य प्रदेश	—	2	—
नागालैंड	2	—	—
उड़ीसा	—	—	3
पंजाब	—	—	3
तमिलनाडु	1	3	1
उत्तर प्रदेश	1	2	1
पश्चिम बंगाल	—	1	—
कुल	13	11	17

विमानपत्तनों का निजीकरण

3187. श्री पी०आर० खूंटे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के चार विमानपत्तनों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई का प्रबंधन गैर-सरकारी संस्थाओं को पट्टे पर सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इससे वार्षिक कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डे की प्रबंध-व्यवस्था दीर्घावधिक आधार पर पट्टे पर सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए नियुक्त वित्तीय परामर्शदाता ने उचित परिश्रम और मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अपना चरण-I पूरा कर लिया है और अक्तूबर, 2000 में अपनी रिपोर्ट दे दी है। वित्तीय परामर्शदाताओं ने उन्हें दिये गए कार्य के चरण-II पर कार्य आरंभ कर दिया है अर्थात विक्रय ज्ञापन और विपणनन योजना को दिसम्बर, 2000 में सौंप दिया है। वार्षिक पट्टा किराया और अनंफ्रट राशि को रियायत करार की नियमों और शर्तों से संबद्ध किया गया है जो विस्तृत प्रक्रिया का एक भाग है जिसके आधार पर पट्टाधारी के चयन का निर्णय लिया जाना है। इसलिए, इस समय संभावित वार्षिक किरायों का आंकलन करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी ऑपरेटरों द्वारा खनन

3188. श्री किरीट सोमैया : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनन कार्य गैर सरकारी ऑपरेटरों को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पट्टे की वे शर्तें, कौन-सी हैं जिन पर इन खानों को पट्टे पर दिया गया है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5 (1) के अनुसार खनन पट्टा, भारतीय नागरिक अथवा कम्पनी जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 3 (1) में परिभाषित है, को प्रदान किया जा सकता है। देश में खनन संबंधी क्रियाकलाप ऐतिहासिक रूप से भारतीय नागरिक और सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र कम्पनियों द्वारा भी किए जाते रहे हैं। खनन पट्टा प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों से, निरंतर प्राप्त होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इनपर कार्रवाई की जाती है। खनन पट्टे राज्य सरकारों द्वारा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और इनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। खनन पट्टे की शर्तें खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। चूंकि खनन पट्टे प्रदान करने का कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है इसलिए प्रत्येक निजी क्षेत्र के ब्यौरे की सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 2000-2001 के दौरान निजी क्षेत्र में रिपोर्टिंग क्रियाशील खानों की कुल संख्या 2159 थी।

[हिन्दी]

हल्दीमुंडा योजना

3189. श्री विष्णुदेव साय : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने चल रही हल्दीमुंदा योजना हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है और योजना पर कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(घ) उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ में हल्दीमुण्डा स्कीम के लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन संबंधी कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत,केन्द्रीय ऋण सहायता केवल उन्हीं अनुमोदित वृहद/मध्यम परियोजनाओं को मुहैया करायी जाती है जो इस कार्यक्रम के मानकों को पूरा करती है।

[अनुवाद]

सुवर्ण रेखा बांध परियोजना

3190. श्री अमर राय प्रधान : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सुवर्ण रेखा बांध परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में नदी के बाएं तट पर नहर बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है और इसका निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि और इस परियोजना के पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) परियोजना के पूरा होने के बाद कितने क्षेत्र में सिंचाई की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव में 19-20 कि०मी० लम्बे बांये तट नहर के निर्माण की योजना है, इसे 2001 तक शुरू किया जाना है और इसको सात वर्षों में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, इन परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों और उनकी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

(ग) पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना 2001-2002 के अनुसार नवीनतम अनुमानित लागत 595 करोड़ रुपये है।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने के बाद 114.2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है।

नन्दन कानन प्राणी उद्यान में पशु चिकित्सा सुविधाएं

3191. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नन्दन कानन प्राणी उद्यान में पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण पशुओं की अनेक दुर्लभ प्रजातियां मारी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उचित रख-रखाव हेतु विशेषकर इस प्राणी उद्यान में पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) नन्दन कानन चिड़ियाघर में पशु चिकित्सा सुविधाएं आवश्यक मानकों के अनुसार है। पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी अथवा केवल पशु चिकित्सकों के भाग पर शिथिलता की वजह से संकटापन्न प्रजातियों की कोई मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर को 134 लाख रुपए की वित्तीय सहायता निम्नलिखित के लिए दी है :–

1. सुरक्षा बाड़, दीवार प्रदान करने हेतु।
2. चिड़ियाघर के जानवरों के लिए संबंधित जलापूर्ति।
3. बाघ सफारी के लिए पशु आवास चेन लिंक फैंसिंग।
4. पशु चिकित्सालय का नवीनीकरण और चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विकास करना।
5. उन्त पृथक हॉल और स्कवीज़ सुविधाओं की व्यवस्था।

छत्तीसगढ़ में वन्य जीव संरक्षण

3192. डा० चरणदास महंत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए बनाए गए छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न संभावनाएं क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन्य जीव संरक्षण हेतु कुल कितना आवंटन किया गया और कितनी राशि खर्च की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत धनी जैव विविधता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85 प्रतिशत वनों के अन्तर्गत आता है। तीन राष्ट्रीय उद्यानों और दस वन्यजीव अभयारण्यों के अन्तर्गत लगभग 6348 वर्ग कि०मी० क्षेत्र आता है। अत: राज्य के पास वन्यजीव संरक्षण के लिए बहुत संभावनाएं हैं।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों हेतु पिछले तीन वर्षों (1998-99, 1999-2000 और 2000-01) के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता इस प्रकार है :–

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	योजना का नाम	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
1.	राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों का विकास	156.953	89.90*
2.	बाघ परियोजना	98.75	48.69
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास	24.9	शून्य

*वर्ष 2000-01 के दौरान जारी की गई निधियों के पूरे उपयोगिता आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

उड़ीसा में बाढ़ के कारण सड़कों को हुई क्षति का आकलन

3193. श्री अनन्त नायक : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में राज्य की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों को बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) उड़ीसा में हाल की बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति के बारे में राज्य सरकार से प्रारम्भिक आकलन रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 200, 201, 215, 6, 23, 42, 5 और 5क के कुछ खंड प्रभावित हुए। मरम्मत कार्य तत्काल शुरू किए गए और यातायात बहाल हो गया। तत्काल मरम्मत कार्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा 3.00 करोड़ रु० की राशि दी गई है। राज्यीय सड़कें, राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आती हैं।

सेवा कर का वसूल न कर पाना

3194. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पीच सर्किट्स, पी०बी०एक्स, नॉन एक्सचेंज आदि पर सेवा कर लगाने के संबंध में स्पष्टीकरण को परिचालित करने हेतु दूरसंचार विभाग की विफलता के कारण चेन्नई, बेंगलूर, भोपाल, राजस्थान और पंजाब में दूरसंचार इकाईयों में करोड़ों रुपए का सेवा कर वसूल नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) मामले के तथ्य निम्नानुसार हैं। दूरसंचार विभाग ने "टेलीफोन कनेक्शनों" पर सेवा कर लगाने के संबंध में वित्त मंत्रालय के आदेशों को संलग्न करते हुए जुलाई, 1994 में अपनी इकाइयों को अनुदेश जारी किये थे।

दो वर्षों के पश्चात्, दूरसंचार विभाग की दो इकाइयों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या सेवा कर स्पीच सर्किटों, नॉन-एक्सचेंज लाइनों, पी०बी०एक्स० आदि जैसी वायस सेवाओं पर लागू हैं। इसका उत्तर उन्हें सकारात्मक बताया गया।

तथापि, बाद में यह जानकारी मिली कि दूरसंचार विभाग की चेन्नई, बंगलूर, भोपाल, राजस्थान और पंजाब इकाइयों ने इन सेवाओं पर लगभग दो करोड़ रुपये के सेवा कर की वसूली नहीं की है। इस मामले में समुचित स्पष्टीकरण और निर्देश तद्नुसार इन इकाइयों और अन्य इकाइयों को जारी किए गए।

उपरोक्त इकाइयों ने अल्प-बिल वाली 90% से अधिक राशि की वसूली कर ली है और शेष राशि की वसूली के लिए वे सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

दमन गंगा नदी में प्रदूषण

3195. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नानी दमन और मोती दमन से होकर गुजरने वाली और अरब सागर से जुड़ने वाली दमन गंगा नदी वापी नगर में स्थापित रासायनिक उद्योगों द्वारा छोड़े गए गंदे खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से अधिक प्रदूषित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चूककर्ता उद्योगों के विरुद्ध उसी दमन गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दमन गंगा नदी की जलगुणता पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि वापी साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र के बहिस्राव निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। आस पास के क्षेत्र में स्थित मद्य निर्माण शाला के बहिस्राव और दमन शहर का अशोधित सीवेज नदी में प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। अध्ययन के अन्य निष्कर्ष आगे यह बताते हैं कि मधुबन बांध से गुजरात औद्योगिक विकास निगम तक का नदी का भाग साफ है जबकि गुजरात औद्योगिक विकास निगम से समुद्र में मिलने तक का भाग अर्थात दमनगंगा पुल के अधोप्रवाह तक का नदी का भाग औद्योगिक अपशिष्ट जल और वापी के घरेलू सीवेज के कारण प्रदूषित है।

(ख) नदी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वापी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लघु उद्योगों को साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र से जोड़ दिया गया है जिसकी क्षमता 55 मिलियन लीटर प्रति दिन की है। बड़े और मध्यम दर्जे की इकाइयों ने अपनी स्वयं की अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित की है। गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र को संतोषजनक ढंग से परिचालित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि निर्धारित मानकों को पूरा किया जा सके। वापी को समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में भी अभिनिर्धारित किया गया है और कार्रवाई बिन्दु तैयार किए गए हैं जिन्हें संबंधित प्राधिकारियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन सेवाएं

3196. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या संचार मंत्री खराब एस०टी०डी० और स्थानीय दूरभाष सेवाओं के बारे में 18.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4463 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना के कब तक एकत्र कर लिए जाने और सभापटल पर रखे जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) उपर्युक्त प्रश्न के सन्दर्भ में लोक सभा को दिए गए आश्वासन के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट लोक सभा को भेज दी गयी है। उसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

तेरहवीं लोक सभा का पांचवां सत्र 2000

मंत्रालय संचार विभाग दूरसंचार आश्वासन की पूर्ति की तिथि 19.03.2001

प्रश्न सं० तिथि और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
अतारांकित प्रश्न सं० 4463 दिनांक 16.12.2000 को श्री रवि प्रकाश वर्मा द्वारा पूछा गया प्रश्न।	खराब एस०टी०डी० और स्थानीय दूरभाष सेवाएं पूछा गया कि (क) जनवरी, 2000 से आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश में जिलावार, विशेषकर खीरी (लखीमपुर) जिले में कितने स्थानों पर एस०टी०डी० और स्थानीय सेवाएं खराब पड़ी रहीं; (ख) क्या इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के खीरी और मोहनलाल गंज के विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में दूरभाष सेवाएं निर्बाध रूप से काम करती रहीं; (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी दूरभाष केन्द्रवार ब्यौरा क्या है; और	(क) से (घ) :– सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	उत्तर अनुबंध 'क' के साथ संलग्न है।	क्षेत्रीय इकाईयों से उत्तर आने में देरी हुई।

1	2	3	4	5
	(घ) उत्तर प्रदेश में दूरभाष सेवाओं के खराब होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस राज्य में बेहतर दूरभाष सेवाएं प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?			

अनुबंध-क

(क) इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जिला खीरी (लखीमपुर) में एस०टी०डी० तथा स्थानीय टेलीफोन सेवाएं सामान्यत: संतोषजनक रहीं।

(ख) जी, हां। तथापि, दिनांक 23.03.2000 तथा 19.09.2000 को मोहनलाल गंज दूरभाष केन्द्र (लखनऊ) तथा खीरी में औरंगाबाद दूरभाष केन्द्र में टेलीफोन सेवाएं प्रभावित हुई थीं।

(ग) टेलीफोन सेवाएं, मोहनलालगंज दूरभाष केन्द्र (लखनऊ) में 23.03.2000 को 2300 बजे से 2400 बजे तक, 19.09.2000 को 0900 बजे से 2100 बजे तक तथा लखीमपुर खीरी में औरंगाबाद दूरभाष केन्द्र में 12 घंटे तक प्रभावित रहीं थीं।

(घ) मोहनलालगंज दूरभाष केन्द्र में टेलीफोन सेवाओं में रूकावट के निम्नलिखित कारण हैं :–

(i) दूरभाष केन्द्र उपस्कर बदलने के कारण,

(ii) ओ०एफ०सी० केबल की क्षति के कारण

तथा लखीमपुर खीरी में ए०सी० मेन में लीकेज होने के कारण, दूरभाष केन्द्र में कुछ कार्ड प्रभावित हुए। तथापि, दोनों दूरभाष केन्द्रों में टेलीफोन सेवाएं बहाल करने के लिए तत्काल कार्यवाही की गई थी।

राज्य में बेहतर टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

(i) उपभोक्ता परिसरों तक केबल जालतंत्र को कम करने के लिए अधिक-से-अधिक रिमोट लाइन यूनिट खोलना, क्योंकि केबल जालतंत्र का दोष दर बढ़ाने में प्रमुख योगदान होता है।

(ii) वायरलैस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी तथा जालतंत्र में डिजिटल लाइन कन्सेन्ट्रेटर आरंभ करना।

(iii) चरणबद्ध रूप से उपभोक्ता के परिसर तक पहुंचने के लिए, ड्रॉप वायर के स्थान पर 5 पेयर पी०आई०जे०ई० केबल का प्रयोग करना।

(vi) दोषों की बेहतर निगरानी करने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करना।

(v) ज्यादा-से-ज्यादा एक्सचेंजों में चरणबद्ध रूप से विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान करना।

(vi) लंबी अवधि के पॉवर ब्रेकडाउन की समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण एक्सचेंजों में अनुरक्षण रहित बैटरी सेटों तथा स्टैंडबाइ जनरेटर प्रदान करना।

(vii) ऑप्टिकल जालतंत्र में सैल्फ हीलिंग स्ट्रक्चर प्रदान करना जिसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ती है।

(viii) उपग्रह 2 एम०बी०/8 एम०बी०/34 एम०बी०आई०डी०आर० पर दूरस्थ स्थानों को डिजिटल संपर्कता प्रदान करना।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम विमानपत्तन हेतु भूमि

3197. श्री वाई०वी० राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मौजूदा विशाखापत्तन विमानपत्तन के अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन में परिवर्तन को सुकर बनाने हेतु अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एम०सी०एल०आर० विमानों के प्रचालनों के लिए, विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के कोटिउन्नयन के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट/राज्य सरकार से 242 एकड़ भूमि को लेने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस संबंध में मामले को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है इस समय इस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की कोई योजना नहीं है।

विशाखापत्तनम में प्रकृति उद्यान की स्थापना

3198. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रकृति उद्यान के लिए स्वीकृति देने और उसके वित्त पोषण हेतु सरकार ने अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्यान को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) प्राकृतिक वनस्पतिजात और प्राणीजात के परिरक्षण और सुधार के लिए आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के कम्बलकोंडा वन ब्लाक के 6037.33 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रकृति उद्यान के रूप में विकसित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 20.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। चूंकि प्रकृति उद्यान का अस्तित्व कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है अत: राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाए। केन्द्र सरकार अभयारण्य के विकास के लिए उसी अवस्था में सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति में हो सकती है जब एक बार यह अभयारण्य के रूप में अधिसूचित हो जाता है।

विशाखापत्तन विमानपत्तन का उन्नयन

3199. **श्री राजैया मल्याला** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास और उद्योग के संवर्धन हेतु आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में एक नए अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तन में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भूमि की लागत को छोड़कर, 105 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विशाखापत्तनम हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर मध्यम क्षमता वाले लंबी रेंज (एम०सी०एल०) श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के उपयुक्त 10,000 फुट लम्बे × 150 फुट चौड़े एक नये धावनपथ के निर्माण का प्रस्ताव है। सभी मौसम में प्रचालन के लिए नये एप्रन, लिंक टैक्सीपथ के निर्माण, दिक्चालनात्मक सुविधाओं और भूमि-प्रकाश व्यवस्था सुविधाओं की संस्थापना, चारदीवारी, परीधि सड़क, उप-अग्निशमन, पहुंच-सड़क इत्यादि के निर्माण और अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को हैंडिल करने के लिए एक नये समेकित टर्मिनल के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में सांगली प्राणी उद्यान में पशुओं की मौत

3200. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सांगली प्राणी उद्यान में बयालीस शेरों में से अब पच्चीस शेर बचे हैं;

(ख) क्या प्राणी उद्यान के प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण तेंदुए, चौसिंगे, मोर जैसे अन्य पशु मारे जाते हैं और सांगली प्राणी उद्यान से लघु सर्प पार्क भी अलग कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सांगली प्राणी उद्यान में वर्तमान स्थिति की जांच करने का है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार पशुओं की मौतें किस प्रकार रोकने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) वर्तमान में, महाराष्ट्र के सांगली चिड़ियाघर में केवल 15 शेर हैं। 15 शेरों को अन्य चिड़ियाघरों और उद्धार केन्द्रों में स्थानांतरित किया गया है। वर्ष 1998 और 2000 के दौरान 12 शेरों और 2 चितकबरे हरिणों की मृत्यु की सूचना मिली है। 2 मयूरों और एक तेंदूए की मृत्यु वर्ष 1992 में हुई। सांगली चिड़ियाघर में उपयुक्त आवास-स्थल और स्वास्थ्य परिचर्चा की सुविधाएं नहीं थीं। अत: केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा इस चिड़ियाघर को मान्यता नहीं दी गई थी। प्रतिक्रिया स्वरूप चिड़ियाघर के प्राधिकारियों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए, जानवरों की आवास व्यवस्था और स्वास्थ्य परिचर्चा सुविधाओं में सुधार किया तथा चिड़ियाघर के लिए एक नियमित पशुचिकित्सक की नियुक्ति की। चिड़ियाघर में सर्प-उद्यान को बन्द कर दिया गया।

बाढ़ और वर्षा के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

3201. **श्री शिवाजी माने** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में हाल ही में आई बाढ़ और भारी वर्षा के कारण कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इनकी शीघ्र मरम्मत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 निजामुद्दीन पुल से लेकर इलैक्ट्रानिक सिटी नोएडा तक जीर्णावस्था में है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) अभी हाल में आई बाढ़ के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों को भारी क्षति होने की सूचना है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी राष्ट्रीय राजमार्गों को कुछ नुकसान पहुंचने की सूचना है।

(ग) इस मंत्रालय के वर्तमान निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को तत्काल मरम्मत कार्य करने होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को 3-3 करोड़ रु० दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा बेसिन में सिंचाई परियोजना

3202. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री कोलूर बसवनागौड़ :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृष्णा बेसिन में दीर्घ और लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो विचाराधीन हैं और परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पूर्व प्रभावित राज्य से परामर्श न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा बेसिन में उन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जो कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश को किए गए आबंटन के अंतर्गत आती हैं।

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार ने 5 परियोजनाओं अर्थात – श्रीसैलम बायां तट नहर, पुलीचिंताला डायवर्जन, भीमा लिफ्ट सिंचाई, तेलुगु-गंगा और श्रीसैलम दायां तट नहर के निर्माण के संबंध में आपत्ति प्रकट की है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1981 में श्रीसैलम दायां तट नहर को निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1996 में कुछ शर्तों के आधार पर पुलीचिंताला एवं भीमा लिफ्ट को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभी पूरा किया जाना है। इसलिए, इन परियोजनाओं को अभी तक योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है। तेलुगु-गंगा और श्रीसैलम बायां तट नहर को केन्द्र द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और उनके कार्यान्वयन आदि का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का होता है जिसे वे अपने निजी संसाधनों तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

प्रचार पर खर्च की गई धनराशि

3203. **डा० बलिराम :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रचार पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप किस अनुपात में मुनाफा और घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार को डॉल्फिन सेवा के प्रचार पर उक्त धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के खर्चों पर नियंत्रण के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) प्रचार के कारण खर्च की गयी धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा :

वर्ष	दिल्ली	मुंबई	निगमित कार्यालय
1998-1999	3.50 करोड़	15.38 करोड़	3.94 करोड़
1999-2000	4.21 करोड़	17.53 करोड़	5.76 करोड़
2000-2001	5.59 करोड़	8.06 करोड़	8.75 करोड़

(ख) प्रचार पर हुए लाभ तथा घाटे का अनुपात एक विषयगत मामला है जिसकी गणना लाभ और घाटे के आधार पर नहीं की जा सकती। तथापि, विभिन्न ''ऐड'' अभियानों पर खर्च की गई धनराशि का लाभ एम०टी०एन०एल० के छवि निर्माण से परिलक्षित हुआ है और इसके जरिए जन सामान्य तथा हमारे उपभोक्ताओं को व्यापक जानकारी प्रदान की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) चूंकि एम०टी०एन०एल० एक नवरत्न सरकारी क्षेत्र का उपक्रम (पी०एस०यू०) है, इसलिए एम०टी०एन०एल० कोई प्रचार खर्च पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कम्पनी द्वारा बी०टी० कॉटन को प्रस्तुत करना

3204. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कम्पनी के ट्रांसजेनिक बी०टी० कॉटन की संकर किस्मों के वाणिज्यिक प्रवेश को रोक रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके प्रवेश के विरुद्ध पर्यावरणविदों द्वारा की गई आपत्तियों के बाद महायकों की बी०टी० कॉटन की संकर किस्मों के परीक्षणों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से जन्में जीवों अथवा सेलों के विनिर्माण उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण नियमावली, 1989 के नियम 4 के अंतर्गत गठित आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ट्रांसजेनिक बी०टी० कपास को रिलीज करने के प्रस्ताव पर अपनी 19.6.2001 को हुई बैठक में विचार किया था। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी०ई०ए०सी०) ने यह पाया कि महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी द्वारा शुरू किए गए बी०टी० कपास पर बड़े पैमाने पर फील्ड परीक्षणों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े विलम्ब से बुआई के कारण सही मान प्रस्तुत नहीं कर सके। यह निश्चय किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में उनके अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के उन्नत उपजातीय परीक्षणों के तहत बड़े पैमाने पर पुनः परीक्षण किए जाएं। इसके अलावा आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने लगभग 100 हैक्टेयर क्षेत्र में किसानों के खेतों पर फील्ड परीक्षण करने के लिए महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी को मंजूरी प्रदान की है।

[हिन्दी]

एम०टी०एन०एल० में भ्रष्टाचार

3205. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली और मुम्बई में भ्रष्टाचार के बारे में जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा एम०टी०एन०एल० से भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

(ग) और (घ) जहां कहीं आवश्यकता हो, मामलों की जांच की जाती है जैसाकि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) एम०टी०एन०एल० दिल्ली और मुम्बई में एक पूर्णरूपेण सतर्कता स्कंध कार्य कर रहा है। सतर्कता संबंधी सभी मामलों की जांच करने के लिए निगमित कार्यालय में पूर्ण कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के तहत एक सतर्कता कक्ष भी कार्य कर रहा है।

विवरण

क्र०सं०	शिकायत का ब्यौरा	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	डी०जी०एम० (रोकड़) द्वारा निजी लाभ के लिए सरकारी राशि के दुरुपयोग के संबंध में महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ की दिनांक 10.7.99 की शिकायत	एम०टी०एन०एल० के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई है। आरोप सही नहीं पाए गए।
2.	एम०टी०एन०एल०, दिल्ली और मुंबई में वाहनों के दुरुपयोग के संबंध में डा० बलिराम, संसद सदस्य (लोकसभा) की दिनांक 21.3.2000 की शिकायत	वाहनों के दुरुपयोग के किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं दी गई थी। दिल्ली और मुम्बई के मुख्य महाप्रबंधक को वाहनों के दुरुपयोग के संबंध में कड़ी नजर रखने का अनुदेश दिया गया था।
3.	एम०टी०एन०एल० कर्मचारियों के लिए वर्दी और जूतों की खरीद के लिए निविदा में अनियमितताओं के संबंध में श्री रघुराज सिंह शाक्य, संसद सदस्य (राज्य सभा) की दिनांक 5.5.2000 की शिकायत	माननीय संसद सदस्य की शिकायत के आधार पर निवारक कार्रवाई की गई और बाद में खुली निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए खरीद की गई।
4.	केबल बिछाने और खराब केबलों के रखरखाव के लिए ठेकेदारों से भारी कमीशन लेने के संबंध में भारतीय टेलीफ़ोन कर्मचारी	मामले की जांच की गई कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तथापि, केबल बिछाने और जांच परीक्षण संचालित करने संबंधी समुचित रिकार्डों के

1	2	3
	संघ श्रेणी-III की दिनांक 16.5.2000 की शिकायत	रखरखाव के संबंध में महाप्रबंधक (सत्तर्कता) एम०टी०एन०एल० दिल्ली द्वारा सामान्य अनुदेश जारी किए गए।
5.	सरकारी वाहन का उपयोग करते समय एम०टी०एन०एल० कर्मचारी संघ के महासचिव के दुर्घटना के शिकार होने आदि के संबंध में भारतीय महानगर टेलीफोन कर्मचारी संघ की शिकायत (तारीख नहीं है)	एम०टी०एन०एल० के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच की गयी है। मामला सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है।
6.	काली सूची में डाली गई एक कम्पनी के बिलों को पास करने में अनियमितताओं के संबंध में श्री एस०पी० खुल्लर, महाप्रबंधक (ट्रांस), एम०टी०एन०एल०, दिल्ली और श्री अवतार सिंह, मुख्य लेखा अधिकारी के विरुद्ध डा० बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 23.10.2000 की शिकायत	मामले की जांच की गयी। आरापों को सही नहीं पाया गया। तथापि, प्रशासनिक कारणों से मुख्य लेखा अधिकारी, श्री अवतार सिह का महाप्रबंधक (ट्रांस), के कार्यालय से स्थानांतरण कर दिया गया।
7.	आई०एस०डी०/एस०टी०डी० लाइनों के दुरुपयोग के संबंध में श्री पी०सी० थामॅस, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 11.11.2000 की शिकायत	सतर्कता स्कंध द्वारा सी०बी०आई० के समन्वय के छापे मारे गए और उन मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं जहां दुरुपयोग का पता लगा था।
8.	एम०टी०एन०एल० दिल्ली ईकाई के विधिक कक्ष में फैले भ्रष्टाचार, भाई-भतीजाबाद, मनमानापन और अवज्ञा के संबंध में भारतीय टेलीफोन कर्मचारी संघ श्रेणी-III की शिकायत (तारीख नहीं है)	एम०टी०एन०एल०, दिल्ली के सतर्कता स्कंध द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
9.	केबल बिछाने के लिए ट्रेंचों की खुदाई और एम०टी०एन० एल० मुंबई में दूरभाष निदेशिकाओं के वितरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में डा० बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 5.12.2000 की शिकायत	सी०बी०आई० ने ट्रेंचों की खुदाई में अनियमितताओं के लिए एम०टी०एन०एल० के 11 अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। दूरभाष निर्देशिकाओं के वितरण में अनियमितताओं के संबंध में लिप्त तीन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।
10.	गोकुलधाम एक्सचेंज मुम्बई में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्रीमती तूफानी सरोज, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 25.1.2001 की शिकायत	मामले की जांच की गयी। भ्रष्टाचार का कोई मामला साबित नहीं हुआ।
11.	निविदा के निबंधन और शर्तों में छूट देकर ट्रेंचिंग/केबल बिछाने के लिए ठेकेदारों को काम पर लगाने सम्बन्धी श्री पप्पू यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 4.2.2001 की शिकायत	मामले की जांच की गयी है। आरोप सही नहीं पाए गए थे।
12.	एम०टी०एन०एल० दिल्ली द्वारा एम०टी०एन०एल०, स्टाफ यूनियन से डायरी की खरीद में कथित अनियमितताओं, के सम्बन्ध में भारतीय महानगर टेलीफोन कर्मचारी संघ की शिकायत (तारीख नहीं है)	एम०टी०एन०एल० के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच की गयी है। मामला सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है।
13.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में पदस्थापित सीनियर टेलीफोन आपरेटर, श्रीमती रश्मि कक्कर की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में डा० बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 29.6.2001 की शिकायत	मामले की जांच की जा रही है।

1	2	3
14.	सेल्फ-ड्राइविंग स्कीम के तहत एम०टी०एन०एल० में 30 मरूति–800 कारों की खरीद में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में डा० बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 29.6.2001 की शिकायत	मामले की जांच की जा रही है।
15.	प्रबंधन द्वारा अनुत्पादक और फालतू व्ययों पर एम०टी०एन०एल० निधियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में डा० बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 29.6.2001 की शिकायत	मामले की जांच की जा रही है।
16.	एम०टी०एन०एल० के निगमित कार्यालय के उपमहाप्रबंधक (वित्त) महाप्रबंधक (वित्त) और निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय शक्तियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में डा० बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 3.7.2001 की शिकायत	मामले की जांच की जा रही है।

अनुदेशकों के लिए राष्ट्रीय अनुशासन योजना कार्यक्रम (एन०डी०एस०आई०)

3206. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार को अनुदेशकों के लिए राष्ट्रीय अनुशासन योजना कार्यक्रम (एन०डी०एस०आई०) के तहत जारी की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जब कभी राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होता है, केन्द्र सरकार एन०डी०एस०आई० के लिए धनराशि जारी करती है।

पिछले चार वर्षों के दौरान, राजस्थान सरकार को इसके लिए 325.00 लाख रु० की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गयी थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	धनराशि
1997-98	160.00 लाख रुपये
1998-99	80.00 लाख रुपये
1999-2000	70.00 लाख रुपये
2000-2001	15.00 लाख रुपये
	325.00 लाख रुपये

चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए, राजस्थान राज्य से अनुदानों के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

3207. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार इस योजना में संशोधन करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गंगा कार्य योजना

3208. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से चलाई जा रही गंगा कार्य योजना (जी०ए०पी०)-II के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम और वाराणसी नगर निगम की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया हैं;

(ग) जी०ए०पी०-II पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) जी०ए०पी०-II पर कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सरकार को वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए गंगा कार्य योजना चरण-II के कार्यों के लिए दो अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनमें एक उत्तर प्रदेश जल निगम और दूसरा वाराणसी में एक गैर-सरकारी संगठन संकटमोचन फाउंडेशन से प्राप्त हुआ है। वाराणसी नगर निगम ने दोनों प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है ताकि सबसे उपयुक्त प्रस्ताव सरकार को भेजा

जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों प्रस्तावों की गुण-दोष के आधार पर जांच करने के बाद उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रस्ताव को सरकार के पास विचारार्थ और स्वीकृति हेतु भेजा है। दोनों ही प्रस्तावों की पिछले चार वर्षों के दौरान अनेक तकनीकी विशेषज्ञों और समितियों द्वारा जांच की गई। इन प्रस्तावों पर 13 जुलाई, 2001 को सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति में आगे विचार किया गया था। सभी विचारों को सुनने एवं उन पर विचार करने और सभी संगत ब्यौरों को ध्यान में रखने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम का प्रस्ताव अधिक व्यवहारिक एवं उपयुक्त है जिसे अन्ततः कार्यान्वयन के लिए चुना गया है।

(ग) और (घ) गंगा कार्य योजना चरण-II का कार्यान्वयन के लिए 1993 और 1996 के बीच चरणों में अनुमोदन किया गया था और इसमें गंगा नदी के साथ इसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती और दामोदर के प्रदूषण निवारण कार्यों को भी शामिल किया गया था। यह योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है और दिसम्बर, 2005 में पूरी होनी है। गंगा कार्य योजना चरण-II की कुल अनुमोदित लागत 1498.86 करोड़ रुपए है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार

3209. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्तमान वाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (के०एन०पी०) का मूल रूप में अधिसूचित क्षेत्र 430 वर्ग कि०मी० था। तदुपरान्त, बाढ़ों के दौरान जानवरों को सुरक्षित स्थान प्रदान करवाने तथा जानवरों को कारबी-एंगलोंग परिषद् वनों में आवागमन के उद्देश्य से रास्ते प्रदान करने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा उद्यान में निम्नलिखित छः वृद्धियां करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई :

(i) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम वृद्धि 43.78 वर्ग कि०मी०

(ii) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दूसरी वृद्धि 6.47 वर्ग कि०मी०

(iii) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में तीसरी वृद्धि 0.69 वर्ग कि०मी०

(iv) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चौथी वृद्धि 0.89 वर्ग कि०मी०

(v) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पांचवी वृद्धि 1.15 वर्ग कि०मी०

(vi) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छठी वृद्धि 376.00 वर्ग कि०मी०

प्रथम चौथी तथा छठी वृद्धियों के संबंध में अधिवास संबंधी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

(ग) और (घ) मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 430 वर्ग कि०मी० के मूल रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कोई अनधिकृत बस्ती नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम तथा छठी बढ़ोत्तरी में 50,000 अधिवासी हैं जिसके लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दूसरी वृद्धि में अतिक्रमणकारियों की संख्या लगभग 500 है। इस वृद्धि के संबंध में अन्तिम अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। अतिक्रमणकारियों ने उनको निकाले जाने के विरुद्ध माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है। राज्य वन विभाग, उक्त स्थगन आदेश को खारिज करवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

[हिन्दी]

गाद का जम जाना

3210. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से बहकर आने वाली नदियों से उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में गाद जमा हो गयी है जिसके कारण बाढ़ें आती हैं और बड़े पैमाने पर भूमि कटाव होता है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या इस संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) नेपाल से निकलने वाली नदियों से उत्तरी बिहार में जमने वाली गाद को रोकने के लिए निम्नलिखित बहुउद्देश्यीय भण्डारण परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है, जिन पर नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है :–

(i) कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध एवं संकोसी परियोजनाएं।

(ii) कमला नदी पर कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना।

(iii) बागमती नदी पर बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना।

उपर्युक्त तीन परियोजनाओं में से क्र०सं० (ii) और (iii) में उल्लिखित परियोजनाओं के लिए बिहार सरकार ने भण्डारण जलाशयों के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियां

3211. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न नदियों के कितने जल का प्रवाह पाकिस्तान में होता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) आज की तारीख तक चालू वर्ष के दौरान रावी, सतलज और गैर-बारहमासी रूप में पाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली घग्गर नदियों का बहिर्वाह (आउटफ्लो) बहुत मामूली रहा है।

(ख) और (ग) सतलज और व्यास नदियों पर स्थित मौजूदा बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं के अतिरिक्त रावी नदी पर स्थित रणजीत सागर बांध को पूरा कर लिया गया है और जल की औसत मात्रा के भण्डारण और उपयोग के लिए इस वर्ष इसका उद्घाटन किया गया है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना का चरण-I लगभग पूरा कर लिया गया है जबकि चरण-II पूरा किया जा रहा है। सिद्धपुर नोहर परियोजना भी पूरी होने वाली है। इन परियोजनाओं तथा सतलज-यमुना संपर्क नहर के पूरा होने पर रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल के बहुत बड़े भाग का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति ने दिनांक 3.8.1999 को आयोजित अपनी 71वीं बैठक में 101.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली घग्गर बाढ़ नियंत्रण संबंधी संशोधित परियोजना – राजस्थान (बृहद), को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

डाकघरों में दी जाने वाली सुविधाएं

3212. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा डाकघरों के माध्यम से स्वचालित गणक, प्लास्टिक कार्ड और म्यूचुअल फंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इस संबंध में कौन-कौन सी संस्थाओं के साथ समझौता किया गया है; और

(घ) ऐसा किए जाने से सरकार और जनता को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) प्रायोगिक आधार पर 215 डाकघरों से चुनी हुई म्युचुअल फंड कंपनियों की ओर से म्युचुअल फंड का वितरण शुरू किया गया है। कुछ संस्थानों ने ऑटोमैटिड टैलर मशीन तथा प्लास्टिक कार्ड मोल्यूशन जैसी सेवाएं शुरू करने के लिए डाक विभाग से बात की है। इन प्रस्तावों पर प्रचालन, तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता के अध्यधीन निर्णय लिया जाएगा।

डाकघर के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के म्युचुअल फंडों का वितरण होने से जनता के लिए ये उत्पाद लेना आसान हो गया है। इन स्कीमों से सरकार अतिरिक्त राजस्व जुटा रही है।

[अनुवाद]

रोजगार सृजन

3213. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संगठित निजी क्षेत्र में अलग-अलग कितनी नौकरियां सृजित की गईं; और

(ख) निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति के परिणामस्वरूप छंटनी किये जाने, उद्योगों को बंद किये जाने अथवा तालाबंदी किये जाने के कारण कितने व्यक्तियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 31 मार्च, 1998, 1999 एवं 2000 की स्थिति के अनुसार देश के केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय निकायों, केन्द्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संगठित निजी क्षेत्र में कुल रोजगार निम्नानुसार था :–

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय निकाय	केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	निजी संगठित क्षेत्र*
1998	129.5	64.6	87.4
1999	130.2	63.8	86.9
2000	129.8	63.2	86.4

*निजी क्षेत्र के सभी गैर कृषीय प्रतिष्ठान जिनमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, निजी संगठित क्षेत्र में शामिल हैं।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्रित की गई सूचना के अनुसार 1991 से सितम्बर, 2000 के दौरान छंटनी, उद्योगबंदी व तालाबंदी के कारण प्रभावित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 0.3 लाख, 1.6 लाख व 5.95 लाख के लगभग थी। चूंकि ये आंकड़े स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किए गए है अतः हो सकता है कि इसमें संपूर्णता न हो।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में खनिज भंडार

3214. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खनिज भंडारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख अयस्कों/खनिजों के प्राप्य भंडारों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने स्वर्ण और आधार-धातुओं के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर, सिद्धि, कटनी और बेतूल जिलों में खनिज अन्वेषण आरंभ किए हैं तथा खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम०ई०सी०एल०) बालाघाट जिले में तांबे के लिए अन्वेषण करेगी।

विवरण

मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में खनिज संसाधन

क्र० सं०	जिला	खनिज	1.4.1995 की स्थिति के अनुसार प्राप्य भंडार	इकाई
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	बॉक्साइट	11168	हजार टन
		*तांबा		
		अयस्क	170906	हजार टन
		धातु	1843	हजार टन
		डोलोमाइट	68249	हजार टन
		चूनापत्थर	71255	हजार टन
		मैंगनीज अयस्क	23645	हजार टन
		*मोलीब्डेनम		
		अयस्क	80,00,000	टन
		धातु	2,762	
		क्वार्टजाइट	2697	हजार टन
2.	बेतूल	चीनी मिट्टी	111	हजार टन
		फायर क्ले	346	हजार टन
		लौह अयस्क (है०)	8	हजार टन
		ग्रेफाइट	10128	टन
		*सीसा-जस्ता (अयस्क)	615	हजार टन
		*सीसा (धातु)	—	—
		*जस्ता धातु	25.94	हजार टन
3.	छिंदवाडा	चीनी मिट्टी	72	हजार टन
		डोलोमाइट	17723	हजार टन
		फायर क्ले	36	हजार टन
		चूना पत्थर	840	हजार टन
4.	धार	बेराइट	24500	टन
		चूना पत्थर	180068	हजार टन
		क्वार्टजाइट	8	हजार टन
		टैल्क-स्टीटाइट-सोपस्टोन	872	हजार टन
5.	झबुआ	केलसाइट	52755	टन
		डोलोमाइट	629525	हजार टन
		चूनापत्थर	118	हजार टन
		*रॉक फॉस्फेट	23560132	टन
		टैल्क-स्टीटाइट-सोपस्टोन	3368	हजार टन
6.	खारगांव	केलसाइट	270359	टन
		चाइना क्ले	15	हजार टन
		चूना पत्थर	175309	हजार टन
		क्वार्टजाइट	35	हजार टन
7.	सिओनी	डोलोमाइट	227915	हजार टन
8.	माडला	डोलोमाइट	85468	हजार टन
		ओकर	284670	टन
		फुलर्स अर्थ	58600	टन
		बॉक्साइट	12421	हजार टन
9.	शहडोल	बॉक्साइट	3414	हजार टन
		चाइना कले	135	हजार टन
		फेल्सपर	9	टन
		फायर क्ले	15565	हजार टन
		जिप्सम	0.35	हजार टन
		चूना पत्थर	400	हजार टन
		ओकर	247140	टन
		क्वार्टजाइट	22	हजार टन
10.	सिद्धी	बेराइट	82600	टन
		बॉक्साइट	140	हजार टन
		चाइना क्ले	1	हजार टन

1	2	3	4	5
		फायर क्ले	155	हजार टन
		सिल्लीमेनाइट	50800	टन
		चूना पत्थर	336467	हजार टन

*1.4.2000 की स्थिति के अनुसार

उपरोक्त के अलावा मध्य प्रदेश की सिंगरौली कोयला फील्ड में 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल 14360.80 मिलियन टन भूवैज्ञानिक भंडार की पुष्टि की गई है।

[अनुवाद]

रांची को राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से जोड़ा जाना

3215. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची को चक्रधरपुर, चाइबासा, जयंतगढ़, चंपुआ और झुमपुरा के रास्ते क्योंझर में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से सड़क द्वारा जोड़े जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए अनुमानत: कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) रांची, रेमुली तक राज्यीय सड़कों से और रेमुली से क्योंझर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 215 से पहले ही जुड़ा हुआ है।

(ग) राज्यीय सड़कों के लिए धनराशि संबंधित राज्यों द्वारा आबंटित की जाती है।

[हिन्दी]

बी०एस०एन०एल० द्वारा मोबाइल टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराया जाना

3216. श्री वाई०जी० महाजन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) के माध्यम से मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) दिसम्बर 2001 से नेटवर्क रोल आउट की आशा है।

(घ) परियोजना का अनुमानित व्यय चरणबद्ध रूप में लगभग 2500 करोड़ रुपये है।

विवरण

नियोजित कवरेज के राज्य-वार ब्यौरे

क्र०सं०	राज्य	नगरों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	1
2.	आंध्र प्रदेश	85
3.	असम	23
4.	बिहार	32
5.	छत्तीसगढ़	15
6.	गुजरात	74
7.	हरियाणा	40
8.	हिमाचल प्रदेश	20
9.	झारखंड	17
10.	जम्मू और कश्मीर	14
11.	कर्नाटक	26
12.	केरल	100
13.	मध्य प्रदेश	54
14.	महाराष्ट्र	124
15.	उत्तर पूर्व	49
16.	उड़ीसा	38
17.	पंजाब	62
18.	राजस्थान	40
19.	तमिलनाडु	68
20.	उत्तरांचल	13
21.	उत्तर प्रदेश	91
22.	पश्चिम बंगाल	35

** असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के लिए सेवा शुरू करने संबंधी योजनाएं सरकार की क्लीयरेन्स के अध्यधीन हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए सहायता

3217. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण

और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु विभिन्न टीमों को विदेश भेजने और भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रतिस्पर्धावार और वर्षवार कुल कितनी सहायता राशि दी गई ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में बॉक्साइट के भंडार

3218. श्री के०पी० सिंह देव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बॉक्साइट भंडार अनुमानत: कितने क्षेत्रफल में हैं; और

(ख) इन राज्यों में बॉक्साइट की खानों के उचित दोहन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम०एम०डी०आर०) अधीनियम, 1957 की धारा 17 (क) में, सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली कंपनियों तथा निगमों द्वारा पूर्वेक्षण/खनन और खनिजों के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र के आरक्षण का प्रावधान है। उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा के रायगढ़ जिले में कोडिंगामाली, पोटंगी बापलिमाली स्थित बाक्साइड भंडार, कालाहांडी जिले में लांजीगढ़ तथा बोलानगिर जिले में गंधमर्दन में बॉक्साइट के भंडारों का राज्य सरकार द्वारा आरक्षण किया गया था। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने सरगुजा जिले की सामरि एवं पाल तहसील में बाक्साइट भंडार आरक्षित किये थे।

(ख) बाक्साइट सहित खनिजों के संरक्षण एवं क्रमबद्ध विकास तथा पर्यावरणात्मक सुरक्षा के भी लिए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 के तहत, खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली (एम०सी०डी०आर०), 1988 तैयार की गई है। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली की, भारतीय खान ब्यूरो की मार्फत, केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन प्रचालन किये जाते हैं। भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा, समय-समय पर, खनन योजना अनुबंधों के अनुपालन की जांच की जाती है। अनियमितताओं की स्थिति में, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के समुचित प्रावधानों के तहत, अनुपालन/सुधार के लिए उनका उल्लेख किया जाता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नए टेलीफोन एक्सचेंज

3219. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय जिलावार कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों की क्षमता सहित जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एक्सचेंजों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय महाराष्ट्र में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में संस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये टेलीफोन एक्सचेंजों का उनकी क्षमता सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सभी नये एक्सचेंजों के 31.3.2002 तक चालू हो जाने की संभावना है।

विवरण-I

31.7.2001 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	31.7.2001 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	318
2.	अकोला	83
3.	अमरावती	127
4.	औरंगाबाद	141
5.	बीड	121
6.	भंडारा	50
7.	गोंदिया	54
8.	बुल्ढाना	115
9.	चन्द्रपुर	81
10.	धुले	85
11.	नंदूरबार	46
12.	गढ़चिरोली	37
13.	जलगांव	211

1	2	3
14.	जालना	78
15.	कल्याण	130
16.	कोल्हापुर	305
17.	लातूर	128
18.	नागपुर	127
19.	नांदेड़	125
20.	नासिक	227
21.	उस्मानाबाद	83
22.	परभनी	56
23.	हिंगोली	44
24.	पुणे	261
25.	रायगढ़	153
26.	रत्नागिरी	147
27.	सांगली	325
28.	सतारा	207
29.	सिंधुदुर्ग	93
30.	शोलापुर	221
31.	वर्धा	70
32.	वासिम	50
33.	यवतमाल	95
34.	मुंबई	130
35.	थाणे	26

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	11	प्रत्येक की 184 लाइनें
2.	अकोला	03	प्रत्येक की 184 लाइनें
3.	अमरावती	06	प्रत्येक की 184 लाइनें
4.	औरंगाबाद	08	प्रत्येक की 184 लाइनें
5.	बीड	08	प्रत्येक की 184 लाइनें
6.	भंडारा	02	प्रत्येक की 184 लाइनें
7.	गोंदिया	02	प्रत्येक की 184 लाइनें
8.	बुल्ढाना	02	प्रत्येक की 184 लाइनें
9.	चन्द्रपुर	05	प्रत्येक की 184 लाइनें
10.	धुले	01	प्रत्येक की 184 लाइनें
11.	नंदूरबार	01	प्रत्येक की 184 लाइनें
12.	गढ़चिरोली	04	प्रत्येक की 184 लाइनें
13.	जलगांव	03	प्रत्येक की 184 लाइनें
14.	जालना	10	प्रत्येक की 184 लाइनें
15.	कल्याण	04	प्रत्येक की 184 लाइनें
16.	कोल्हापुर	03	प्रत्येक की 184 लाइनें
17.	लातूर	10	प्रत्येक की 184 लाइनें
18.	नागपुर	06	प्रत्येक की 184 लाइनें
19.	नांदेड़	04	प्रत्येक की 184 लाइनें
20.	नासिक	06	प्रत्येक की 184 लाइनें
21.	उस्मानाबाद	04	प्रत्येक की 184 लाइनें
22.	परभनी	03	प्रत्येक की 184 लाइनें
23.	हिंगोली	04	प्रत्येक की 184 लाइनें
24.	पुणे	18	प्रत्येक की 184 लाइनें
25.	रायगढ़	07	5920 लाइनें
26.	रत्नागिरी	16	प्रत्येक की 184 लाइनें
27.	सांगली	06	प्रत्येक की 184 लाइनें
28.	सतारा	12	प्रत्येक की 184 लाइनें
29.	सिंधुदुर्ग	04	प्रत्येक की 184 लाइनें
30.	शोलापुर	11	प्रत्येक की 184 लाइनें
31.	वर्धा	04	प्रत्येक की 184 लाइनें
32.	वासिम	01	प्रत्येक की 184 लाइनें
33.	यवतमाल	08	प्रत्येक की 184 लाइनें
34.	मुंबई	22	171000 लाइनें
35.	थाणे	03	13000 लाइनें

टेलीफोन अदालत

3220. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन अदालतों के आयोजन के लिए मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी टेलीफोन अदालतों का आयोजन किया गया; और

(ग) इन अदालतों में कितने मामले प्राप्त हुए और इन अदालतों में कितने मामलों का निपटान किया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मौजूदा मानदंड के अनुसार गौण स्विचन क्षेत्र स्तर पर 2 महीने में एक बार और दूरसंचार सर्किल स्तर पर 3 महीने में एक बार टेलीफोन अदालतें लगायी जा रही हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में 199 टेलीफोन अदालतें लगायी गयीं।

(ग) इन अदालतों में 3252 मामले प्राप्त हुए और 3234 मामलों का निपटारा किया गया।

[अनुवाद]

दिल्ली में पेड़ों का प्रत्यारोपण

3221. श्री रामजी मांझी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फ्लाई ओवरों के निर्माण के कारण कितने पेड़ों को प्रत्यारोपित किया गया और इनमें से कितने पेड़ जीवित बचे;

(ख) पेड़ों के प्रत्यारोपण पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या प्रत्यारोपण की ठीक विधि का प्रयोग नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) फ्लाई ओवरों के निर्माण हेतु प्रतिरोपित किए गए वृक्षों की संख्या का ब्यौरा और उनकी उत्तरजीविता की प्रतिशतता निम्नलिखित है :–

1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और 13ए	97 वृक्ष (75 प्रतिशत उत्तरजीविता)
2.	टी-जंक्शन तथा हंसराज सेठी मार्ग	58 वृक्ष (50 प्रतिशत उत्तरजीविता)
3.	सावित्री सिनेमा	58 वृक्ष (53 प्रतिशत उत्तरजीविता)
4.	मोती बाग, राव तुला राम मार्ग	103 वृक्ष (66.02 प्रतिशत उत्तरजीविता)
5.	सफदरजंग फ्लाई-ओवर	114 वृक्ष (60 प्रतिशत उत्तरजीविता)
6.	अफ्रीका एवेन्यू तथा रिंग रोड	101 वृक्ष (56 प्रतिशत उत्तरजीविता)
7.	नेल्सन मंडेला तथा महिपालपुर	60 वृक्ष (70 प्रतिशत उत्तरजीविता)

(ख) प्रतिरोपण पर किया गया खर्च फ्लाई ओवर निर्माण करने वाली विभिन्न एजेंसियों/निजी एजेंसियों द्वारा वहन किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बांधों और नदियों के पानी में बढ़ोत्तरी

3222. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बांधों और नदियों के पानी में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई रिपोर्ट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग पूरे देश के 70 महत्वपूर्ण जलाशयों की भंडारण स्थिति की मानीटरिंग कर रहा है तथा भंडारण स्थिति पर साप्ताहिक रिपोर्टें तैयार करता है। इन जलाशयों की 130.553 बिलियन घन मीटर की कुल क्षमता में से इन 70 जलाशयों में 25.5.2001 को अर्थात् मानसून शुरू होने से पहले भंडारण स्थिति सक्रिय भंडारण का 17 प्रतिशत थी जो कि मानसून की वर्षा के कारण 36 प्रतिशत तक बढ़ गई है तथा चालू मानसून के दौरान नदियों के प्रवाह में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर योजना

3223. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ जिलों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर योजना के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नई योजना को दूसरे जिलों में भी शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित

7 योजनाओं को अंतिम रूप दिया है जिनके कार्यान्वयन में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के 80 जिलों में एन०आर०सी० योजना के अंतर्गत स्वयंसेवक शामिल होंगे।

(1) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना

(2) राष्ट्रीय मलेरिया रोधक कार्यक्रम

(3) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

(4) एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम

(5) नवीकरण योग्य ऊर्जा पद्धति

(6) सामाजिक वन विज्ञान

(7) साक्षरता

(ग) और (घ) योजना के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष में अर्थात 2002-2003 में, योजना का 40 अतिरिक्त जिलों तक विस्तार किए जाने की संभावना है। जिलों का चयन अभी तक नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता

3224. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में किन नियमों और मानदंडों का पालन किया जा रहा है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) होनहार खिलाड़ियों तथा सहायक कार्मिकों को सहायता की योजना के अंतर्गत, होनहार खिलाड़ियों को वर्ष में 5.00 लाख रु० तक का सहायता पैकेज प्रदान किया जाता है जो उनके आगामी ओलम्पिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक लेने की संभावनाओं पर आधारित होता है। यह सहायता विदेशों में प्रशिक्षण तथा टूर्नामेंटों में सहभागिता, उपस्कर, वैज्ञानिक समर्थन तथा प्रशिक्षण और देश में होने वाले टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए प्रदान की जाती है।

योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, सहायता केवल उन होनहार खिलाड़ियों को प्रदान की जाती है जिन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय रिकार्ड की बराबरी की है अथवा उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है अथवा पिछली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं अथवा संबंधित श्रेणी में अर्थात विभिन्न खेल विधाओं में सीनियर/जूनियर/सब-जूनियर में एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों/एफ्रो-एशियाई खेलों/ओलम्पिक खेलों/विश्व चैम्पियनशिप में पदक लिया है। टीम प्रतियोगिताओं के लिए, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रदर्शन के उद्देश्यपरक आकलन के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता के लिए पात्र खिलाड़ियों की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि :

(1) निशानेबाजी, गोल्फ, बिलियर्ड्स तथा स्नूकर, शतरंज और यार्टिंग जैसे खेलों के लिए आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

(2) आखिर में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिये, ऊपरी आयु सीमा में उपयुक्त छूट दी जा सकती है।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

3225. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष राज्यों का 37वां श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन की कार्यसूची का ब्यौरा क्या है और की गई चर्चा और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उदारीकरण के कारण असमानता की खाई और अधिक चौड़ी हुई है और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अंतर को कम करने के लिए सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और ,

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां। भारतीय श्रम सम्मेलन का 37वां सत्र (राज्यों का श्रम सम्मेलन नहीं) 18-19 मई, 2001 को आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव, श्रम एवं रोजगार, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और श्रम नीति निर्धारण के लिए सामाजिक भागीदारों के साथ परामर्श की आवश्यकता पर विचार विमर्श एवं सिफारिशें की गईं।

(ग) से (ङ) हालांकि, हाल के वर्षों में बढ़ती असमानताओं के बारे में कोई ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, सामान्य तौर पर यह विश्वास किया जाता है कि उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सबको समान लाभ नहीं मिले हैं। शिक्षा और हुनर की कमी अल्प मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मकारों और हुनरमंद कर्मकारों के बीच आय के बढ़ते अन्तर के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी घटक है। सरकार मौजूदा श्रम बाजार की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा मानकों, शिक्षा की गुणवत्ता व्यावसायिक प्रशिक्षण और हुनर में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। जिससे विकास प्रक्रिया अधिक कर्मकारों की भागीदारी होने और उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

लुधियाना और कानपुर विमानपत्तनों का उन्नयन

3226. श्री जे०एस० बराड़ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्यात में बढ़ोत्तरी करने के लिए लुधियाना और कानपुर विमानपत्तनों पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन विमानपत्तनों पर कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है; और

(घ) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों का कब तक उन्नयन किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) इस समय लुधियाना और कानपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे स्थापित करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

बडागारा-माहे नहर का विकास

3227. प्रो० ए०के० प्रेमाजम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बडागरा-माहे नहर के विकास के लिए केरल सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बडागारा-माहे नहर के विकास के लिए केरल सरकार से कोई भी परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं की गई है।

[हिन्दी]

रोजगार मुहैया कराने पर खर्च राशि

3228. प्रो० दुखा भगत : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान रोजगार मुहैया कराने में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न रोजगार कार्यालयों पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों द्वारा योजना-वार और राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया;

(ग) क्या बेरोजगार लोगों को मुख्य रूप से इन योजनाओं और रोजगार कार्यालयों से लाभ नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन योजनाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य व्यय को बांट कर उन्हें चलाया जा रहा है गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं में व्यय एवं सृजित किए गए रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। कुछ राज्य सरकारें अपनी ही निधियों से रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं।

रोजगार कार्यालय संबंधित राज्यों/संघ शासित सरकारों के प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन हैं रोजगार कार्यालयों पर आने वाले खर्च का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण करते हैं और मांग के अनुरूप उनके नाम अग्रेषित करते हैं। रोजगार उपलब्धता पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। अत: वे रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। फिर भी वर्ष 2000 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) रोजगार सृजन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें पुनर्गठित/संशोधित किया जाता है। कार्यकुशलता में अधिक बल देने तथा सुधार लाने के लिए अनेक रोजगार योजनाओं को एकीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, आई०आर०डी०पी०, दस लाख कुआं योजना, ट्राइसेम, द्वाकरा का पुनर्गठन कर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं का निष्पादन

क्र०सं०	योजना का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	**जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे०जी०एस०वाई०)**			
	(i) कुल आबंटन (केन्द्र+राज्य) (रु० लाख में)	259703.00	220558.00	219295.82
	(ii) केन्द्रीय आबंटन (रु० लाख में)	207844.00	165500.00	164549.98
	(iii) केन्द्र द्वारा जारी धनराशि (रु० लाख में)	205096.00	168527.86	138138.39
	(iv) रोजगार सृजन (मानव दिवस लाख में)	3766.41	2683.08	1926.81

1	2	3	4	5
2.	**रोजगार आश्वासन योजना (इ०ए०एस०)**			
	(i) कुल आबंटन (केन्द्र+राज्य) (रु० करोड़ में)		243145.86	218227.34
	(ii) केन्द्रीय आबंटन (रु० लाख में)		182410.01	156200.00
	(iii) केन्द्र द्वारा जारी धनराशि (रु० लाख में)	198845.82	173641.95	141729.02
	(iv) रोजगार सृजन (मानव दिवस लाख में)	4279.36	2786.17	1381.58
3.	**स्वर्ण-जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०)**			
	(i) कुल आबंटन (केन्द्र+राज्य) (रु० लाख में)	145627.78	147233.70	133250.01
	(ii) केन्द्रीय आबंटन (रु० लाख में)	72915.00	110500.00	100000.00
	(iii) केन्द्र द्वारा जारी धनराशि (रु० लाख में)	62563.29	86954.73	46211.03
	(iv) रोजगार सृजन (मानव दिवस लाख में)	16.77	9.34	6.64
4.	**स्वर्ण-जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०)**			
	(i) केन्द्र द्वारा जारी अंश (रु० लाख में)	15847.00	11877.29	8513.00
	(ii) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यू०एस०ई०पी०) के तहत् सहाय्यित व्यक्तियों की संख्या	42643	135185	104019
	(iii) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू०डब्ल्यू०ई०पी०) के तहत सृजित कार्य के मानव दिवसों की संख्या (लाख में)	65.88	101.39	157.72
5.	**@@प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०)**			
	(i) लक्ष्य संख्या	220000	220000	220000
	(ii) स्वीकृत मामले			
	(क) संख्या	271342	256885	176667
	(ख) राशि (रु० लाख में)	161800	166500	113900
	(iii) निष्पादित मामले			
	(क) संख्या	191351	180206	97239
	(ख) राशि (रु० लाख में)	109300	109900	59300

*वर्ष 1998-99 के दौरान योजना मांग आधारित थी।

** 1.4.1999 से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना में समाहित कर दिया गया।

*@@ 29.5.2001 को डी०सी० (एस०एस०आई०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (सूचना को प्रत्येक माह में अद्यतन किया जा रहा है)।

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000 को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार चाहने वालों का नियोजन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	@
3.	असम	1.3
4.	बिहार	7.4
5.	गोवा	0.3

1	2	3
6.	गुजरात	69.4
7.	हरियाणा	4.7
8.	हिमाचल प्रदेश	2.3
9.	जम्मू और कश्मीर	2.8
10.	कर्नाटक	8.5
11.	केरल	16.8
12.	मध्य प्रदेश	3.9
13.	महाराष्ट्र	17.4
14.	मणिपुर	@
15.	मेघालय	0.2
16.	मिजोरम	0.3
17.	नागालैण्ड	0.1
18.	उड़ीसा	2.3
19.	पंजाब	2.4
20.	राजस्थान	1.6
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	13.2
23.	त्रिपुरा	0.9
24.	उत्तर प्रदेश	4.0
25.	पश्चिम बंगाल	11.7
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.3
27.	चंडीगढ़	0.5
28.	दादर व नगर हवेली	@
29.	दिल्ली	0.3
30.	दमन व दीव	@
31.	लक्षद्वीप	@
32.	पांडिचेरी	0.2
	योग	177.7

टिप्पणी : @*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल

3229. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल ट्रेड यूनियनों ने श्रम कानून के प्रति सरकार की नीति के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार श्रम कानूनों में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

एन०एच०डी०पी० के लिए विश्व बैंक/ ए०डी०बी० ऋण

3230. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के 54000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण का अर्थात् एक भाग 20,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो शेष राशि को जुटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक की खर्च धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सहायता राशि से अब तक शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) सरकार का विदेशी वित्त पोषण से 20,000 करोड़ रु० के संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक परियोजनाओं का वित्त पोषण करती रही है। अब तक विश्व बैंक से 516 मिलियन अमरीकी डालर और 589 मिलियन अमरीकी डालर के दो ऋणों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एशियाई विकास बैंक पहले ही 180 मिलियन अमरीकी डालर का एक ऋण उपलब्ध करा चुका है और 240 मिलियन अमरीकी डालर के एक अन्य ऋण पर वार्ता चल रही है। इस तरह अब तक मोटे तौर पर 7,200 करोड़ रु० के बराबर कुल 1525 मिलियन अमरीकी डालर के वित्त पोषण की पुष्टि हो चुकी है। विदेशी

एजेंसियों के साथ आगे विचार विमर्श और वार्ता सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है। शेष धनराशि पेट्रोल और डीजल पर उपकर, बाजार ऋण और गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से पूरी की जानी है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य परियोजनाओं पर अब तक 3,500 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) 11,328 करोड़ रु० मूल्य के कुल 99 ठेके इस समय प्रगति पर हैं जिनमें उक्त सहायता से शुरू किए गए 2044 करोड़ रु० मूल्य के 9 ठेके शामिल हैं।

(ङ) स्वर्णिम चतुर्भुज को दिसम्बर, 2003 तक और उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्गों को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

3231. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार हेतु देश के प्रत्येक राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में, मुहैया कराए गए नए प्रौद्योगिकी संबंधी उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : महाराष्ट्र सहित देश में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए आबंटित नई प्रौद्योगिकी के उपस्कर का ब्यौरा निम्नानुसार है :

- मैसर्ज़ ल्यूसेंट टेक्नोलोज़िस, यू०एस०ए० का मॉडल 5 ई०एस०एस०
- मैसर्ज़ एल्काटेल, फ्रांस का मॉडल ओ०सी०बी०-283
- मैसर्ज़ सीमेन्ज, वेस्ट जर्मनी का मॉडल ई०डब्ल्यू०एस०जी०
- मैसर्ज़ एरिक्सन, स्वीडन का मॉडल ए एक्स ई-10
- सी-डॉट का मॉडल एल/एक्सएल

वर्ष 2001-2002 के लिए सीधी एक्सचेंज लाइनों के राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों को पर्याप्त उपस्कर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष 2001-2002 के लिए सीधी एक्सचेंज लाइनों के लक्ष्य
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	10000
2.	आंध्र प्रदेश	530000
3.	असम	100000
4.	बिहार	200000
5.	छत्तीसगढ़	40000
6.	गुजरात	650000
7.	हरियाणा	245500
8.	हिमाचल प्रदेश	90000
9.	जम्मू और कश्मीर	80000
10.	झारखंड	82000
11.	कर्नाटक	500000
12.	केरल	663000
13.	मध्य प्रदेश	155000
14.	महाराष्ट्र	950000
15.	उत्तर पूर्व	53500
16.	उड़ीसा	135000
17.	पंजाब	460000
18.	राजस्थान	300000
19.	तमिलनाडु	596000
20.	उत्तरांचल	100000
21.	उत्तर प्रदेश	625000
22.	पश्चिम बंगाल	465000
23.	दिल्ली	200000

- तमिलनाडु में चेन्नई तथा पांडिचेरी शामिल हैं।
- महाराष्ट्र में मुम्बई तथा गोवा शामिल हैं।
- पश्चिम बंगाल में कोलकाता तथा सिक्किम शामिल हैं।
- उत्तर-पूर्व में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश तथा मणिपुर शामिल हैं।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लिमिटेड का मूल्यांकन

3232. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी०एस० एन०एल०) का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेल्यूलर प्रदान करने वाली सेवाओं से वी०एस०एन०एल० को निकाल बाहर करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या वी०एस०एन०एल० को सेल्यूलर प्रदान करने की निविदा से बाहर करने पर वी०एस०एन०एल० के मूल्य-निर्धारण पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो चौथी सेल्यूलर लाइसेंस निविदा में वी०एस०एन०एल० को भाग लेने की अनुमति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) विनिवेश से पूर्व वी०एस०एन०एल० का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (ङ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी०एम०टी०एस०) के लिए नये लाइसेंस की मंजूरी की निविदाओं में अन्य शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्त अनुबद्ध है :–

कोई भी एकल कम्पनी/विधिमान्य व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने साझेदार के माध्यम से एक ही सेवा के लिए एक ही सेवा क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसधारक कम्पनी में पर्याप्त रूप से इक्विटी धारण नहीं कर सकती है, यही पर ''पर्याप्त इक्विटी'' का अर्थ 10% या उससे अधिक की इक्विटी से होगा। एक प्रवर्तक कंपनी एक ही लाइसेंस क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसधारक कम्पनी में भागीदार नहीं हो सकती है।

उक्त निविदा शर्त यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है ताकि प्रतिस्पर्धा दुष्प्रभावित न हो।

तथापि, निविदा प्रलेख यह भी सुनिश्चित करता है कि ''लाइसेंस-धारक को यह अधिकार है कि वह किसी या सभी सेवा क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा का प्रचालन स्वयं या किसी अधिकृत सार्वजनिक प्राधिकारी के माध्यम से कर सकता है।'' भावी बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट किया गया था कि ''सार्वजनिक प्राधिकारी का मतलब सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय/प्राधिकरण/संस्था/उद्यम से है, उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम'' दिए गए एक सेवा क्षेत्र में इस तरह के केवल एक निकाय को प्रचालन की अनुमति दी जा सकती है।''

भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, ने पूरे देश को कवर करने के लिए सी०एम०टी०एस० के लाइसेंस पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड इस लाइसेंस के लिए पात्र नहीं था।

(घ) और (च) जी, नहीं। वी०एस०एन०एल० को उनके नए व्यापार के क्रम में उनकी रणनीति के अनुसार विविधीकरण और विकास संबंधी निर्णय लेने के अधिक अधिकार पहले ही दे दिए गए हैं।

केलेघई नदी परियोजना

3233. श्री प्रबोध पण्डा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल सरकार ने मंजूरी हेतु केलेघई नदी परियोजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से इस प्रकार की कोई भी परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

सिंचाई में वर्षा जल का उपयोग

3234. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई और अन्य प्रयोजनार्थ वर्षा जल के उपयोग हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों में वृद्धि करने संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। केन्द्र सरकार जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड विभिन्न राज्यों में संबंधित राज्य सरकार अभिकरणों के साथ समन्वय करके ''भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन'' नामक एक प्रायोगिक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की निधियां निर्धारित की हैं। इस स्कीम के तहत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुमोदित प्रस्तावों के 1-2 वर्षों में कार्यान्वयन की आशा है।

विवरण

भूजल पुनर्भरण स्कीमों से संबंधित अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	स्कीमें (संख्या)	अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)	स्थिति
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	54.55	क्रियान्वयनाधीन
2.	असम	1	56.69	क्रियान्वयनाधीन
3.	बिहार	4	18.69	क्रियान्वयनाधीन
4.	दिल्ली	14	86.43	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
5.	गुजरात	3	18.95	क्रियान्वयनाधीन
6.	हरियाणा	8	139.12	तीन स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	तीन स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
8.	जम्मू और कश्मीर	11	190.19	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
9.	झारखण्ड	6	28.04	क्रियान्वयनाधीन
10.	कर्नाटक	1	13.75	क्रियान्वयनाधीन
11.	केरल	9	67.62	पांच स्कीमें पूरा होने के अंतिम चरण पर हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
13.	महाराष्ट्र	3	76.63	क्रियान्वयनाधीन
14.	मेघालय	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
15.	मिजोरम	1	28.00	विचाराधीन
16.	नागालैंड	1	70.00	क्रियान्वयनाधीन
17.	उड़ीसा	2	437.40	क्रियान्वयनाधीन
18.	पंजाब	15	251.49	छः स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
19.	राजस्थान	13	84.27	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
20.	तमिलनाडु	8	198.98	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	5	37.21	क्रियान्वयनाधीन
22.	उत्तरांचल	1	2.00	क्रियान्वयनाधीन
23.	पश्चिम बंगाल	8	167.82	क्रियान्वयनाधीन
	कुल	136	2191.33	

[हिन्दी]

अजमेर और हमीरगढ़ में हवाई अड्डा स्थापित करना

3235. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के अजमेर और हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) में हवाई अड्डा स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) राजस्थान में अजमेर और हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) में हवाई अड्डे स्थापित करने संबंधी अभी कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लिमिटेड

3236. **श्री रूपचन्द पाल :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन समझौता के अन्तर्गत भी अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोनी के मामले में विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी०एस०एन०एल०) का एकाधिकार वर्ष 2004 तक चलाया था;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष 2002 तक ही समाप्त कर दिए जाने का निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वी०एस०एन०एल० में अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके शेयरों की कीमतों के संबंध में किए गए निर्णय का क्या असर पड़ा है और 25 प्रतिशत के निर्धारित विनिवेश से कितना नुकसान होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) अप्रैल 1997 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) को एक वचन दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी सेवाओं को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के मुद्दे की वर्ष 2004 में समीक्षा की जाएगी।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में निर्धारित किए गए उद्देश्यों में संसाधन के अंतर को पाटने के लिए निजी निवेश और भागीदारी का विषय शामिल किया गया है। अत: सरकार स्वयं ही दूरसंचार क्षेत्र पर से चरणबद्ध रूप में अपना नियंत्रण हटाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अंतर्राष्ट्रीय वॉइस सेवाओं पर वी०एस०एन०एल० का एकाधिकार 2004 तक बनाए रखना जनहित में नहीं है, क्योंकि इसे देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में एक गंभीर बाधा समझा गया। अत: यह निर्णय लिया गया कि इसका एकाधिकार 31.3.2002 को समाप्त कर दिया जाए। तथापि, सरकार ने इस कारण वी०एस०एन०एल० को होने वाली संभावित हानि की पूर्ति करने के लिए एक प्रतिपूर्ति पैकेज की घोषणा की है।

(ग) सरकार को वी०एस०एन०एल० में अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) वी०एस०एन०एल० का एकाधिकार समाप्त करने की घोषणा के बाद इसके शेयर मूल्य में गिरावट हुई है। बाजार में शेयर मूल्य विभिन्न बाजार शक्तियों और बाजार भावनाओं से निर्धारित होता है। इसके साथ ही उपलब्ध स्रोतों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक में परिलक्षित होता है, मार्च से मई 2000 के दौरान लगभग सभी भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयर मूल्य में तेजी से गिरावट हुई है। इस अवधि के दौरान वी०एस०एन०एल० के शेयर मूल्य में गिरावट की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय पूंजी बाजार के आम रूख से तुलना की जा सकती है। अत: इस कारण 25% शेयरों के विनिवेश से कोई हानि होने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान की जलापूर्ति योजनाएं

3237. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास राजस्थान की कितनी जलापूर्ति योजनाएं मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) केन्द्र सरकार के पास राजस्थान की कोई भी ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम लंबित नहीं है।

(ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने वाली स्कीमों का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है। भारत सरकार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) और प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पी०एम०जी०वाई०) – ग्रामीण पेयजल घटक के तहत वित्तीय सहायता मुहैया करा के राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। चूंकि राज्य सरकारों को अलग-अलग पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, स्वीकृति और कार्यान्वयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं अत: ऐसी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

सिंचाई क्षमता

3238. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी योजनाएं मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) उक्त योजनाओं को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है;

(ग) सिंचाई संबंधी इस त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान कितनी योजनाओं को मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त 12 नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :–

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	मेजा बांध को ऊंचा करना	बी
2.	राण सागर नहर	बी
3.	मौदाहा बांध	बी
4.	बुन्देलखंड की लाइनिंग चैनल	बी
5.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	बी
6.	कनहर सिंचाई	ए
7.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	बी
8.	भृपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	ए
9.	पूर्वी यमुना नहर का हथिनीकुंड लिंक चैनल	बी
10.	कंचनोदा बांध	ए
11.	मौजूदा सारदा नहर प्रणाली का जल प्रबंध सुधार	ए
12.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	ए

ए – राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है।

बी – कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन की सलाहकर समिति द्वारा स्वीकृत।

(ख) इन परियोजनाओं की स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्परता से अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता उन अनुमोदित वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को दी जाती है, जो निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं।

[अनुवाद]

जलाशय योजनाएं

3239. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पास वर्षवार कितनी जलाशय योजनाएं भेजी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई और कितनी सरकार के पास अब भी लंबित पड़ी हुई हैं;

(ग) ये योजनाएं कब से लंबित पड़ी हुई हैं और इनके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हेलोन सिंचाई परियोजना नामक एकमात्र जलाशय स्कीम तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए जनवरी, 2000 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई थी। इस पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्कीमों को स्वीकृति दिया जाना विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले समय पर निर्भर करता है।

बंगलौर से अन्तरराष्ट्रीय उड़ान

3240. श्री आर०एस० पाटिल :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलौर से नई उड़ानें शुरू करने के लिए विदेशी अन्तरराष्ट्रीय एयर लाइनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइन ने बंगलौर से उड़ान शुरू करने की अभिरूची दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) अब तक हांग कांग, जर्मनी, मलेशिया, नेपाल और चार खाड़ी विमान कंपनी वाले राज्यों को बंगलौर में प्रचालन करने की स्वीकृति दी गयी है। इनमें से, मलेशियन एयरलाइन्स और रॉयल नेपाल एयरलाइन्स इस समय बंगलौर से बाहर प्रचालन कर रही हैं। एअर इंडिया भी बंगलौर से न्यूयार्क, लन्दन, सिंगापुर, जकार्ता और दुबई के लिए प्रचालन कर रही है, जबकि इंडियन एयरलाइन्स शारजाह, मस्कट, बैंकाक, सिंगापुर और कुआलालम्पुर के लिए प्रचालन कर रही है। सिंगापुर, यूनाईटेड किंगडम, स्विजरलैंड और श्रीलंका की नामित विमान कंपनियों ने भी बंगलौर के लिए/से प्रचालन किये जाने में रूचि दिखाई है। तथापि, इस समय बंगलौर उन्हें अभी तक अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

नदियों की विनाशकारी स्थिति

3241. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में नदियों की विनाशकारी स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन नदियों को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण तट सुरक्षा परियोजनाओं सहित बाढ़ नियंत्रण की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

इस मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने अजोय, महानंदा, मयूराक्षी, दामोदर, रूपनारायण, हल्दी-रसूलपुर और पश्चिम बंगाल की ज्वारीय नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं जिनमें बाढ़ के प्रबंधन/नियंत्रण के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घ कालिक उपायों का सुझाव दिया गया है। ये मास्टर योजनाएं क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है।

मालवा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा नदी के तट के मृदा-कटाव को नियंत्रित करने के लिए योजना आयोग, भारत सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (बाढ़) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने उन जिलों में तट कटाव समस्या को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दिया था। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई थी। ऐसे कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 30.00 करोड़ रु० की राशि मुहैया कराई गई है।

भारत सरकार ने अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ गंगा/पद्मा नदी संबंधी अभिज्ञात कुछ गंभीर कटाव रोधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए भी 75% केन्द्रीय हिस्सा: 25% राज्य हिस्सा के अनुपात में केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2000-01 के दौरान इन कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता के रूप में 6.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

दूरसंचार सुविधा

3242. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरभाष नेटवर्क के लिए सुन्दरवन क्षेत्र में पुरानी पड़ चुकी मल्टी ऐक्सेस रूरल रेडियो (एम०ए०आर० आर०) प्रणाली की जगह वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल० एल०) प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम रूप से निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार के पास इस क्षेत्र में और दूरभाष केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सुंदरवन क्षेत्र में चालू वर्ष से शुरू करके उत्तरोत्तर रूप से खराब व मरम्मत न की जा सकने वाली एम०ए० आर०आर० प्रणालियों के स्थान पर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू० एल०एल०) प्रणालियां लगाने की योजना बनाई है। पश्चिम बंगाल सर्किल को डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली की 35,000 लाइनें आबंटित की गई हैं।

(ग) से (ङ) क्षेत्र में जामतला और जीबनतला प्रत्येक में 150 लाइनों की क्षमता वाले दो नए एक्सचेंज खोले जाने की योजना है। बक्खाली एक्सचेंज का 150 लाइनों से 300 लाइनों तक विस्तार किए जाने की योजना है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का पुराना बेड़ा

3243. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और उनकी अनुषंगी एयरलाइनों द्वारा प्रयुक्त कुछ विमान सुरक्षित विमान यात्रा के लिए पुराने और अनुपयुक्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स व इनकी अनुषंगी एयरलाइनों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कितने विमान हैं और वे सभी विमान कितने पुराने हैं व इनकी उड़ान अवधि कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रयुक्त विमानों के रख-रखाव राशि और नये विमान को खरीदे जाने पर आने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुराने और अप्रचलित विमान के प्रयोग से विमान यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस गंभीर समस्या का हल निकालने के लिए क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) विमानों के लिए कोई विनिर्दिष्ट प्रचालन अवधि निर्धारित नहीं है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उड़नयोग्यता का प्रमाण-पत्र मिलने के पश्चात किसी विमान का प्रचालन जारी रह सकता है। एअरइंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा इसकी सहायक कंपनी के विमानबेड़े में सभी विमानों का रख-रखाव

उड़न योग्य स्थिति में रखा जाता है जो विनिर्माता और नागर विमानन महानिदेशालय की अपेक्षाओं को पूरा करते हों। एअरइंडिया लि० के विमान बेड़ें में 27 विमानों (ड्राई लीज पर लिए गए चार विमानों सहित) की औसत प्रचालन अवधि 13.73 वर्ष है। इंडियन एयरलाइन्स/एलायंसएअर के विमान बड़े में 55 विमान (ड्राई लीज पर लिए गए चार विमानों सहित) की औसत प्रचालन अवधि 16.7 वर्ष है। गत तीन वर्षों में एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों के रख-रखाव पर किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

एअर इंडिया

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
1998-99	246.14
1999-00	236.05
2000-01	381.51 (अनंतिम)
इंडियन एयरलाइंस	
1998-99	498.00
1999-00	588.00
2000-01	662.00 (अनंतिम)

दोनों में से किसी भी एयरलाइन्स ने पिछले तीन वर्षों में कोई नया विमान नहीं खरीदा है। एअर इंडिया ने अपने मार्गों की संख्या तथा यात्री वहन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 4ए 310-300 विमानों को ड्राइलीज पर लिया है। अपनी अल्पावधिक क्षमता अपेक्षा को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चार ए-320 विमानों को ड्राइलीज पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। 6 ए०टी०आर० 42-500 विमानों को पट्टे पर लेने के लिए विश्वस्तरीय निविदा आमंत्रित की गई हैं। संबंधित अन्तर्विभागीय समितियां इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एअर द्वारा प्राप्त ऑफरों की जांच करती है।

फीडर चैनलों की खुदाई

3244. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जल प्रवाह की दिशा बदलने के लिए कर्नाटक सीमा के निकट फीडर चैनलों की खुदाई की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने उनके मंत्रालय से शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह बछावत न्यायाधिकरण का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो फीडर नहरों अर्थात (i) सिदागाप्पानाकट्टे से पी० ब्याडागेरे टैंक तक फीडर चैनल; (ii) कर्नाटक के उत्तरी पेन्नार बेसिन में रेड्डिहाल्ली टैंक के आवाह क्षेत्र प्रतिप्रवाह से जल को आंध्र प्रदेश में रोल्ला टैंक के एक स्थानीय (लोकल) हल्ला की ओर मोड़ने के लिए फीडर चैनल के निर्माण की तरफ आकर्षित किया है। कर्नाटक सरकार ने आशंका व्यक्त की है कि पहली फीडर नहर के कारण होन्नागोंडानाहल्ली टैंक के लिए प्रवाहों में कमी आएगी और दूसरी फीडर नहर के कारण कर्नाटक में रेड्डिहाल्ली टैंक के किसानों की अपूरणीय क्षति होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सिदागाप्पानाकट्टे से पी० ब्याडागेरे टैंक तक फीडर चैनल के कार्य को रोक दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग ने सूचित किए गए ऐसे सभी व्यपवर्तन कार्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए 17 अगस्त, 2001 को कर्नाटक सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों की एक अन्तर्राज्यीय बैठक बुलाई है।

एअर इंडिया की अलाभकारी उड़ानें

3245. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया की ऐसी कई उड़ानें हैं जो उनके परिचालन पर आने वाले खर्च की तुलना में कम लाभ कमाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल 1999 से मार्च, 2000 तक एअर इंडिया ने 62 उड़ानों के प्रचालन पर आए व्यय की अपेक्षाकृत कम राशि अर्जित की है।

(ग) विभिन्न मार्गों पर घाटे को बढ़ाने में निम्नांकित कारकों का योगदान रहा है :–

(1) विमान बेड़े का प्रत्यावर्तन तथा बढ़ोतरी के कारण मूल्य ह्रास का अत्यधिक बोझ और वित्तीय लागत तथा अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा का मूल्य ह्रास

(2) प्रमुख दुर्लभ मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास होने के फलस्वरूप व्यय में वृद्धि

(3) प्रमुख यातायात वर्धन वाले क्षेत्रों में मंदी

(4) ईंधन के मूल्य में तेजी से वृद्धि होना, और

(5) विमान बेड़े के पुराने होने के फलस्वरूप ईंधन की अधिक खपत तथा सामग्री की खपत।

दक्षिण-पूर्व एशिया मार्ग के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

3246. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंडमान द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर दक्षिण-पूर्व एशिया मार्ग पर पोर्ट ब्लेयर तक उड़ान भरने के लिए विदेशी-उड़ानों और इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे से कोई अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय सेवाओं का प्रचालन नहीं किया जा रहा है। तथापि, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन चार्टर उड़ानों के लिए खुला हुआ है।

सी-डॉट टैक्स-एक्स०एल० उपकरण को वैकल्पिक प्रौद्योगिकी में बदला जाना

3247. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डॉट टैक्स-एक्स०एल० उपकरण को वैकल्पिक प्रौद्योगिकी में बदले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सी-डॉट टैक्स-एक्स०एल० स्विचों के प्रचालन के क्षेत्र में कुछ समस्याएं सामने आई हैं जिनके शीघ्र समाधान के लिए सी-डॉट के अभियंताओं द्वारा जांच की जा रही है। अत: इस समय सी-डॉट टैक्स-एक्स०एल० प्रौद्योगिकी को किसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी द्वारा बदले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तीन स्थानों अर्थात मुजफ्फरपुर, कराइकुदी और कड्डलोर, जहां कोमन चैनल सिग्नलिंग की आवश्यकता बढ़ गई है, में सी-डॉट टैक्स-एक्स०एल० को डिजिटल टैक्स नामक नई प्रौद्योगिकी द्वारा मार्च, 2002 तक संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन परिवर्तित करने की योजना है।

कुआं बोर करने पर प्रतिबंध

3248. श्री विजय गोयल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में नये कुएं बोर करने और यांत्रिक रूप से परिचालित वाटर पम्प लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम जिलों, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम और गुड़गांव नगर और आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों सहित कुछ क्षेत्रों को भूमि जल में और गिरावट तथा ह्रास को रोकने के लिए नए भू-जल निकालने वाली संरचनाओं के निर्माण और स्थापना को निषिद्ध किया है और उनपर रोके लगाने के लिए अधिसूचित किया है।

हीरा क्षेत्र का पता लगाने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

3249. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हीरा और अन्य कीमती धातुओं का पता लगाने के क्षेत्र में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस० आई०) द्वारा किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में अखोजी कीमती धातुओं का प्रचुर भंडार पाया गया है;

(ग) क्या ऐसी कीमती धातुओं के अखोजी क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में ही पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो जनजातीय लोगों को बगैर बाधा पहुंचाए कीमती धातुओं के खनन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस० आई०) ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में हीरे के लिए किम्बरलाइट/लेम्प्रोआइट स्रोत चट्टानों; हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़;, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में स्वर्ण तथा उड़सा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में प्लेटिनम समूह के एलिमेंट्स का पता लगाने के लिए अन्वेषण किए हैं।

(ख) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में हीरे की खोज की आशा है। उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में प्लेटिनम समूह के एलिमेंट्स के अच्छे प्रॉसपेक्ट्स की संभावना है। आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्वर्ण, के आशाजनक (प्रोमिसिंग) संसाधन हैं।

(ग) और (घ) अधिकांश खनिज उपस्थिति आंतरिक, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। चूंकि अन्वेषण अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं इसलिए इन कीमती खनिजों का निष्कर्षण इनकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

उड़ीसा में दूरभाष केन्द्र

3250. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में, विशेषकर बोलनगीर क्षेत्र में ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य तथा बोलनगीर गौण स्विचन क्षेत्र (एस० एस०ए०) ने एक्सचेंजों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

उड़ीसा :

राज्य में 993 एक्सचेंज हैं जिनकी सज्जित क्षमता 672861 लाइनों तथा 547145 सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी०ई०एल०एस०) की है। इस समय प्रतीक्षा सूची में 86510 व्यक्ति दर्ज है।

बोलनगीर एस०एस०ए० (गौण स्विचन क्षेत्र)

गौण स्विचन क्षेत्र 8836 वर्ग कि०मी० के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 43 एक्सचेंज हैं जिनकी उपस्कृत क्षमता 24680 लाइनों तथा 18177 सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी०ई०एल०एस०) की है। इस समय प्रतीक्षा सूची में 1372 व्यक्ति हैं।

(ग) वर्ष 2001-2002 के संबंध में योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

उड़ीसा

50 नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना बनायी गयी है। इसके आतरिक्त, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) की 4500 लाइनें प्रदान करने की योजना है।

जिला प्रबंधक दूरसंचार कार्यालयों की स्थापना

3251. श्री रामशकल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार कितने जिला प्रबंधक दूरसंचार कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से स्थानों पर इन कार्यालयों को स्थापित किया जाना है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऐसे कार्यालय स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 2001-2002 के दौरान अब तक स्थापित ऐसे कार्यालयों की अवस्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। ऐसे कार्यालय की स्थापना कार्यभार पर निर्भर होती है और इस समय इसका औचित्य नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दूरसंचार जिला एक या अधिक जिलों से संलग्न होता है, इसलिए तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण प्रत्येक जिला मुख्यालय में ऐसे कार्यालय स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण-I

क्र०सं०	राज्य	जिला प्रबंधक दूरसंचार कार्यालय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	3
4.	बिहार	10
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	दिल्ली	शून्य
7.	गोवा	शून्य
8.	गुजरात	शून्य
9.	हरियाणा	2
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू-कश्मीर	1
12.	झारखंड	2
13.	कर्नाटक	1
14.	केरल	शून्य
15.	मध्य प्रदेश	19
16.	महाराष्ट्र	9
17.	मणिपुर	शून्य

1	2	3
18.	मेघालय	शून्य
19.	मिजोरम	शून्य
20.	नागालैंड	शून्य
21.	उड़ीसा	4
22.	पंजाब	1
23.	राजस्थान	7
24.	सिक्किम	शून्य
25.	तमिलनाडु	शून्य
26.	त्रिपुरा	शून्य
27.	उत्तर प्रदेश	28
28.	उत्तरांचल	3
29.	पश्चिम बंगाल	7

विवरण-II

2001-2002 के दौरान (इस समय तक) स्थापित जिला प्रबंधक दूरसंचार कार्यालय

क्र०सं०	राज्य	स्थान
1.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
2.	बिहार	समस्तीपुर
3.	उत्तर प्रदेश	देवरिया
4.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर
5.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया

राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानी के साथ वायु-मार्ग से जोड़ना

3252. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनकी राजधानियां अब तक राष्ट्रीय राजधानी से वायु-मार्ग से नहीं जुड़ी हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन्हें वायुमार्ग से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) निम्नलिखित राज्यों की राजधानियां दिल्ली से विमान सेवा से नहीं जुड़ी हुई हैं :-

(1) कोहिमा (2) ईटानगर (3) शिलांग (4) गंगटोक

(ख) पहाड़ी तराई उबड़-खाबड़ क्षेत्र होने के कारण हवाई अड्डों के निर्माण के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त भूमि न दिए जाने की वजह से कोहिमा गंगटोक और ईटानगर में कोई विमानक्षेत्र नहीं है।

किसी भी एयरलाइन ने शिलांग के लिए विमान सेवाएं प्रचालित करने का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, एयरलाइन ऑपरेटर मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर किसी भी सैक्टर के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

नागपुर विमानपत्तन पर सुरक्षा प्रबंध

3253. श्री अनंत गुढे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में नागपुर विमानपत्तन सहित महत्वपूर्ण विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टी०वी० चैनलों ने नागपुर विमानपत्तन पर सुरक्षा खामियों को उजागर कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो विमानपत्तनों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और इसमें सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी०सी०ए०एस०) नियमित समयांतराल में देश के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करता है। चालू वर्ष के दौरान नागपुर हवाई अड्डे सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों के 59 निरीक्षण किए गए।

(ग) एक निजी टेलीविजन चैनल ने दिसम्बर, 2000 में एक समाचार-रिपोर्ट प्रसारित की थी जिसमें एक चार्टरित उड़ान के बारे में आरोपित कुछ कमियों को दिखाया गया था। यह उड़ान दिनांक 14.4.2000 को दिल्ली से पहुंची थी।

(घ) सभी संबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों को स्पष्ट किया गया है कि जहां तक सुरक्षा मानकों की बात है चार्टरित उड़ान और अनुसूचित उड़ान में कोई भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंध-17 में यथा उल्लिखित सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। किए गए उपायों में निम्न शामिल है :-

(1) विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों तथा हस्तगत सामानों की जांच;

(2) यात्रियों की सीढ़ी पर चढ़ते समय जांच;

(3) आकस्मिक आधार पर कुछ चुने हुए मार्गों पर स्काई मार्शलों को लगाया जाना;

(4) हवाई अड्डों पर सुरक्षा कार्यों के लिए केन्द्रीय औद्योगिक संरक्षा बलों को चरणबद्ध ढंग से लगाया जाना;

(5) कुछ चुने हुए हवाई अड्डों पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों को लगाया जाना।

मध्य प्रदेश में गिर सिंहों के लिए अतिरिक्त पर्यावास

3254. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में पालपुर कुनो की पहचान गिर सिंहों के लिए अतिरिक्त पर्यावास के रूप में की है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया; और

(ग) पालपुर कुनों क्षेत्र में सिंहों के लिए अनुकूल पर्यावास क्षेत्र विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इसे किन चरणों में कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो पालपुर अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को पुन: बसाने के लिए 28.2.1996 को निर्णय लिया था।

(ग) कुनो पालपुर अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को पुन: बसाने के लिए 20 वर्षों की अवधि में निम्नलिखित 3 चरणों की परिकल्पना की गई है :–

चरण I	–	1995-2000	स्थानांतरण पूर्व
चरण II	–	2001-2005	स्थानांतरण और शेरों की संख्या बढ़ना
चरण III	–	2003-2015	अनुवर्ती कार्रवाई और समेकन

क्षेत्र को अखण्ड बनाने के लिए 1374 परिवार वाले 18 गांव समूह को दो चरणों में अभ्यारण्य के बाहर बसाने का प्रस्ताव था। प्रथम चरण में 7 गांवों के 663 परिवारों का अभ्यारण्य के बाहर पुनर्वास किया गया है।

समुद्र कटाव रोधी योजनाएं

3255. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष राज्य में समुद्र कटाव रोधी योजनाओं को पूरा करने के लिए बाह्य ऋण प्राप्त करने हेतु मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जल आयोग ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन०सी०पी०पी०) में शामिल किए जाने के लिए केरल सरकार से समुद्र-कटाव-रोधी योजना वाली एक मास्टर योजना सर्वप्रथम दिसम्बर, 1996 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त की गई थी। इसमें अनेक बार संशोधन हुआ है और नवीनतम प्रस्ताव जुलाई, 2001 में प्राप्त हुआ है। समुद्री राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना, केन्द्रीय जल आयोग में तैयार की जा रही है। कर्नाटक सरकार तथा अन्य समुद्री राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव अंतिम रूप दिए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ऐसे कुछ राज्यों से भी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है जिनके द्वारा समेकित राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना में शामिल किए जाने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

अतिक्रमित वन का उद्धार

3256. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हिस्सेदारी के आधार पर वनों की अतिक्रमित भूमि के उद्धार में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी अनुसूचित जनजातियों को रोजगार मुहैया कराया गया है; और

(ग) राज्य के बेतूल और हरद जिलों में अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग इस याजेना के तहत लाभान्वित हुए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटरों पर बकाया धनराशि

3257. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या संचार मंत्री** प्राइवेट सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटरों पर बकाया धनराशि के बारे में 12.3.2001 के अतारांकित प्रश्न सं० 2249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर आपरेटरों से ब्याज सहित बकाया धनराशि वसूल की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक कंपनी से कितनी धनराशि वसूल की गयी है और कब तक शेष धनराशि वसूल किए जाने की संभावना है; और

(ग) इनके लाइसेंसों के नवीकरण करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2249 दिनांक 12.3.2001 के उत्तर में संसूचित संदेय राशियां और अभी तक की गई वसूलियां निम्नवत् हैं :–

(करोड़ रु० में)

	सेवा क्षेत्र	संदेय राशि (ब्याज छोड़कर) जैसा कि लो०स० अतारांकित प्रश्न सं० 2249 में संसूचित किया गया	12.3.2001 से अब तक की गई वसूलियां
मैसर्स कोशिका	उड़ीसा	50.15	शून्य
-वही-	उ०प्र० (पश्चिम)	41.85	शून्य
-वही-	उ०प्र० (पूर्व)	168.01	बैंक गारंटी से 10 करोड़ रुपए वसूल किए गए और ब्याज में समंजित किए गए
-वही-	बिहार	34.77	शून्य
मैसर्स भारती मोबाइल	पंजाब	259.60	शून्य
मैसर्स एयरसेल डिजिलिंक*	उ०प्र० (पूर्व)	माइग्रेशन व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हिस्सेदारी	आज की तारीख में राजस्व हिस्सेदारी की ओर कुछ बकाया नहीं है। लाइसेंसधारक ने स्वप्रमाणीकरण के आधार पर 1.2.2000 से 31.10.2001 की अवधि के लिए राजस्व हिस्सेदारी के रूप में 7.48 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है।

*4.71 करोड़ रुपए की राशि अर्थदण्डों के रूप में प्राप्त हो गई है, बकाया राशि की वसूली अभी की जानी है।

बैंक गारंटियों का नकदीकरण और लाइसेंसों को समाप्त करके सरकार द्वारा लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए कदम उठाए गए। उपभोक्ताओं को दूसरे प्रचालक से सेवा प्रदान कराने का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण मैसर्स एयरसेल डिजिलिंक और मैसर्स कोशिका के उ०प्र० (पूर्व) के लाइसेंसों को समाप्त नहीं किया जा सका, समाप्त किए गए लाइसेंसधारकों को भी देय राशियों की क्लियरेन्स के लिए बहाली-व-माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की गई थी, जिन्हें मूर्तरूप नहीं दिया जा सका। देय राशियों की वसूली के लिए अगली कार्यवाही चल रही है।

(ग) ऊपर दर्शाए गए लाइसेंसों में से, जिन्हें भुगतान में चूक के लिए समाप्त किया गया था, किसी को भी पुनर्जीवित नहीं किया गया है।

रिलायन्स द्वारा मूल सेवाओं का आरंभ किया जाना

3258. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने रिलायन्स के साथ 16 सर्किलों और अंडमान में मूल सेवाओं को आरंभ करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके नियम और शर्तें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) लाइसेंस करार की शर्तों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बुनियादी टेलीफोन सेवा के प्रावधान के लिए लाइसेंस करार की शर्तों की मुख्य-मुख्य बातें

(क) लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के प्रादेशिक कार्य-क्षेत्र में लाइसेंस 20 वर्ष की अवधि के लिए गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किया जाता है। इसकी अवधि एक बार 10 वर्ष बढ़ायी जा सकती है।

(ख) विदेशी इक्विटी भागीदारी 49% से अधिक नहीं होगी।

(ग) लाइसेंसधारक कंपनी में कुल इक्विटी का न्यूनतम 30% हिस्सा रखने वाले प्रवर्तकों के पास दूरसंचार क्षेत्र का अनुभव हो। केवल उन्हीं प्रवर्तकों के निवल मूल्य की गणना की जाएगी जिनके नाम से लाइसेंसधारक कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम 10% इक्विटी स्टेक होगा।

(घ) लाइसेंस निवल मूल्य प्रदत्त इक्विटी पूंजी, प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क का भुगतान बैंक गारंटियों का प्रस्तुतीकरण के संबंध में पात्रता संबंधी आवश्यकताओं के सतत अनुपालन के अत्यधीन होगा।

(ङ) लाइसेंसधारक कितनी की संख्या में दूरसंचार सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर सकता है। सेवा क्षेत्र में कितनी भी संख्या में लाइसेंसों का खुला प्रवेश प्रतिबंध रहित है।

(च) रोल आउट बाध्यताएं एस०डी०सी०ए० (कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों) अर्थात स्थानीय क्षेत्रों में प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पी०ओ०पी०) की अनुबद्ध प्रतिशतता स्थापित करने के संबंध में हैं। श्रेणीवार कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र अर्थात शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को समान अनुपात में कवर किया जाएगा। रोल आउट बाध्यताओं को पूरा करने पर निष्पादन बैंक गारंटी जारी होगी। अंततः कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों का 80% भाग प्रत्येक लाइसेंसधारक द्वारा स्वतंत्र रूप से कवर किया जाएगा और उसके बाद की कवरेज हुए नए लाइसेंसधारकों द्वारा संयुक्त रूप से पूरी की जाएगी।

(छ) लाइसेंस शुल्क की प्रतिभूति जमा करने के लिए अनुबद्ध राशि की वित्तीय बैंक गारंटी।

(ज) वायरलेस के इस्तेमाल/उपकरण के लिए लाइसेंस शुल्क/रायल्टी अलग-अलग अदा की जाएगी।

(झ) एवजी द्वारा उसके प्रतियोगियों को लोकल लूप की पुनः बिक्री करने की अनुमति नहीं है।

(ञ) लाइसेंसों की अभ्यर्पणता/हस्तान्तरणीयता की अनुमति है बशर्ते कि त्रिपक्षीय करार की शर्तों के अनुसार लाइसेंसदाता की पूर्ण-लिखित सहमति हो।

(ट) लाइसेंसधारक इस प्रावधान के साथ फ्रेंचाइजी नियुक्त कर सकता है कि लाइसेंस शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लाइसेंसधारक के हित में हो।

(ठ) बुनियादी टेलीफोन सेवा आपरेटरों को उपभोक्ताओं के वायरलेस लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रणालियों पर हैण्ड हेल्ड टेलीफोन सेटों के इस्तेमाल की अनुमति है, जो तहसीलों के स्थानीय क्षेत्र तक सीमित होगी और इन प्रणालियों के लिए निर्दिष्ट/निर्धारित फ्रीक्वेंसी बैण्ड में 5+5 मेगाहर्ट्ज से कम स्पेक्ट्रम पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर किसी भी बुनियादी सेवा आपरेटर को आबंटित किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम का आबंटन, लाइसेंसधारक द्वारा चरणबद्ध ढंग से पूरी की जाने वाली लाइसेंस करार में यथा अनुबद्ध अपेक्षित निष्पादन संबंधी बाध्यताओं से संबंद्ध होगा। यदि कोई आबंटनग्राही जो अपनी अनुबद्ध रोल आउट बाध्यताओं को पूरा कर पाने और आबंटित स्पेक्ट्रम का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाने में असफल हो जाता है तो आबंटनग्राही लाइसेंसधारक अन्य को स्पेक्ट्रम का आबंटन प्रत्यावर्तित कर सकता है।

(ड) समायोजित सकल राजस्व (ए०जी०आर०) का 12%, 10% और 8% लाइसेंस शुल्क का भुगतान क्रमशः क, ख और ग श्रेणी के सेवा क्षेत्र के लिए देय होगा। स्पेक्ट्रम प्रभार, डब्ल्यू०एल०एल० उपभोक्ताओं से अर्जित ए०जी०आर० के 2% दर से अलग से देय होगा।

इंटरनेट नेटवर्क

3259. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002-2003 के दौरान इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। सरकार का निजी इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं के सक्रिय सहयोग से वर्ष 2002-2003 की अवधि के दौरान देश में इन्टरनेट नेटवर्क का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव है।

(ख) नवम्बर 1998 में घोषित इन्टरनेट सेवा प्रदाता नीति के अनुसार दिनांक 31.10.2003 तक लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया है और इसके बाद से 1/-रुपया प्रति वर्ष न्यूनतम शुल्क प्रभारित किया जा रहा है। अब तक इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए 468 लाइसेंस जारी किये गए हैं और 130 से अधिक इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं ने सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है। सरकार ने उपग्रह तथा समुद्री केबल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे इन्टरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। अब तक सरकार ने 71 इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को इन्टरनेट के लिए 256 अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी है। इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को बेंडविड्थ बेचने की भी अनुमति प्रदान की है।

इन्टरनेट नेटवर्क का विस्तार प्रत्याशित मांगों और कारोबार की अपेक्षाओं पर आधारित होता है। इस समय इन्टरनेट कनेक्शन मांग पर प्रदान किये जाते हैं, इसलिए इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन कनैक्शनों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जाना

3260. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली को टेलीफोन कनैक्शनों के एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने हेतु एक्सचेंज-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) दिनांक 31 जुलाई, 2001 की तिथि के अनुसार इसमें से कितनों को हटाकर दूसरी जगह लगा दिया गया और कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) इनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त टेलीफोन कनैक्शनों को कब तक एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने के कार्य को पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) शिफ्टिंग के लिए लंबित अधिकांश मामले भूमिगत केबल पेयर उपलब्ध न होने के कारण हैं। कुछ मामले ग्राहकों से सूचना न मिल पाने के कारण लंबित हैं।

(घ) मानदण्डों के अनुसार तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी टेलीफोन कनेक्शनों को एक सप्ताह के भीतर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तकनीकी रूप से अव्यवहार्य टेलीफोनों को दिसंबर, 2001 तक शिफ्ट कर दिए जाने की संभावना है।

विवरण

एक्सचेंज का नाम	सिफ्टिंग के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	शिफ्टिंग के लिए लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3
केन्द्रीय	610	10
किदवई भवन	432	12
जनपथ	458	8
सेना भवन	187	10
(आर०ए०एक्स०)	300	शून्य
जोरबाग	611	35
सी०जी०ओ०	217	5
कुल	2815	80
पूर्वी क्षेत्र		
तीस हजारी/स्टोटियन रोड	655	25
दिल्ली गेट/मिन्टो रोड	526	25
ईदगाह/गुलाबी बाग	349	26
कुल	1530	76
उत्तरी-I		
शक्तिनगर	2533	238
केशव पुरम	416	33
कुल	2949	271
उत्तरी-II		
रोहिणी-I	250	5
रोहिणी-II	635	15
दूरस्थ (आउटलाइंग)	503	15
कुल	1388	35
दक्षिण-I		
भीकाजी कामा	1210	—
हौज़खास	1995	62
चाणक्यपुरी	3239	—
कुल	6444	62
दक्षिण-II		
नेहरू प्लेस	3853	65
ओखला	1574	32
तुगलकाबाद	402	53
तेहखण्ड	150	10
कुल	5979	160
टी०वाई०		
लक्ष्मी नगर	2354	125
मयूर विहार-I	890	25
मयूर विहार-II	945	14
कड़कड़डूमा	374	29
शाहदरा	466	101
यमुना विहार	525	13
कुल	5854	307
पश्चिम-I		
शादीपुर	174	शून्य
जनकपुरी	702	04
नज़फगढ़	42	01
द्वारका	362	04
करोल बाग	691	93
पंखा रोड	195	30
दिल्ली कैंट	423	14
कुल	2289	146
पश्चिम-II		
राजौरी गार्डन	1528	99
हरी नगर	738	10
पश्चिम विहार	692	10
नांगलोई	429	25
कंझावला	25	05
कुल	3412	149

एअर इंडिया के विदेश स्थित कार्यालयों में तैनाती

3261. श्री प्रसन्न आचार्य : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में विमानों के प्रमाणन के लिए एअर इंडिया के सभी विदेश स्थित कार्यालयों में तैनाती वर्ष 1979 में प्रबंधन और एअर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच हुए समझौते के मानदंडों के अनुसार ही की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इसी कार्य के लिए वर्कमैन श्रेणी के कितने अभियंताओं की विदेशों में तैनाती की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश में तैनात कर्मकार श्रेणियों के विमान इंजीनियरों की औसत संख्या का उल्लेख नीचे किया गया है :–

वर्ष	संख्या
1998-1999	19
1999-2000	17
2000-2001	17

औषधीय गुण वाले पौधे

3262. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विशेषकर मध्य प्रदेश के पहाड़ियों और वनों में औषधीय गुण वाले पौधों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा औषधीय गुण वाले पौधों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य-वार कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औषधीय पौधों की रोपाई को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2000-01 में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है तथा मध्य प्रदेश सहित 18 राज्यों के लिए 18 परियोजनाओं को विशिष्ट तौर पर 5285 है० क्षेत्र के सुधार हेतु 854.79 लाख रुपये के परिव्यय के साथ एक प्रायोगिक आधार पर औषधीय पौधे उगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

(घ) राज्य-वार विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नौंवी योजना के दौरान गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद सहित औषधीय पौधा स्कीम के तहत औषधीय पौधों की रोपाई संबंधी ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वित्तीय : लाख रु० में
वास्तविक : क्षेत्र हैक्ट० में

क्र० सं०	राज्य	नौंवी योजना		2000-2001			2001-2002	
		स्वीकृत	लक्ष्य	परिव्यय	जारी की गई	उपयोग की गई	परिव्यय	जारी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	75.62	500	27.65	20.00	25.64	47.97	40.00
2.	असम	41.25	300	23.95	18.00	18.00	17.30	17.30
3.	बिहार	88.15	500	46.30	30.00	एन०आर०	41.85	
4.	गोवा	27.50	200	10.80	10.80	7.32	16.70	10.00
5.	गुजरात	77.10	400	24.00	16.00	15.73	53.10	40.00
6.	हिमाचल प्रदेश	17.24	100	4.14	4.14	4.14	13.10	10.00
7.	कर्नाटक	76.70	450	55.82	30.00	30.00	20.88	28.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	केरल	42.00	200	19.00	10.00	6.06	23.00	
9.	मध्य प्रदेश	59.70	325	35.00	20.00	एन०आर०	24.70	
10.	महाराष्ट्र	73.35	500	63.65	40.00	38.33	9.70	22.00
11.	मणिपुर	27.10	200	15.04	10.00	एन०आर०	12.06	
12.	मेघालय	24.55	200	14.20	8.00	एन०आर०	10.35	
13.	मिजोरम	29.45	200	12.65	12.65	एन०आर०	16.80	
14.	नागालैण्ड	24.00	200	12.00	12.00	एन०आर०	12.00	
15.	राजस्थान	78.65	500	48.90	30.00	35.71	29.75	35.00
16.	सिक्किम	37.20	200	16.80	16.80	16.80	20.40	15.00
17.	तमिलनाडु	48.90	250	23.50	20.00	0.00	25.40	
18.	त्रिपुरा	6.33	60	3.25	3.25	2.33	3.08	2.16
	कुल	854.79	5285	456.65	311.64	200.06	398.14	219.46

एन०आर० – राज्यों से प्राप्त नहीं हुई।

रेणूका और किशन बांध

3263. श्री रघुनाथ झा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेणूका बांध और किशन बांध परियोजनाओं को आरंभ नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार परियोजनाओं को तीव्र गति से आरंभ करने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति (टी०ए०सी०) की 18.1.2000 को हुई 72वीं बैठक में रेणुका बांध परियोजना कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृत की गई थी जबकि राज्यों को निदेश देते हुए किशाऊ बांध परियोजना आस्थगित कर दी गई थी कि वह सिंचाई, विद्युत और जल आपूर्ति घटक में परियोजना लागत के आबंटन के बाद इस परियोजना की आर्थिक व्यावहारिकता प्रमाणित करने के साथ-साथ परियोजना की स्वीकृति की आवश्यकताओं को पूरा करें।

जबकि क्रियान्वयन के लिए परियोजनाएं शुरू करने से पहले रेणुका बांध परियोजना के लिए योजना आयोग से निवेश स्वीकृति की आवश्यकता है तथा किशाऊ बांध के लिए तकनीकी सलाहकार समिति से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति तथा योजना आयोग से निवेश स्वीकृति दोनों की आवश्यकता है।

लाभग्राही राज्यों के बीच मौजूदा समझौतों के अनुसार इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

अमृतसर विमानपत्तन पर नयी धावनपट्टी का निर्माण

3264. श्री भान सिंह भौरा :
श्री आर०एल० भाटिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर विमानपत्तन पर नयी धावनपट्टी के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अमृतसर हवाई अड्डे का कोटिउन्नयन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है। इस परियोजना के भाग के रूप में, मुख्य धावनपथ का सुदृढ़ीकरण कर इसका विस्तार 9150 फीट से 10790 फीट तक करने का प्रस्ताव है ताकि मध्यम क्षमता वाले लंबी रेंज वाले विशालकाय विमानों के प्रचालन के सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। मौजूदा धावनपथ, टैक्सी मार्ग इत्यादि के रिसर्फेसिंग का कार्य अप्रैल, 2001 में सौंपा गया है और इसके मई 2003 तक पूरा होने की संभावना है।

डाक विभाग को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में तब्दील करना

3265. श्री ए० ब्रहमनैया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन०बी०एफ०सी०) के रूप में तब्दील करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाएं

3266. **श्री एन०आर०के० रेड्डी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की मंजूरी के लिए हैदराबाद में जल आपूर्ति और सफाई की कोई परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग (सी०डब्ल्यू०सी०) में मई, 1998 में द्वितीय हैदराबाद शहरी जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट को जांच के पश्चात अंतर्राज्यीय पहलू पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणी के साथ जुलाई, 98 में इसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इस परियोजना की स्वीकृति की समय-सीमा अंतर्राज्यीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए तत्काल जल उपलब्ध कराने पर निर्भर करती है।

परिष्कृत बिटुमिन का इस्तेमाल

3267. **श्रीमती रानी नरह** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाला एस०बी०एस० परिष्कृत तारकोल विशेषरूप से उपयोगी है क्योंकि यहां अधिक यातायात के साथ-साथ सड़कों को अधिक भार भी झेलना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर भारी यातायात वाली सड़कों पर इस बिटुमिन के इस्तेमाल के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) अध्ययनों से पता चला है कि पॉलीमर आशोधित बिटुमन की सड़कें अधिक टिकाऊ होती हैं। अनेक किस्म के आशोधित बिटुमिन में से एक एस०बी०एस० आशोधित बिटुमिन है। परिवर्तनशील यातायात, जलवायु आदि के अंतर्गत विभिन्न किस्म के पॉलीमरों का तुलनात्मक कार्य निष्पादन और किफायत अभी सिद्ध की जानी है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवधिक नवीकरण कार्य और भारी यातायात वाले खंडों पर डामर युक्त मार्गों की कम से कम 10% लंबाई में रबड़/पॉलीमर आशोधित बिटुमिन के उपयोग के निर्देश जारी किए हैं।

सीमेंट और तेलशोधक कारखानों द्वारा प्रदूषण

3268. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 2001 की तिथि के अनुसार राज्य-वार कौन-कौन से स्थानों पर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सीमेंट कारखाने और तेलशोधक कारखाने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) देश में 113 बड़े सीमेंट संयंत्र और 15 बडे तेल शोधक कारखाने हैं। 113 सीमेंट संयंत्रों में से 110 संयंत्रों ने आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं और 3 संयंत्र बंद हैं। सभी 15 तेलशोधक कारखानों ने आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण साधन लगा लिए हैं।

(ख) और (ग) सीमेंट संयंत्रों और तेलशोधक कारखानों के उत्सर्जनों और निःस्राव की जांच के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उनकी समय-समय पर मानीटरी की जाती है और यदि एकक निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

महाराष्ट्र में डाकघर/उप डाकघर

3269. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** :
श्री शिवाजी माने :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलावार कितने डाकघर/उप डाकघर हैं;

(ख) राज्य में कितने डाकघर किराये के भवनों में चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महाराष्ट्र राज्य में विभागीय डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में 1857 डाकघर किराये के भवनों में चल रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) डाकघर भवनों के निर्माण के लिए सोलह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर	कुल
1	2	3	4	5
1.	औरंगाबाद	1	46	47
2.	जालना	1	31	32
3.	बीड	1	33	34
4.	धुले	1	34	35
5.	नन्दुरबार		19	19
6.	नासिक	3	93	96
7.	नानदेड़	1	51	52
8.	परभनी	1	23	24
9.	लातूर	1	29	30
10.	जलगांव	3	71	74
11.	उस्मानाबाद	1	30	31
12.	रत्नागिरि	2	78	80
13.	कोल्हापुर	3	91	94
14.	सांगली	2	79	81
15.	सिन्धुदुर्ग	2	56	58
16.	थाणे	3	112	115
17.	रायगढ़	2	64	66
18.	मुंबई	11	250	261
19.	सतारा	2	89	91
20.	शोलापुर	2	91	93
21.	अहमदनगर	2	102	104
22.	पुणे	3	209	212
23.	अकोला	1	32	33
24.	अमरावती	2	52	54
25.	बुलदाना	2	36	38
26.	भण्डारा	1	18	19
27.	चन्द्र पुर	1	35	36
28.	गढ़चिरोली		15	15
29.	नागपुर	3	112	115
30.	वर्धा	1	29	30
31.	यवतमाल	1	43	44
32.	हिंगोली		9	9
33.	गोंदिया	1	14	15
34.	वाशिम		15	15
	कुल	61	2091	2152

[हिन्दी]

देहरादून में हवाई-पट्टी का निर्माण

3270. **श्री जयप्रकाश** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में एक हवाई-पट्टी बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जौली ग्रांट में एक हवाई अड्डा है जो देहरादून से 25 किलोमीटर दूर है तथा इसका प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे को नये टर्मिनल, भवन, रन-वे एक्सटैंशन तथा संबद्ध बुनियादी संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसे विकसित करने की योजना है परंतु लगभग 196 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त करनी होगी तथा उत्तरांचल राज्य सरकार को सड़क मार्ग की दिशा-परिवर्तित करनी होगी।

[अनुवाद]

राजस्थान और पंजाब के नदी जल का पाकिस्तान की तरफ बह जाना

3271. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पंजाब और राजस्थान की नदियों का जल धीरे-धीरे पाकिस्तान की ओर बह रहा है; जिसका पाकिस्तान द्वारा इशिगल नहर में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस जलराशि के बहिर्गत प्रवाह को रोकने के लिए सरकार का नलकूप खुदवाने का प्रस्ताव है, जैसाकि उसके द्वारा अनुबंधित आस्ट्रेलियाई एजेंसी ने सुझाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) रावी तथा सतलज नदियों का अनियन्त्रित अत्यधिक बाढ़ का पानी पाकिस्तान की ओर बह कर जाता है और हाल के वर्षों में देखा गया है कि गैर-बारहमासी घग्गर नदी के माध्यम से अनियन्त्रित प्रवाह बढ़ा है।

(ग) और (घ) पंजाब तथा राजस्थान सरकारों और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

हैदराबाद विमानपत्तन का विकास

3272. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) ने हैदराबाद विमानपत्तन की वर्तमान धावन-पट्टी (रन-वे) का विस्तार करने का निर्णय किया है ताकि विमानों के उतरने और उड़ान भरने में आसानी और सुविधा हो;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर काम कब तक शुरू हो जाने की संभाधना है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) हैदराबाद विमानपत्तन पर धावन-पट्टी के विस्तार-कार्य पर कुल कितनी लागत आएगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य को चालू वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान दिए जाने की संभावना है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए आवंटित राशि 1.00 करोड़ रुपए हैं जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(घ) लगभग 74 करोड़ रु० की लागत का एक मोटा अनुमान लगाया गया है।

निजी विमान सेवाओं को उड़ानों का संचालन करने की अनुमति

3273. **श्री सुबोध मोहिते : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी घरेलू विमान सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय वायुमार्गों पर अपनी उड़ानें संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त संबंध में विमान आयात करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) किसी भी निजी घरेलू एयरलाइन को अभी तक अंतरराष्ट्रीय रूटों पर अनुसूचित उड़ानें प्रचालित करने की इजाजत नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) किसी भी निजी घरेलू ऑपरेटर को अंतरराष्ट्रीय रूटों पर प्रचालन करने के संबंध में विमान आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है। तथापि, पिछले दो वर्ष के दौरान तीन अनुसूचित और उन्नीस (19) गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों को विमान आयात करने संबंधी अनुमति दी गई।

दूरसंचार-सेवाओं का विकास

3274. **श्री ए० नरेन्द्र :**
श्री राजो सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान, उत्तरांचल और बिहार में दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या दूरसंचार सर्किलों ने, इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, अपना काम पूरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार इस प्रयोजनार्थ व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) उप-शीर्ष इन्टरनेट सेवाओं के लिए अलग से निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं बल्कि संपूर्ण दूरसंचार सेवाओं के विकास हेतु आबंटित की जाती हैं। उत्तरांचल बी०एस०एन०एल० सर्किल, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल के विभाजन के बाद जनवरी, 2001 को अस्तित्व में आया। बी०एस०एन०एल० सर्किल उत्तरांचल को आबंटित निधियां अलग से उपलब्ध नहीं है। तथापि, उत्तरांचल तथा बिहार सर्किलों के

सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल और बिहार को आबंटित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

आबंटित निधियां

क्र०सं०	वर्ष	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बिहार
1.	1998-99	438.15 करोड़	293.16 करोड़
2.	1999-2000	529.87 करोड़	385.04 करोड़
3.	2000-01	500.44 करोड़	665.28 करोड़
		उत्तरांचल	**बिहार**
4.	2001-02	187.35 करोड़ (अनन्तिम)	477.72 करोड़ (अनन्तिम आधार पर)

(ख) निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है :–

बी०एस०एन०एल० सर्किल बिहार के लिए –

क्र० सं०	स्कीम	वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
1.	स्वीचिंग	1998-99	185000	129728
		1999-00	213100	187560
		2000-01	343800	337492
2.	डी०ई०एल०	1998-99	131000	103128
		1999-00	163000	125179
		2000-01	260000	264396
3.	वी०पी०टी०	1998-99	6000	2137
		1999-00	8000	4602
		2000-01	24651	2276
4.	इंटरनेट सेवाएं	वर्ष 2000-01 में, बिहार दूरसंचार सेवाओं के सभी 14 एस०एस०ए० मुख्यालयों में इन्टरनेट नोड्स संस्थापित तथा चालू किए गए थे। बिहार के तीनों जिला मुख्यालयों में इन्टरनेट नोड्स संस्थापित किए गए हैं।		

बी०एस०एन०एल० सर्किल उत्तरांचल के लिए :–

लक्ष्य निर्धारित करते समय उत्तरांचल सर्किल अस्तत्व में नहीं था।

(ग) बी०एस०एन०एल० सर्किल उत्तरांचल में हुए व्यय का ब्यौरा अलग-से उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा बिहार सर्किल द्वारा और 30.6.2001 तक उत्तरांचल एवं बिहार सर्किल द्वारा खर्च की गई राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

खर्च की गई राशि

क्र०सं०	वर्ष	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बिहार
1.	1998-99	334.50 करोड़	325.45 करोड़
2.	1999-2000	495.62 करोड़	390.12 करोड़
3.	2000-01	500.44 करोड़*	665.28 करोड़*
		उत्तरांचल	**बिहार**
4.	2001-02	3.53 करोड़* 30 जून तक	65.42 करोड़* 30 जून तक

* लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, तथापि, होने वाले व्ययों के लिए धनराशि आबंटित की गई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3275. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, उदारीकृत आर्थिक-सुधार की अपनी नीति के तहत की गई आकर्षक पेशकशों के परिणामस्वरूप, दूरसंचार-क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) प्राप्त होने की प्रत्याशा है;

(ख) यदि हां, तो अगले दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने की संभावना है; और

(ग) यह निवेश बेहतर और तत्काल सेवा उपलब्ध कराने में किस तरह सहायक होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) का अन्तर-प्रवाह बहुत से घटकों, जैसे निवेश के नए अवसर, अनेक सेवाओं में वृद्धि, इन सेवाओं से आय इत्यादि पर आधारित होगा, अत: अगले दो वर्षों में होने वाले संभावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आकलन करना संभव नहीं है। तथापि, वर्ष 2001 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 के पहले चार माह का एफ०डी०आई० अन्तर-प्रवाह 534.6 करोड़ रुपए है जो वर्ष 1999 और 2000 में प्राप्त कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अधिक है।

(ग) देश में बेहतर और त्वरित दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से, दूरसंचार विभाग ने बुनियादी, सेल्यूलर, वी-सैट, इंटरनेट इत्यादि सेवाओं के लिए अनेक दूरसंचार सर्किलों में निजी भारतीय दूरसंचार कम्पनियों को

लाइसेन्स जारी किए हैं। इन निजी भारतीय दूरसंचार कपनियों ने अनेक स्थानों पर अपने नेटवर्क स्थापित किए हैं और दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये भारतीय कम्पनियां दूरसंचार क्षेत्र में एफ० डी०आई० दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकती हैं।

एन०पी०सी०सी० का पुनरूद्धार

3276. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना-निर्माण निगम (एन०पी०सी० सी०) के पुनरूद्धार का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में कार्मिक-बल बेकार बैठा हुआ है क्योंकि उनके पास कोई विशेष काम नहीं है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्मिक-बल पर कुल कितना गैर-योजनागत खर्च आया;

(ङ) क्या एन०पी०सी०सी० के पुनरूद्धारार्थ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पुनरूद्धार पैकेज को मंजूरी कब तक दे दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। पहले दिसम्बर, 1995 में मैसर्स एस०आर० बाटलीबाय एण्ड कम्पनी ने पुनरूद्धार योजना तैयार की थी। परामर्शदाता द्वारा प्रथम पुनरूद्धार योजना प्रस्तुत करने के बाद काफी समय बीत गया था तथा पी०एस०यू० में काफी चीजों में परिवर्तन हो गया था तो यह महसूस किया गया कि इस योजना का पुनः मूल्यांकन किया जाए। तदनुसार मैसर्स आई०डी०बी०आई० को इस कार्य पर लगाया गया तथा इस संगठन ने नवम्बर, 2000 में पुनरूद्धार योजना प्रस्तुत की है।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्य न होने के कारण काफी संख्या में कार्मिक खाली बैठे हैं। गैर-योजना व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:–

वर्ष	गैर-योजना व्यय (लाख रुपये में)
1998-99	750.00
1999-2000	1000.00
2000-2001	2000.00

(ङ) और (च) आई०डी०बी०आई० द्वारा पुनरूद्धार के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में उसने विभिन्न वित्तीय एवं फीजिकल उपाय करने का सुझाव दिया है। एन०पी०सी०सी० के पुनरूद्धार या अन्यथा का मामला विभिन्न संबंधित विभागों तथा निधियों की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों से जुड़ा हुआ है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक विमान चालन लाइसेंस अर्जित करने के लिए अर्हता

3277. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावसायिक रूप से विमान उड़ाने का लाइसेंस अर्जित करने के लिए आवश्यक अर्हता क्या है;

(ख) क्या वर्तमान में यह लाइसेंस रखने वाला विमान चालक उक्त अर्हता की पूर्ति करते हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों के पास उक्त विमानचालक लाइसेंस हैं और उनमें से कितने विभिन्न विमान सेवाओं में विमानचालक के रूप में कार्यरत हैं; और

(घ) विभिन्न अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित विमान सेवाओं में कितने विमानचालक काम कर रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वायुयान नियम 1937 यथासंशोधित 1993 में उल्लेख है कि वाणिज्यिक विमानचालक अनुज्ञापत्र (सी०पी०एल०) के आवेदक को किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित सहित बारहवीं (10+2) अथवा समकक्षपरीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अनिवार्यता दिनांक 1.1.1994 से लागू हो गई। यद्यपि दिनांक 1.1.1994 से पूर्व, उड़ान प्रशिक्षण के लिए निबंधित/पंजीकृत अभ्यर्थियों को किसी भी उड़ान क्लब/संस्थान/वि० में उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता से छूट दी गई है।

(ग) और (घ) दिनांक 8.8.2001 की स्थिति के अनुसार कुल 4572 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक हैं। पायलटों के (हवाई जहाज/हेलिकॉप्टर) रोजगार का रिकार्ड नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

भूमि पर अतिक्रमण

3278. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार आर उत्तर प्रदेश में डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भूमि को खाली करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार में डाक विभाग के 16 भूखंडों तथा उत्तर प्रदेश में विभाग के 17 भूखंडों के कुछ क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसी भूमि को खाली कराने के लिए स्थानीय पुलिस/प्रशासन/न्यायालयों की सहायता ली गई है।

विवरण

बिहार सर्किल

क्र०सं०	बस्ती का नाम	जिले का नाम
1.	बिहाता बाजार	पटना
2.	सादिसोपुर	पटना
3.	पुरन्दरपुर	पटना
4.	सैदाबाद	पटना
5.	माहवा	वैशाली
6.	देसारी	वैशाली
7.	भागलपुर सिटी	भागलपुर
8.	गिरहांडा	शेखपुरा
9.	औंभेय	शेखपुरा
10.	देहरी-ओन-सोन	सासाराम
11.	रामगढ़	सासाराम
12.	सिकता	प० चम्पारन
13.	रागथवाल	प० चम्पारन
14.	मोतीपुर	मुजफ्फरपुर
15.	परसा	सारन
16.	सकलडीह	सारन

उत्तर प्रदेश सर्किल

क्र०सं०	बस्ती का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	मंजुलिका गार्डन	सहारनपुर
2.	बिशारतगंज	बरेली
3.	मउ	मुरादाबाद
4.	जहांगीराबाद	बाराबंकी
5.	सगरा	प्रतापगढ़
6.	सांगीपुर	प्रतापगढ़
7.	दहिलामऊ	प्रतापगढ़
8.	जरीबाजार	इलाहाबाद
9.	ऊंझा	वाराणसी (पश्चिम)
10.	सिन्धौरा	वाराणसी (पश्चिम)
11.	जवाहरविहार	रायबरेली
12.	सेक्टर ओ अलीगंज	लखनऊ
13.	मेहदावल	बस्ती
14.	सरिला स्टेट	हमीरपुर
15.	मुस्कारा	हमीरपुर
16.	चरखड़ी	हमीरपुर
17.	बेवर	हमीरपुर

[अनुवाद]

एकीकृत वानिकी विकास परियोजना

3279. श्री राजो सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार में, किसी एकीकृत वानिकी विकास परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना राज्य-वार किस तिथि को प्रारंभ की गई थी और इसको पूरा करने के लिए क्या कार्यक्रम रखा गया है;

(ग) इस परियोजना के लिए प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के संचालनार्थ राज्य-वार कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) बिहार राज्य में कोई एकीकृत वानिकी विकास परियोजना क्रियान्वयनाधीन नहीं है। तथापि, विभिन्न राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय दाता अभिकरणों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही 10 वानकी विकास परियोजनाएं 2800 करोड़ रु० के अनुमानित खर्च के साथ क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) से (घ) इन परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा अर्थात् परियोजना अवधि, विदेशी सहायता तथा परियोजना क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी विकास परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	शुरू होने का वर्ष	पूरा होने का वर्ष	विदेशी सहायता (मिलियन)	परियोजना का क्षेत्र
1.	इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान के साथ-साथ वनीकरण एवं चरागाह विकास	1990-91	2001-02	7869 येन	इंदिरा गांधी नहर के साथ-साथ
2.	राजस्थान वानिकी परियोजना, राजस्थान	1995-96	2001-02	4219 येन	राजस्थान के 14 जिले
3.	गुजरात वनीकरण एवं विकास परियोजना, गुजरात	1995-96	2001-02	15760 येन	समस्त गुजरात
4.	पंजाब वनीकरण परियोजना, पंजाब	1997-98	2001-02	6193 येन	समस्त पंजाब
5.	तमिलनाडु वानिकी परियोजना तमिलनाडु	1996-97	2001-02	13324 येन	समस्त तमिलनाडु
6.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना, कर्नाटक	1996-97	2001-02	15698 येन	पूर्वी कर्नाटक में 17 जिले
7.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, उत्तर प्रदेश	1997-98	2001-02	52 अमरीकी डॉलर संयुक्त रूप से	समस्त उत्तर प्रदेश
8.	उत्तरांचल वानिकी परियोजना, उत्तरांचल	1997-98	2001-02		समस्त उत्तरांचल
9.	केरल वानिकी परियोजना, केरल	1997-98	2001-02	39 अमरीकी डॉलर	समस्त केरल
10.	इंडो-जर्मन चेंजर पारिविकास परियोजना	1994-95	2004-05	16 (डी०एम० देयूतेशे मार्क)	हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, बैजनाथ और जयसिंहपुर सिविल उप-मण्डलों का चेंजर क्षेत्र

छत्तीसगढ़ में वन-विकास

3280. डा० चरणदास महंत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र कितना है;

(ख) वनों के संरक्षण और विकास के लिए 2000-2001 के दौरान छत्तीसगढ़ को कितना आबंटन किया गया;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए निर्णय के अनुसार, केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि को आबंटित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजनांदगांव जिले की कार्य-योजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का 56693 वर्ग कि०मी० क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 41.93 प्रतिशत वन आवरण क्षेत्र है।

(ख) तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य की वार्षिक योजना 2000-2001 में वनों की सुरक्षा और विकास के लिए 5057 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को अतिरिक्त निधियां आबंटित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई विशेष आदेश नहीं दिए गए हैं। तथापि वनों की सुरक्षा और विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्यों को अधिकतम संभव निधियां उपलब्ध कराने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) राजनान्दगांव जिले की कार्य योजना मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दी गई है।

उड़ीसा में दूरभाष – सेवाएं

3281. श्री अनन्त नायक : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में दूरभाष-सेवाएं बाधित हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में दूरभाष-सेवाएं बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। लगभग 5000 लाइनें बाढ़ के पानी से प्रभावित होने के कारण, 47 छोटे एक्सचेंजों और 3 मझौले एक्सचेंजों की सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ था।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंजों और रूटों की बहाली युद्ध स्तर पर की गई थी। सभी एक्सचेंजों को 7 दिनों के भीतर बहाल कर दिया गया था। अब सभी एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

विजयवाड़ा विमानपत्तन पर निर्माण-कार्य की स्थिति

3282. श्री राजैया मल्याला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा विमानपत्तन पर धावन-पट्टी के मजबूतीकरण तथा नए एप्रन तथा लिंक टैक्सी-वे हेतु निर्माण-कार्य की वर्तमान स्थिति के बारे में विवरण क्या है;

(ख) क्या उक्त विमानपत्तन का यह कार्य निर्धारित समयावधि से पीछे चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर धावनपथ के सुदृढ़ीकरण और लिंक टैक्सीपथ सहित नये एप्रन के निर्माण का कार्य जुलाई, 1999 में पूरा हो गया था और हवाई अड्डा बी-737 श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नालको का विनिवेश

3283. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम (नालको) सबल वित्तीय स्थिति में है और इसे प्रमुख क्षेत्रगत संस्थाओं की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने शेयरों का आंशिक विक्रय करने की सिफारिश की है और इस मामले को विनिवेश विभाग को भेज दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) सबल वित्तीय स्थिति में हैं। विनिवेश आयोग ने 1998 में, नालको को प्रमुख क्षेत्र की कम्पनी के रूप में माना है। इसने नालको में सरकारी ईक्विटी का 30% और विक्रय करने की सिफारिश की है। नालको में सरकारी ईक्विटी का और विनिवेश किए जाने के बारे में सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना है।

''दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी अभिसरण समूह'' की रिपोर्ट

3284. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी अभिसरण समूह'' (ग्रुप ऑफ टेलीकॉम एण्ड आई०टी० कन्वर्जेंस) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति-99 के अनुपालन में, दूरसंचार, कम्प्यूटर, टेलीविजन और इलैक्ट्रॉनिक्स के तीव्र कन्वर्जेंस के मद्देनजर भारतीय तार अधिनियम 1885 के स्थान पर एक नया व्यापक कानून तैयार करने का प्रस्ताव है। यह मामला वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित दूरसंचार और आई०टी० कन्वर्जेंस दल का विचारार्थ विषय बना। इस दल ने उक्त विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए विख्यात न्यायविद श्री फाली एस० नरीमन, संसद सदस्य, की अध्यक्षता में एक उप-दल गठित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संचार (दूरसंचार, प्रसारण और मल्टीमीडिया सहित) के व्यवस्थित तरीके से, कैरिज और विषयवस्तु को कारगर बनाने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए भारतीय संचार आयोग नामक एकल स्वायत्तशासी सांविधिक निकाय की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस निकाय के पास लाइसेंस अथवा पंजीकरण जारी करने, लाइसेंस तथा पंजीकरण शुल्क सेवाओं के लिए टैरिफ तथा दरें निर्धारित करने, स्पैक्ट्रम आबंटित करने, प्रतियोगिता को कारगर बनाने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने इत्यादि का अधिकार होगा।

तथापि, मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस संबंध में दूरसंचार और आई०टी० कन्वेर्जेंस दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर

3285. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) क्या यह सही है कि इन लोगों को निर्धारित योजनानुसार रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रक्षेपित औसत वार्षिक वृद्धि लक्ष्य 6.5 प्रतिशत था। इस प्रक्षेपित वृद्धि के साथ, 1997-2000 की अवधि के लिए लगभग 50.22 मिलियन रोजगार अवसर प्रक्षेपित किए गए।

(ख) रोजगार के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों से प्राप्त किए जाते हैं। जो रोजगार 1993-94 में लगभग 374.00 मिलियन था वह 1999-2000 में बढ़कर 397.00 मिलियन हो गया।

(ग) अर्थव्यवस्था में यथापेक्षित संवृद्धि न हो पाना प्रमुख कारण है। 10 वर्ष की अवधि के अंदर, अपेक्षित अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के उपाय सुझाने हेतु सरकार द्वारा योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में 1997 में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया।

[अनुवाद]

मुम्बई विमानपत्तन पर शीत-भण्डारणगृह तथा कार्गो की संभलाई की सुविधाएं

3286. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात के परिप्रेक्ष्य में मुम्बई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर एक शीत-भण्डारणगृह स्थापित करने तथा कार्गो की संभलाई की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्णय को अमल में लाया गया है;

(ख) यदि हां तो 31 मई, 2001 की स्थिति के अनुसार, इस संबंध में क्या प्रगति हुई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) मुम्बई हवाई अड्डे पर शीघ्र खराब होने वाली कार्गो सुविधा के लिए अत्याधुनिक केन्द्र के निर्माण तथा प्रचालन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए०पी०ई०डी०ए०) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2484 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई है। मैसर्स (अपेदा) ए०पी०ई०डी०ए० ने दिनांक 27.2.2001 को अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन तथा सुविधा चालू करने का ठेका दिया है। चूंकि केन्द्र का निर्माण उस कार्य स्थल पर किया जाना है जहां इस समय शीघ्र खराब होने वाले कार्गो निर्यात के लिए प्रसंस्करण किया जा रहा है, कामकाज के अंतरिम सुविधा में शिफ्ट होने के बाद ही निर्माण कार्य आरंभ होगा जिसके 1 सितम्बर, 2001 तक तैयार होने की संभावना है।

दिल्ली-रायपुर-नागपुर-दिल्ली वायुमार्ग पर एयरबस-300/320 की सेवा शुरू करना

3287. श्री नरेश पुगलिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-रायपुर-नागपुर-दिल्ली वायुमार्ग पर बोइंग-737 वायुयान के स्थान पर एयरबस-300/320 चलाने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में ए-320 विमान, मौजूदा अनुसूची में सेवाएं प्रचालित करने के मामले में बिल्कुल प्रतिबद्ध है। इसलिए इंडियन एयरलाइंस दिल्ली-रायपुर-नागपुर-दिल्ली मार्ग पर ए-320 विमानों को आरंभ करने की स्थिति में नहीं है। पट्टे पर लिए गए विमान के जरिए इंडियन एयरलाइंस की क्षमता बढ़ाने के बाद वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

राष्ट्रीय खेल विकास निधि

3288. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खेल विकास निधि की स्थापना, खेल-कूद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी संस्थाओं सहित अन्य गैर-सरकारी स्रोतों से संसाधन जुटाने के उद्देश्य को लेकर की गई थी;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान इस निधि में विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी धनराशि योगदान स्वरूप प्राप्त हुई;

(ग) वर्तमान में इस निधि में कुल कितनी राशि जमा है;

(घ) देश में खेल विकास के प्रयोजन से अब तक कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया, उसके संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों से इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई कि उन्होंने किस प्रकार इस निधि का उपयोग किया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान, सरकार ने प्रारंभिक राशि के रूप में 200 लाख रुपये का प्रारंभिक अंशदान किया था।

(ग) इस समय, इस निधि में कुल राशि 5,37,79,242/- रुपये है जिसमें सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज शामिल है।

(घ) अब तक इस निधि से कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय खेल विकास निधि की योजना के प्रावधानों के अनुसार, पात्र संगठनों तथा अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर, राष्ट्रीय खेल विकास निधि संबंधी कार्यकारी समिति द्वारा इस निधि से सहायता के बारे में निर्णय किया जाता है। चूंकि इस निधि से अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है अत: राज्य सरकारों द्वारा इसके उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदूषणकारी उद्योगों और इकाइयों को बन्द करना

3289. डा० वी० सरोजा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित अनेक सेगो उद्योगों और रंगाई इकाइयों को, बहि:स्राव उपचार की समुचित सुविधाएं न रखने के कारण, उच्च न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर बन्द करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों में बहि:स्राव उपचार के आधुनिक संयंत्र लगाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल संसाधनों का निजीकरण

3290. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 2001 के ''दि स्टेट्समैन'' समाचार पत्र में ''सेंटर प्राइवेटाइज़िंग वाटर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय जल नीति संबंधी प्रारूप में देशस्थ विभिन्न जल-संसाधनों के निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1987 में अपनाई गई मौजूदा राष्ट्रीय जल नीति इस समय संशोधन/अद्यतन की जा रही है। राष्ट्रीय जल नीति के अद्यतन मसौदे में प्रस्ताव है कि ''जहां कहीं व्यवहार्य हो, विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी से नए विचारों को शुरू करने, वित्तीय संसाधन सृजित करने तथा प्रयोक्ताओं के लिए सेवा कुशलता और विश्वसनीयता के सुधार में सामूहिक प्रबंधन की शुरूआत करने में सहायता मिलेगी। वैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर, जल संसाधन सुविधाओं के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, पट्टे पर देने और हस्तांतरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के विभिन्न संयोजनों पर विचार किया जा सकता है।'' तथापि, इस समय विचाराधीन राष्ट्रीय जल नीति के अद्यतन मसौदे के अनुमोदन के लिए इस पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता होगी।

एअर इंडिया की शेयर पूंजी

3291. श्री मोहन रावले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में एअर इंडिया की शेयर पूंजी कितनी है;

(ख) किस प्राधिकरण के पास एअर इंडिया की इक्विटी पूंजी है;

(ग) एअर इंडिया का नेटवर्थ कितना है;

(घ) उस प्राधिकरण का नाम क्या है जो एअर इंडिया के घाटे को पूरा करता है; और

(ङ) एअर इंडिया ने किस तरीके से अपनी परिसंपत्ति बनाई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एअर इंडिया के पास 10 रुपए वाली 425,636,820 इक्विटी शेयर तथा 100 रुपए वाली पुन: विचारणीय अधिमान्यता वाले 7,436,318 शेयर हैं। 31 मार्च, 2000 को निर्गमित अभिदत्त और भुगतान की गई पूंजी 10 रुपए प्रत्येक वाली 153,836,427 इक्विटी शेयर हैं जो पूर्णत: भुगतान किए गए हैं और यह राशि 1538.4 मिलियन है।

(ख) एअर इंडिया की संपूर्ण इक्विटी पूंजी भारत सरकार के पास रहती है।

(ग) दिनांक 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया का निवल मोल 401.97 करोड़ रुपए था।

(घ) यदि कोई घाटा होता है तो इसका वहन कंपनी करती है।

(ङ) कई वर्षों में एयरलाइनों द्वारा अर्जित रोकड़ अधिशेष के जरिए एअर इंडिया की परिसंपत्तियां बनाई जाती हैं। अर्जित आंतरिक संसाधनों से परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए ऋण के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

3292. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की कई सिंचाई परियोजनायें मंजूरी के लिये लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से 22 सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 17 परियोजनाएं कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। शेष 5 परियोजनाएं मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

विवरण

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन स्तर

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	लाभ हजार हेक्टेयर में	लाभान्वित होने वाले जिले	स्थिति
1	2	3	4	6	7
1.	इब सिंचाई परियोजना (वृहद)	966.03	115	सुन्दरगढ़	ए
2.	तालाडांडा मुख्य नहर और वितरिका संख्या 12 का सुधार (वृहद)	57.06	13.24	कटक, जगतसिंगपुर	ए
3.	महानदी डेल्टा चरण-I और II में जल निकास (फेज-I) (वृहद)	227.75	47.80	कटक, पुरी	ए
4.	तुरी-गुन्टाट सिंचाई परियोजना (मध्यम)	53.96	9.14	नौरंगपुर	ए
5.	महेन्द्रतनया सिंचाई परियोजना (मध्यम)	68.96	7.940	गजपति	ए
6.	आनंदपुर बैराज परियोजना (वृहद)	482.26	69.12	क्योंझर, भद्रक, बालासोर	बी
7.	ओंग बांध परियोजना (वृहद)	304.66	34.50	बड़ागढ़	बी
8.	कानपुर सिंचाई परियोजना (वृहद)	428.32	47.71	क्योंझर	बी
9.	ब्रुटांग (वृहद)	227.25	31	नयागढ़	बी
10.	ऊपरी इन्द्रावती विस्तार परियोजना (वृहद)	136.67	41.79	कालाहांडी	बी
11.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना (वृहद)	71.66	19.28	कोरापुट, नौरंगपुर	बी
12.	हीराकुंड वितरण प्रणाली का सेसोन नहर प्रणाली तक सुधार (वृहद)	34.92	16.28	सम्बलपुर, बोलंगीर	बी
13.	साल्की सिंचाई परियोजना का सुधार	10.80	19.89	बोध	बी
14.	मनजोर (मध्यम)	37.70	10.43	धेनकनाल	बी
15.	तेलंगीर (मध्यम)	106.19	13.83	कोरापुट	बी
16.	रूकुरा (मध्यम)	15.15	7.65	सुन्दरगढ़	बी

1	2	3	4	6	7
17.	धौरागोथ (मध्यम)	16.80	3.01	धेनकनाल	बी
18.	रेत (मध्यम)	86.14	9.78	कालाहांडी	बी
19.	ऊपरी लांथ (मध्यम)	48.99	6.11	बोलंगीर	बी
20.	सामाकोई (मध्यम)	43.85	10.89	अंगुल	बी
21.	चेलिगाड़ा (मध्यम)	52.96	3.12	गजपति	बी
22.	हदुआ सिंचाई परियोजना (मध्यम)	61.48	5.73	कटक	बी

स्थिति

ए) पत्राचार चल रहा है।

(बी) सलाहकार समिति को प्रस्तुत तथा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

अग्निगुंडला में सीसे की खान

3293. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडला में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड सीसे की खान का परिचालन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कई वर्षों से इस खान में काम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार इस खान के अनुमानित कितने भंडार हैं;

(घ) क्या इस खान के मूल्य का आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या किसी विदेशी पार्टी, को इस खान का संयुक्त रूप से दोहन करने हेतु आमंत्रित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड अग्निगुंडला, जिला गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश में 1978 से सीसा खान का प्रचालन कर रहा है। 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार खान के अनुमानित अयस्क भण्डार 1.545 मिलियन टन है इसमें से 1.350 मिलियन टन गवेषण योग्य हैं, 0.078 मिलियन टन संभाव्य श्रेणी का है और 0.117 मिलियन टन पिलर्स में ब्लाक है। खान से उत्पादित सीसा सांद्र की लागत आयातित सीसा सांद्र की लागत से 60% अधिक है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

कक्कादाबू बांध

3294. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के कसनागोड जिले में कक्कादाबू बांध के निर्माण के विरुद्ध चल रहे आंदोलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे हल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए कक्कादाबू बांध संबंधी कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनके कार्यान्वयन आदि का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का होता है जिसे उनके निजी संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

ब्रह्मपुत्र पर चौथे पुल का निर्माण

3295. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र पर चौथे पुल का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है। यह परियोजना रेल मंत्रालय के 1997-98 के बजट में शामिल की गई थी। उन्होंने पुल और पहुंच मार्गों के लिए स्थान निर्धारण संबंधी अंतिम सर्वेक्षण और ब्यौरेवार जांच पूरी कर ली है। तथापि, इस परियोजना पर वास्तविक कार्य अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा जिसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए अभी कोई तारीख नियत नहीं की गई है। इस कार्य को पूरा करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

झारखंड के श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

3296. श्री राम टहल चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में वर्तमान में उच्च न्यायालय और श्रम न्यायालयों में जिलावार कुल कितने श्रम विवाद लंबित है;

(ख) क्या पिछले दशक के दौरान लंबित मामलों में सतत् वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान के साथ जल संधि

3297. श्री नवल किशोर राय :
डा० सुशील कुमार इंदौरा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ जल संधि, 1960 के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार सिन्धु, झेलम और चिनाब नदियों के ऊपर किसी परियोजना का निर्माण कार्य इनके पानी का उपयोग हेतु नहीं कर सकती;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उक्त नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जम्मू एवं कश्मीर सरकार सिन्धु जल समझौता, 1960 की सीमा के अंदर सिन्धु नदियों (इन्डस), चेनाव, झेलम तथा उनकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के लिए उन पर परियोजना कार्यों का निर्माण कर सकती है।

(ख) इस संधि में भारत द्वारा उपरोक्त नदियों के जल का निम्न प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की व्यवस्था है :

(1) घरेलू उपयोग;

(2) गैर-खपतकारी उपयोग;

(3) 7,01,000 एकड़ की सीमा तक कृषि उपयोग, इसके अतिरिक्त प्रभावी तारीख (1.4.1960) तक सिंचित फसल तथा रणबीर एवं प्रताप नहरों द्वारा सिंचाई;

(4) नदी संयंत्रों और छोटे संयंत्रों द्वारा बहाये हुए जल से जल-विद्युत ऊर्जा का सृजन; और

(5) 3.6 मिलियन एकड़ फिट तक भण्डारण।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार को उपरोक्त नदियों में राज्य द्वारा 28 जल परियोजनाओं, 43 सिंचाई स्कीमों के निर्माण तथा एक नौवहन स्कीम के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से कुछ परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

(ङ) और (च) इस समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना से पाकिस्तान को अवगत कराया जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आवश्यकता पड़ने पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श भी किया जाता रहा है।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा बांड जारी किया जाना

3298. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवा विभाग ने वर्ष 2000-2001 के दौरान कई करोड़ रुपये के बांड जारी करने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि अर्जित की गई है;

(घ) किस तरीके से उक्त धनराशि खर्च की जाएगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार दूरसंचार सेवा विभाग के माध्यम से सेल्यूलर टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने हेतु और अधिक धनराशि के निवेश करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या निर्धारित प्रौद्योगिकी पर अनवरत निर्भरता के संबंध में कोई लागत-प्रभावी अध्ययन कराया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार सेवा विभाग ने बांडों के माध्यम से 2152 करोड़ रुपये उगाहने की योजना बनाई थी किन्तु कोई बांड जारी नहीं किया क्योंकि 1.10.2000 से दूरसंचार सेवा विभाग को भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) के रूप में निगमित कर दिया गया था।

(ग) मार्च, 2001 में बी०एस०एन०एल० द्वारा बांडों के माध्यम से 510 करोड़ रुपये की धनराशि उगाही गई थी।

(घ) दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया गया था।

(ङ) जी, हां।

(च) 2000-2001 के दौरान बी०एस०एन०एल० ने पॉयलट परियोजना के रूप में एक तीसरे ऑपरेटर के बतौर सेल्यूलर सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। सी-डॉट को "टर्न-की" आधार पर 43.8 करोड़ रुपये की लागत पर परियोजना के निष्पादन का कार्य सौंपा गया था जिसमें संस्थापना और चालू करना शामिल था। 2001-2002 में बी०एस०एन०एल० द्वारा जी०एस०एम० सेल्यूलर मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए 780 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है।

(छ) और (ज) निवेश संबंधी लागत और लाभ का मूल्यांकन करना एक सतत प्रक्रिया है, जो नए प्रौद्योगिकी विकल्प के वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध होने पर उनकी शुरूआत करने से पूर्व किया जाता है। हाल ही में बी०एस०एन०एल० ने, स्थायी टेलीफोन सेवाओं के अलावा, डब्ल्यू०एल०एल० और जी०एस०एम० सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है।

नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व

3299. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तरांचल सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) नन्दा देवी को 4.2.1988 से जीवमंडल रिजर्व के रूप में नामोदिष्ट किया गया था जिसके अन्तर्गत 2,236.74 वर्ग कि०मी० भौगोलिक क्षेत्र आता है और इसमें से नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान के 624.26 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को कोर जोन के रूप में नामोदिष्ट किया गया है। फूलों की घाटी, मलारी और सुन्दरधुंगा के समीप के क्षेत्रों के हिस्सों को मिलाकर 7.2.2000 को रिजर्व क्षेत्र का विस्तार किया गया और इस प्रकार इसके अंतर्गत, 5,860.69 वर्ग कि०मी० क्षेत्र आ गया। कोर जोन में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल करके कोर क्षेत्र का भी विस्तार किया गया और इसका क्षेत्र बढ़कर 712.12 वर्ग कि०मी० हो गया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कोर क्षेत्र को सभी मानव दबावों, जो प्रणाली के लिए बाह्य है, से मुक्त रखा जाना है। स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का अनुसमर्थन किया गया है। संरक्षण, विकास और संभार तंत्र समर्थन के माध्यम से हिमालय उच्च भूमि प्राणि भौगोलिक प्रदेश के एक प्रतिनिधि स्थल की दीर्घविधिक सुरक्षा के लिए उसे जीवमंडल रिजर्व का नाम दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना की सफाई

3300. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने धन की कमी के कारण यमुना नदी की सफाई पर अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि और केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिये आवश्यक अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली में यमुना नदी की सफाई से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 1750 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है। प्रस्तावित कार्य नीचे दिए अनुसार है :–

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत
1.	नए सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण	500 करोड़ रुपए
2.	जैव रसायन, मांग, टी०एस०एस० और कालीफार्म निवारण के बेहतर पैरामीटरों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों में सुधार करना	400 करोड़ रुपए
3.	नई सीवर लाईन बिछाना, राइजिंग मेन और पम्पिंग स्टेशन	280 करोड़ रुपए
4.	ट्रंक सीवरों की गाद निकालना और मरम्मत करना	275 करोड़ रुपए
5.	छोटे आकार के सीवरों को बदलना	145 करोड़ रुपए
6.	अनियमित, नियमित कलोनियां, पुर्नवास कालोनियों और शहरी गांवों में आंतरिक सीवर बिछाना	150 करोड़ रुपए

सरकार ने यमुना कार्य योजना के अंतर्गत 15.94 करोड़ रुपये की कुल लागत से दिल्ली के लिए 3 परियोजनाएं अनुमोदित की है। इन परियोजनाओं में दो सीवेज शोधन संयंत्र शामिल हैं जिनकी प्रत्येक की प्रतिदिन की क्षमता 10 मि०ली० है और एक विद्युत शवदाहगृह है। सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण हो गया है और ये सेन नर्सिंग होम नाला और दिल्ली गेट नाले पर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। सराय काले खां में विद्युत शवदाहगृह का निर्माण कार्य चल रहा है।

इसके अतिरिक्त ''यमुना कार्य योजना विस्तारित चरण'' के बीच की लघु अवधि की एक स्कीम के अंतर्गत दिल्ली के लिए 166.62 करोड़ रुपये की राशि प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए अनुमोदित की गई है। इस स्कीम में मुख्यतया 151.42 करोड़ रुपये की लागत से 1146 सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण, 8.31 करोड़ रुपये की लागत से 5 लघु सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण और 2.89 करोड़ रुपये की लागत से सैप्टिक टैंक की सफाई के लिए उपस्करों की खरीद शामिल है।

सरकार द्वारा उपर्युक्त स्कीमों के लिए पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष में दिल्ली नगर निगम सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दी गई राशियां इस प्रकार है :

वर्ष	दी गई अनुदान की राशि (करोड़ रुपये)
1998-99	2.00
1999-2000	1.25
2000-2001	0.68
2001-2002	22.00
जोड़	25.93

(ग) और (घ) वित्तीय कठिनाइयों के अधीन रहते हुए अतिरिक्त धनराशियों की आवश्यकता पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

भूमिगत जल के माध्यम से सिंचाई

3301. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में भूमिगत जल और भूस्तरीय संसाधनों, जैसे बांध और नदियों के द्वारा की जाने वाले सिंचाई के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारण भूमिगत जल स्तर में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) सतही और भूमि जल स्रोतों की चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में सृजित सिंचाई क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घ कालिक प्रेक्षणों से यह पता चला है कि देश के कुछ भागों में भूमि जल के स्तर में गिरावट आई है। विभिन्न राज्यों के जिन जिलों के कुछ स्थानों पर भूमि जल के स्तर में 4 मीटर (1981-2000) से अधिक की गिरावट आई है; उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्यवार चरम सिंचाई क्षमता और सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चरम सिंचाई क्षमता					1996-97 तक सृजित क्षमता (आठवीं योजना के अंत तक					चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में सृजित सिंचाई क्षमता का प्रतिशत
		वृहद और मध्यम	लघु			कुल योग	वृहद और मध्यम	लघु			कुल योग	
			सतही	भूमिगत	कुल			सतही	भूमिगत	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	5000.00	2300.00	3960.00	6260.00	11260.00	3045.10	1223.87	1678.00	2901.87	5946.97	52.82
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	150.00	18.00	168.00	168.00	0.00	81.42	2.00	83.42	83.42	49.65
3.	असम	970.00	1000.00	900.00	1900.00	2870.00	196.67	392.76	200.00	592.76	789.43	27.51
4.	बिहार	6500.00	1900.00	4947.00	6847.00	13347.00	2802.50	743.24	4365.00	5108.24	7910.74	59.27
5.	गोवा	62.00	25.00	29.00	54.00	116.00	13.02	18.52	2.00	20.52	33.54	28.91
6.	गुजरात	3000.00	347.00	2756.00	3103.00	6103.00	1350.00	145.30	1790.00	1935.30	3285.30	53.83
7.	हरियाणा	3000.00	50.00	1462.00	1512.00	4512.00	2078.79	32.77	1544.00	1576.77	3655.56	81.02
8.	हिमाचल प्रदेश	50.00	235.00	68.00	303.00	353.00	10.55	134.38	16.00	150.38	160.93	45.59
9.	जम्मू व कश्मीर	250.00	400.00	708.00	1108.00	1358.00	173.70	364.62	10.00	374.62	548.32	40.38
10.	कर्नाटक	2500.00	900.00	2574.00	3474.00	5974.00	1666.02	743.01	788.00	1531.01	3197.03	53.52
11.	केरल	1000.00	800.00	879.00	1679.00	2679.00	513.31	431.12	142.00	573.12	1086.43	40.55
12.	मध्य प्रदेश	6000.00	2200.00	9732.00	11932.00	17932.00	2317.60	1142.52	1515.00	2657.52	4975.12	27.74
13.	महाराष्ट्र	4100.00	1200.00	3632.00	4852.00	8952.00	2313.00	984.20	1635.00	2619.20	4932.20	55.10
14.	मणिपुर	135.00	100.00	369.00	469.00	604.00	63.00	59.39	1.00	60.39	123.39	20.43
15.	मेघालय	20.00	85.00	63.00	148.00	168.00	0.00	36.55	9.00	45.55	45.55	27.11
16.	मिजोरम	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	12.73	0.00	12.73	12.73	18.19
17.	नागालैण्ड	10.00	75.00	0.00	75.00	85.00	0.00	66.24	1.00	67.24	67.24	79.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	उड़ीसा	3600.00	1000.00	4203.00	5203.00	8803.00	1557.75	656.47	701.00	1357.47	2915.22	33.12
19.	पंजाब	3000.00	50.00	2917.00	2967.00	5967.00	2512.85	-29.83	3384.00	3354.17	5867.02	98.32
20.	राजस्थान	2750.00	600.00	1778.00	2378.00	5128.00	2273.88	372.24	3049.00	2421.24	4695.12	91.56
21.	सिक्किम	20.00	50.00	0.00	50.00	70.00	0.00	26.23	0.00	26.23	26.23	37.47
22.	तमिलनाडु	1500.00	1200.00	2832.00	4032.00	5532.00	1545.51	800.22	1315.00	2115.22	3660.73	66.17
23.	त्रिपुरा	100.00	100.00	81.00	181.00	281.00	2.30	71.58	21.00	92.58	94.88	33.77
24.	उत्तर प्रदेश	12500.00	1200.00	16799.00	17999.00	30499.00	7059.00	961.00	22634.00	23595.00	30654.00	100.51
25.	पश्चिम बंगाल	2300.00	1300.00	3318.00	4618.00	6918.00	1444.08	1356.37	1861.00	3217.37	4661.45	67.38
	कुल राज्य	58367.00	17337.00	64045.00	81382.00	139749.00	32938.63	10826.92	45663.00	56489.92	89428.55	63.99
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	98.00	41.00	5.00	46.00	144.00	18.51	48.91	63.00	111.91	130.42	90.57
	कुल योग	58465.00	17378.00	64050.00	81428.00	139893.00	32957.14	10875.83	45726.00	56601.83	89558.97	64.02

विवरण-II

भू-जल स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट वाले स्थानों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिले के नाम (1981-2000)

राज्य	जल स्तर में गिरावट
आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीम नगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूब नगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी।
बिहार (झारखण्ड सहित)	धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, दरभंगा।
छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दनगांव, सतना, सिधी।
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर।
हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर।
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण), बेल्लारी, बेलगाम, बीदर, बगलकोट, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हवेरी, हासन, कोलार, मैसूर, चमराजानगर, रायचूर, शिमोगा, कपोल, तुमकुर, उत्तर कन्नड़।
मध्य प्रदेश	बेतुल, भिंड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खाण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मोरेना, नरसिंगपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रायगढ़, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा।
महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, बीद, बंबई, धुले, गडचिरौली, कोल्हापुर, नांदेड़, नासिक, ओसमानाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलदाना, चंद्रपुर, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग, थाने, सतारा, सोलापुर, वर्धा, यवातमल।
उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बोलंगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जजपुर, कालाहांडी, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नावापाड़ा, नौरंगपुर, सुंदरगढ़, सुवर्णपुर।
पंजाब	अमृतसर, भंटिडा, फतेहगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर।
राजस्थान	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, उदयपुर।
तमिलनाडु	कोयंबतूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, मद्रास, पुदुकोट्टाई, शिवगंगाई, तजावूर, थेनी, तिरूनेलवेली, तिरूवेल्लूर, तिरूवन्नामली, तिरूवरूर, तुतीकोरीन।
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ मुरादाबाद, रायबेरली, सहारनपुर, उन्नाव।
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, वर्दमान, मिदनापुर, उत्तर-24 परगना, पुरूलिया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	महरौली, नजफगढ़ और शहरी खंड।
पांडिचेरी	पांडिचेरी।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन

3302. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन के लिये विस्तृत संदर्शी योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अनुमानित लागत विमानपत्तन-वार कितनी थी;

(ग) क्या इस कार्य में निजी पार्टियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन का सतत् प्रक्रिया है जिसे यात्री यातायात की आवश्यकताओं और विभिन्न उपकरणों की तकनीक में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निम्नलिखित हवाई अड्डों पर टर्मिनलों की शहरी ओर पर कनोपी की व्यवस्था करने और नये टर्मिनल भवनों के निर्माण और टर्मिनल भवनों के विस्तार की योजनाएं हैं। (संबंधित हवाई अड्डों के लिए अनुमानित लागत को करोड रुपए में कोष्ठक में बताया गया है) :–

जयपुर (10.00), त्रिची (25.00), मदुरै (20.00), कोयम्बतूर (20.00), विजयवाड़ा (5.00), राजामुन्दरी (2.00), विजाग (15.00), डिब्रुगढ़ (20.00), गया (10.00), वाराणसी (45.00), खजुराहो (10.00), उदयपुर (15.00), जबलपुर (10.00), कुल्लु (10.00), कांगड़ा (16.96), पोरबन्दर (9.00), देहरादून (10.00), औरंगाबाद (10.00), कालीकट (15.00), मंगलौर (10.00), अहमदाबाद (40.00), बंगलौर (10.00), श्रीनगर (20.00)।

निम्नलिखित हवाई अड्डों पर उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली संस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है :– मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तिरूवनन्तपुरम्, कालीकट, मंगलौर, बागडोगरा, अगरतला, मदुरै, विजाग, कोयम्बतूर और त्रिची। उपरोक्त कार्य के लिए कुल प्रावधान 10.74 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) यात्री सुविधाओं के उन्नयन के लिए कार्य को सामान्यतया निविदाएं आमंत्रित करके किया जाता है जिसमें निजी पार्टियां भी भाग ले सकती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

3303. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 2001 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार के अनुसार, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तकनीकी खामियों को समाप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) एम०टी०एन०एल० की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) काल्ड नम्बर पर "नम्बर बदल गया है," "डायल किया गया नम्बर मौजूद नहीं है" इत्यादि उद्घोषणाएं कालिंग पार्टी को वांछित टेलीफोन नम्बरों के बारे में सही स्थिति बताने के लिए की जाती है।

(ग) 1 जून, 2001 के दैनिक जागरण में उल्लिखित टेलीफोन नम्बरों के बारे में तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत है :

(i) टेलीफोन नं० 7535147 : लेवल 753, 09.05.2001 को लेवल 363 के रूप में बदल दिया गया था इसलिए इस लेवल पर टेलीफोन उपभोक्ताओं की असुविधा का परिहार करने के लिए कम्प्यूटरीकृत उद्घोषणा "नम्बर बदल गया है" दर्ज की गई थी। तथापि, बदला हुआ टेलीफोन नम्बर अर्थात्, 3635147 उस समय टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण कटा हुआ था इसलिए उस लाइन पर "यह नम्बर मौजूद नहीं है" की उद्घोषणा हो रही थी।

(ii) टेलीफोन नं० 6993594 और 6990404 : लेवल 699 को मार्च 2000 में लेवल 609 के रूप में बदल दिया गया था। इस प्रकार, इस लेवल के टेलीफोन नम्बरों के लिए "यह नम्बर बदल गया है" की कम्प्यूटरीकृत उद्घोषणा, ठीक ही की जा रही थी।

[अनुवाद]

गांवों में डाक/तार सुविधा

3304. श्री जे०एस० बराड़ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने गांवों में डाकघर और तार घर दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितने गांवों में केवल डाकघर सुविधा है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कितने गांवों में कोई डाकघर नहीं है; और

(ग) इन गांवों में कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सभी गांवों को डाक के वितरण तथा संग्रहण की सुविधा प्रदान की गई है। जिन क्षेत्रों में डाकघर नहीं हैं, वहां जब वितरण एजेंट

डाक वितरित करने के लिए जाता है, तो उसके माध्यम से डाक-टिकटों और डाक-लेखन सामग्री की बिक्री भी की जाती है।

135678 गांवों में डाकघर हैं।

देश में 34908 गांवों में तारघर की सुविधा है।

(ग) डाकघर मानदंडों पर आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

इंचामपल्ली और पोचामपल्ली परियोजनायें

3305. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इंचामपल्ली और पोचामपल्ली परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिये जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) किसी भी प्रकार की ऐसी सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) गोदावरी बेसिन के 8 मध्यम परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं अर्थात् पालेमवागु, येररावागु, सुद्दावागु, पेड्डावागु, सुरामपालेम फेज-II, भुपतिपालेम, सुरामपालेम जलाशय के तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। कोल्वाडकालवा मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में राज्य सरकार को सुझाव दिया गया कि वह अपने स्तर पर निवेश स्वीकृति प्रदान करें क्योंकि इस परियोजना में कोई अंतर्राज्यीय मुद्दा शामिल नहीं है।

ई०एस०आई० योजना द्वारा सेवा गुणवत्ता

3306. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई०एस०आई० योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवाओं की विभिन्न गुणवत्ता की जांच के लिये कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा श्री एस० सत्यम की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने जनवरी, 1999 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सत्यम समिति की सिफारिशें कर्म०रा०बी० निगम तथा राज्य सरकार दोनों स्तरों पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

आंध्र प्रदेश में ओवर/अण्डर ब्रिजों का निर्माण

3307. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश में निर्माण के लिए प्रस्तावित सड़क ओवर ब्रिजों और सड़क अंडर ब्रिजों का ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 214 के कातीपुड़ी-पमारू खंड के 19/8 कि०मी० में एक सड़क उपरि पुल के लिए भूमि अधिग्रहण, वार्षिक योजना 2001-2002 में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

3308. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत कुछ महीनों के दौरान घोषित नये राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होने जा रहा है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य शहरों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इसे मार्ग की स्थिति, यातायात आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। सामान्यत: उत्तर प्रदेश के मुख्य शहर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हैं।

विमान कंपनियों द्वारा भूकंप पीड़ितों को दी गई सहायता

3309. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान कंपनियों द्वारा गुजरात में भूकंप प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने में निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली विमानकंपनियों के विमानों की संख्या और ब्यौरे क्या हैं और राज्य के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उड़ानें भरीं;

(ग) किस समय अवधि के दौरान भुज-अहमदाबाद-भुज मार्ग पर शटल सेवा संचालित की गई; और

(घ) गुजरात में भूकम्प राहत सामग्री के परिवहन में विमानकंपनियों पर आए अतिरिक्त भार/लागत खर्च/वहन किए गए अन्य खर्चों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस ने 26 जनवरी से 14 फरवरी, 2001 के दौरान 184 अतिरिक्त उड़ानों का प्रचालन किया तथा 775 टन राहत सामग्री पहुंचाई। एअर इंडिया ने 26 जनवरी से 22 फरवरी, 2001 तक मुम्बई और दिल्ली में राहत सामग्री ले जाते हुए 56 उड़ानों को हैंडल किया और विदेशों से प्राप्त 376.875 टन राहत सामग्री का वहन किया। इसके अतिरिक्त गुजरात में आए विनाशकारी भूकम्प के बाद सहायता प्रचालनों के लिए 22 फरवरी, 2001 तक अहमदाबाद और भुज हवाई अड्डे से और के लिए 126 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों सहित 173 राहत उड़ानों का भी प्रचालन किया। इंडियन एयरलाइंस ने भुकम्प-पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री स्वीकार करने के अनुदेश जारी किए हैं। एअर इंडिया ने भारत के विभिन्न स्थानों से राहत सामग्री की निशुल्क ढुलाई की पेशकश की है। जेट एयरवेज ने भूकम्प राहत सामग्री के परिवहन के अपनी 7 अतिरिक्त उड़ानों के प्रचालन पर 39 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने केवल राहत प्रचालनों के लिए प्रचालित की जाने वाली सभी अंतर्देशीय/अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर सभी हवाई अड्डा प्रभारों को माफ कर दिया है और 28 फरवरी, 2001 तक कार्गो/टर्मिनल हैंडलिंग के प्रभारों को भी माफ कर दिया है।

नदी जल के बंटवारे पर विवाद

3310. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नदी जल विवादों का निपटारा किया गया;

(ख) पिछले पांच से भी अधिक वर्षों से कितने और कौन-कौन से नदी जल विवाद समाधान हेतु लम्बित हैं; और

(ग) विवादों का निपटारा न होने से किन राज्यों को जल की कमी का सामना करना पड़ा रहा है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोई नदी जल विवाद नहीं निपटाया गया है।

(ख) और (ग) अंतर्राज्यीय जल विवाद (आई०एस०डब्ल्यू० डी०) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच रावी और व्यास जल विवाद तथा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के बीच कावेरी जल विवाद क्रमशः अप्रैल, 1986 और जून, 1990 में इन अधिकरणों को भेजा गया था। रावी और व्यास जल अधिकरण ने अपनी पहली रिपोर्ट जनवरी, 1987 में प्रस्तुत कर दी है। केन्द्र सरकार और पक्षकार राज्यों ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के तहत अधिकरण से स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश मांगे हैं। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 को अंतरिम आदेश पारित किया है।

मध्य प्रदेश में डाकघर/शाखा डाकघर

3311. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल कितने उप डाकघर/शाखा डाकघर खोले गये; और

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यों में खोले जाने वाले उप डाकघरों/शाखा डाकघरों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विभिन्न सर्किलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए उप-डाकघरों तथा शाखा डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2001-2002 में 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। डाकघर मानदंडों के पूरा होने तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन आवंटित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए खोले जाएंगे/दर्जा बढ़ाया जाएगा।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्र० सं०	सर्किल	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर	शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर	शाखा डाकघर	विभागीय उप उपडाकघर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	4	3	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	54	5	24	7	30	3
3.	बिहार	72	2	51	शून्य	70	1
4.	छत्तीसगढ़					25	1
5.	दिल्ली	4	2	4	2	4	2
6.	गुजरात	31	2	28	2	8	4
7.	हरियाणा	13	3	12	1	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	7	1	2	1	2	1
9.	जम्मू व कश्मीर	23	1	14	1	5	1
10.	झारखंड					शून्य	1
11.	कर्नाटक	12	4	21	3	21	2
12.	केरल	12	3	4	2	4	1
13.	मध्य प्रदेश	50	5	40	4	15	3
14.	महाराष्ट्र	69	3	50	3	60	7
15.	उत्तर-पूर्व	54	3	19	3	3	3
16.	उड़ीसा	10	2	14	2	10	2
17.	पंजाब	12	2	9	1	12	2
18.	राजस्थान	30	1	24	1	20	2
19.	तमिलनाडु	10	2	15	2	15	2
20.	उत्तर प्रदेश	82	3	10	2	45	शून्य
21.	उत्तरांचल					6	1
22.	पश्चिम बंगाल	43	4	41	9	शून्य	10
	कुल	598	50	386	49	363	52

विवरण-II

योजना वर्ष 2001-2002 में डाकघर खोलने के लिए वास्तविक लक्ष्य

क्रम सं०	सर्किल	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	1
2.	असम	35	2
3.	बिहार	60	5
4.	छत्तीसगढ़	25	1
5.	दिल्ली	2	2
6.	गुजरात	20	3
7.	हरियाणा	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1
9.	जम्मू व कश्मीर	13	1
10.	झारखंड	30	2
11.	कर्नाटक	20	2
12.	केरल	2	1

1	2	3	4
13.	मध्य प्रदेश	21	3
14.	महाराष्ट्र	70	7
15.	उत्तर-पूर्व	35	2
16.	उड़ीसा	14	2
17.	पंजाब	6	2
18.	राजस्थान	20	2
19.	तमिलनाडु	5	2
20.	उत्तर प्रदेश	45	2
21.	उत्तरांचल	25	1
22.	पश्चिम बंगाल	30	5
	कुल	500	50

राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु नियम

3312. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु क्या नियम निर्धारित किये गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) केन्द्र सरकार सामान्यत: नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण नहीं करती। यह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंड जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिया गया है, के आधार पर उपयुक्त राज्यीय सड़कों का अधिग्रहण करती है और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करती है।

(ख) गत तीन वर्षों (1.4.1998 से 31.3.2001) के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी मापदंड इस प्रकार हैं :–

(i) देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।

(ii) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानी तथा राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें।

(iv) महापत्तनों, विशाल औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें।

(v) अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(vi) ऐसी प्रमुख सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त कमी होती हो और जिससे पर्याप्त आर्थिक विकास होता हो।

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े भू-भाग को खोलने में मदद मिलती हो।

(viii) ऐसी सड़कें जिनसे 100 कि०मी० की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होती हो।

(ix) ऐसी सड़कें जो तकनीकी आवश्यकताओं और भूमि आवश्यकताओं दोनों के संदर्भ में राज्यीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानक स्तर की हों।

(x) सड़क और उसका मार्गाधिकार क्षेत्र किसी भी किस्म के अतिक्रमण से मुक्त हो और राज्य की संपत्ति हो।

(xi) राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपेक्षित मार्ग क्षेत्र (वरीयत: 45 मीटर न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए उपलब्ध हो और अतिक्रमण मुक्त हो तथा राज्य सरकार 6 महीने में अधिग्रहण की औपचारिकता पूरी करे।

नोट : राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर देश की समग्र आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है न कि किसी स्थानीय आवश्यकता विशेष के आधार पर।

विवरण-II

गत तीन वर्षों (1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2001) के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्र० सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	202, 205, 214, 219 तथा 9 का विस्तार
2.	अरूणाचल प्रदेश	153
3.	असम	151, 152, 153, 154 तथा 54 का विस्तार
4.	बिहार	30ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106 व 107

1	2	3
5.	चंडीगढ़	कुछ नहीं
6.	छत्तीसगढ़	12ए, 78, 200, 202, 216 व 217
7.	दिल्ली	कुछ नहीं
8.	गोवा	कुछ नहीं
9.	गुजरात	8ए, 8डी व 8ई
10.	हरियाणा	21ए, 71, 71ए, 72, 73 तथा 64 का विस्तार
11.	हिमाचल प्रदेश	21ए, 70, 72 व 88
12.	जम्मू और कश्मीर	1सी तथा 1बी का विस्तार
13.	झारखंड	75, 78, 80, 98, 99 व 100
14.	कर्नाटक	रा०रा० 13 का विस्तार, 206, 207, 209, 212 व 218
15.	केरल	208, 212, 213, 220
16.	मध्य प्रदेश	59ए, 75 तथा 75 का विस्तार, 76, 79, 86 तथा 86 का विस्तार व 92
17.	महाराष्ट्र	204 व 211
18.	मणिपुर	150
19.	मेघालय	62 का विस्तार, 40 का विस्तार
20.	मिजोरम	44ए, 150 व 154
21.	नागालैंड	150
22.	उड़ीसा	200, 201, 203, 215 व 217
23.	पांडिचेरी	45ए का विस्तार
24.	पंजाब	64 का विस्तार, 70, 71, 72 व 95
25.	राजस्थान	76, 79, 89, 65 व 90
26.	सिक्किम	कुछ नहीं
27.	तमिलनाडु	45ए का विस्तार, 45बी, 67 का विस्तार, 205, 207, 208, 209, 210, 219 व 220
28.	त्रिपुरा	44ए
29.	उत्तर प्रदेश	2ए, 24ए, 25, 25ए, 56ए, 56बी, 72, 73, 74, 75 तथा 75 का विस्तार 76, 86, 87, 91, 92, 93, 96 व 97
30.	उत्तरांचल	58, 72, 73, 74, 87 व 94
31.	पश्चिम बंगाल	60 का विस्तार, 80 व 81

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 का निर्माण

3313. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 का एक निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 60 की कुल लंबाई 271 कि०मी० है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 60 के बालासोर (उड़ीसा में) से खडगपुर (पश्चिम बंगाल में) तक 118 कि०मी० लंबा खंड, स्वर्णिम चतुर्भुज के एक भाग के रूप में चार लेन का बनाया जा रहा है और इसे दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना 2001-2002 के अंतर्गत 5 कि०मी० को चौड़ा करने और सुदृढ़ बनाने तथा 10 कि०मी० की सड़क गुणता में सुधार किया जा रहा है। शेष खंड को धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणों में सुधारा जाएगा।

राजस्थान में डब्ल्यू०एल०एल० कनेक्शन

3314. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय जिलेवार कितने वायरलेस इन लोकल लूप कनेक्शन प्रदान किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में और ऐसे कनेक्शन प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कनेक्शनों को शेष क्षेत्रों में कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मै० श्याम टेलीलिंक लि० ने राजस्थान में अभी तक डब्ल्यू०एल०एल० के 6657 कनेक्शन (6350) जयपुर में और 307 जोधपुर में) प्रदान किए हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। मै० श्याम टेलीलिंक लिमिटेड का मार्च 2002 के अन्त तक राजस्थान के उदयपुर तथा श्रीगंगानगर में इस प्रकार के और कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। मै० भारत संचार निगम लि० ने भी चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2001-2002 के अन्त तक राजस्थान सर्किल में डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली पर 18900 (अजमेर, जयपुर, जोधपुर में शहरी अनुप्रयोगों के लिए 6,900 और अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर तथा श्रीगंगानगर में ग्रामीण

अनुप्रयोगों के लिए 12000) लाइनों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है।

उच्च अधिकार प्राप्त समिति

3315. श्री रामदास आठवले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लाइसेंस धारक कंपनियों के मामलों का निर्णय करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है जिन्होंने राहत के लिए कहा है अथवा जहां लाइसेंस समझौते के खंडों के भाषान्तरण में अस्पष्टता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी सिफारिशों को कब तक सौंपे जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) महोदय, दूरसंचार विभाग में 1 जुलाई, 1998 को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। इस समिति में, दूरसंचार आयोग के सभी स्थायी सदस्य समिति के सदस्यों के रूप में और दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। समिति का गठन बुनियादी और मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसों से संबंधित विभिन्न मामलों को निपटाने के लिए किया गया है।

(ग) यह एक स्थायी समिति है। मामलों पर समिति द्वारा विचार किया जाता है और जब भी मामले उत्पन्न होते हैं, उन पर निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

रिक्त पद

3316. डा० बलिराम : क्या संचार मंत्री 19.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3307 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के दिल्ली और मुम्बई कार्यालयों में टी०टी०ए० के रिक्त पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की मौजूदा संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क), (ख) और (घ) जी, नहीं। तथापि, मार्च, 2002 तक प्रक्रिया पूरी होने की आशा है।

(ग) रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :–

दिल्ली यूनिट	:	760
मुम्बई यूनिट		226

[अनुवाद]

नई अभिनव परियोजनाएं

3317. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने हेतु कोई नई अभिनव परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए राज्य-वार आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर सूखे क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में जल संचयन और जलापूर्ति के लिए अन्य देशों और विदेशी वित्तीय एजेन्सियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल हस्तांतरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है और जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए भू जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन नामक एक दूसरी स्कीम है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत सभी 17 जल हस्तांतरण संपर्कों और हिमालयी नदी विकास घटक के तहत 14 हस्तांतरण संपर्कों के व्यावहारिकता पूर्व अध्ययन पूरे कर लिए हैं। 5 जल हस्तांतरण संपर्कों के भी व्यावहारिकता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने ''भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन'' नामक अपने केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक आधार पर भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन संबंधी प्रयोग किए हैं। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस स्कीम के तहत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुमोदित प्रस्तावों की 1-2 वर्षों में क्रियान्वित होने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अनुमोदित स्कीमों के राज्यवार विवरण

क्र० सं०	राज्य	स्कीमें (संख्या)	अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)	स्थिति
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	54.55	क्रियान्वयनाधीन
2.	असम	1	56.69	क्रियान्वयनाधीन
3.	बिहार	4	18.69	क्रियान्वयनाधीन
4.	दिल्ली	14	86.43	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
5.	गुजरात	3	18.95	क्रियान्वयनाधीन
6.	हरियाणा	8	139.12	तीन स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	तीन स्कीमें पूरी हो गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
8.	जम्मू और कश्मीर	11	190.19	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
9.	झारखण्ड	6	28.04	क्रियान्वयनाधीन
10.	कर्नाटक	1	13.75	क्रियान्वयनाधीन
11.	केरल	9	67.62	पांच स्कीमें पूरा होने के अंतिम चरण पर हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
13.	महाराष्ट्र	3	76.63	क्रियान्वयनाधीन
14.	मेघालय	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
15.	मिजोरम	1	28.00	विचाराधीन
16.	नागालैंड	1	70.00	क्रियान्वयनाधीन
17.	उड़ीसा	2	437.40	क्रियान्वयनाधीन
18.	पंजाब	15	251.49	छः स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
19.	राजस्थान	13	84.27	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
20.	तमिलनाडु	8	198.98	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	5	37.21	क्रियान्वयनाधीन
22.	उत्तरांचल	1	2.00	क्रियान्वयनाधीन
23.	पश्चिम बंगाल	8	167.82	क्रियान्वयनाधीन

मुंबई में कच्छ वनस्पतियों का विनाश

3318. श्री किरीट सोमैया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंबई के माहुल में कच्छ वनस्पतियों के विनाश और सी०आर०जैड० के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या ''एवरस्माइल'' नामक एक निजी भवन निर्माता ने सी० आर०जेड० क्षेत्र में विशाल भवनों, परिसरों का निर्माण शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने किसी एजेंसी के माध्यम से इस क्षेत्र में सी०आर०जेड० से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स एवरस्माइल कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई ने माहुल क्रीक के नजदीक एक आवासीय काम्प्लैक्स का निर्माण शुरू किया है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत मैसर्स एवरस्माइल कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को कच्छ वनस्पतियों के विनाश को रोकने और तटीय विनियमन क्षेत्र (सी०आर०जैड०) के अंदर सुधार कार्य करने तथा सी०आर०जैड० क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय काम्पलैक्स के और आगे निर्माण को बंद करने तथा मुम्बई में माहुल क्रीक के साथ-साथ सी०आर०जैड० के अंदर किए गए सभी निर्माणों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं।

(घ) और (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1 अगस्त, 2001 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या मैसर्स एवरस्माइल कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुम्बई में माहुल क्रीक के पास किए गए निर्माण तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 तथा महाराष्ट्र के अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुसार हैं। समिति को एक माह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

वाराणसी और लखनऊ के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

3319. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वाराणसी और लखनऊ विमानपत्तनों से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लिए उड़ानें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ानों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) नेपाल और श्रीलंका दोनों की नामित विमानकम्पनी को वाराणसी की स्वीकृति एक अवतरण स्थल के रूप में की गयी है। नेपाल की नामित विमानकंपनी को लखनऊ आने-जाने की भी अनुमति दी गयी है। तथापि वास्तविक प्रचालन उनके वाणिज्यिक विवेक पर निर्भर करता है। नेपाल की नेकन एयर इस समय वाराणसी के लिए/से प्रचालन कर रही है।

[अनुवाद]

टेलीफोन एक्सचेंज

3320. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विशेषकर कराईकुडी, त्रिची, अप्पूर और रामनंद जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण कार्य को पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में नए टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यों को पूरा करने में अभी तक हुई प्रगति तथा उक्त कार्यों को पूरा करने में लगने वाले सम्भावित समय का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है :

वर्ष 2001-2002 के दौरान नियोजित एक्सचेंजों की संख्या	1.4.2001 से 31.7.2001 तक चालू किए गए एक्सचेंजों की संख्या	उन एक्सचेंजों की संख्या, जिन्हें अभी चालू किया जाना है	शेष एक्सचेंजों को चालू करने की अनन्तिम तिथि
75	23	52	31.3.2002

उपरोक्त में से, कराईकुड़ी, त्रिची, अप्पूर तथा रामनन्द में टेलीफोन एक्सचेंजों से संबंधित ब्यौरा और उक्त कार्यों को पूरा करने में लगने वाले सम्भावित समय का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है :

राजस्व जिला	वर्ष 2001-2002 के दौरान नियोजित एक्सचेंजों की संख्या	1.4.2001 से 31.7.2001 तक चालू किए गए एक्सचेंजों की संख्या	उन एक्सचेंजों की संख्या जिन्हें अभी चालू किया जाना है	शेष एक्सचेंजों को चालू करने की अनन्तिम तिथि
कराईकुडी (शिवगंगा)	2	शून्य	2	31.3.2002
त्रिची	2	शून्य	2	31.3.2002
अप्पूर (रामनन्द	6	शून्य	6	31.3.2002

*कराईकुड़ी तथा अप्पूर, जिले नहीं हैं।

मुजफ्फरनगर के आस-पास बाई पास

3321. **श्री सईदुज्जमा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के उत्तरी भागों से अधिकांश कांवरिया परंपरा के अनुसार हरिद्वार से गंगा जल लाने जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुरक्षित आवागमन के लिए मुजफ्फरनगर के आस-पास कांवरियों के उपयोग हेतु एक बाई पास का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कांवड़ियों के इस्तेमाल के लिए मुजफ्फरनगर के आस-पास नए बाइपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रा०रा०-58 पर 15.75 कि०मी० लंबाई का मुजफ्फरनगर बाइपास पहले से ही है।

पर्यावरण और वन संबंधी परामर्शदात्री समिति

3322. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन संबंधी परामर्शदात्री समितियों का केन्द्र और राज्य स्तर पर नियमित रूप से गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परामर्शदात्री समितियों के गठन के लिए नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है और समिति की अवधि कितनी है;

(घ) क्या इन नियमों का राज्यों द्वारा समिति के गठन के समय अनुपालन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विनियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) मंत्रालय की अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समय-समय पर केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर विभिन्न विशेषज्ञ और परामर्शदात्री समितियों का गठन करता है।

(ग) से (ङ) इन समितियों के विचारार्थ विषय समिति के विशिष्ट अधिदेश पर निर्भर करते हैं। सामान्यतया इसकी अवधि 2 से 5 वर्ष तक होती है। इन समितियों में अकादमी, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व होता है जो स्कीमों/कार्यक्रमों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

विमानपत्तनों का उन्नयन

3323. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक विमानपत्तनों का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्नयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमानपत्तनों से कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने हेतु व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ देशों ने इन विमानपत्तनों से उड़ानों के परिचालन हेतु और अन्य विमानपत्तनों से अतिरिक्त उड़ानों को शुरू करने की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) मई, 2000 में सात और हवाई अड्डे अर्थात् अहमदाबाद, कोचीन, हैदराबाद, गुवाहाटी, अमृतसर, बेंगलूर और गोवा स्थित हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है इस प्रकार देश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या 12 हो गई है।

(ग) से (छ) यातायात मांग के आधार पर समय-समय पर विभिन्न हवाई अड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन की समीक्षा की जाती है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उनके स्तरोन्नयन के समय से ही बेंगलूर को हांग कांग, जर्मनी, मलेशिया और गल्फ एयर के स्वामित्व बाली चार गल्फ एयर, हैदराबाद से मलेशिया और यू०ए०ई० (दुबई) अमृतसर, अहमदाबाद और कोचीन से तुर्कमेनिस्तान की नामित विमानकंपनी का अवतरण स्थल बनाया गया है। मलेशियन एयरलाइंस के बेंगलूर और हैदराबाद से/तक प्रचालन पहले ही आरंभ कर दिया है जबकि तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस अमृतसर से/तक उड़ानें प्रचालित कर रही हैं। दुबई की अमीरात एयरलाइंस हैदराबाद तक दैनिक सेवाएं प्रचालित कर रही है। इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने भी कुछ नई उड़ानें आरंभ की हैं और इनमें से कुछ हवाई अड्डों से ड्राई लीज पर लिए गए विमानों से और अधिक उड़ानों का प्रचालन आरंभ करने की योजना है।

एअर इंडिया के विनिवेश का प्रभाव

3324. **श्री के० मुरलीधरन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के विनिवेश संबंधी निर्णय से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स का यातायात प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि दोनों एयरलाइनों के पास समान उड़ानें हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया के पहले इंडियन एयरलाइन्स और एलाइंस एयर को कोई अतिरिक्त क्षमता अधिकार देने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जहां तक नये अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों को आरंभ करने अथवा उनका विस्तार करने का संबंध है, सबसे पहले मना करने का अधिकार एअर इंडिया को है, जिसका एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रयोग करना होगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में घटता वन क्षेत्र

3325. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र का विकास किया गया है;

(ख) क्या राजस्थान में वन क्षेत्र में कमी आ गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में शिकार की कितनी घटनाएं हुई हैं और कितने मामले दर्ज किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से लेकर हर दो वर्ष बाद देश के वन आवरण का मूल्यांकन कर रहा है। 1995 से 1999 में किए गए तीन मूल्यांकनों के दौरान राजस्थान राज्य का वन आवरण 13280 वर्ग कि०मी० (3.85%) से बढ़कर 13871 वर्ग कि०मी० (4.05%) हो गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान राज्य में अवैध शिकार की 145 घटनाएं हुई हैं तथा सभी घटनाओं के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं।

विकलांग कर्मचारियों के लिए सुविधाओं का प्रावधान

3326. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में विकलांग कर्मचारियों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या उनके लिए प्रौन्नति में भी आरक्षण का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विकलांग कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं निम्नलिखित हैं :–

(1) सभी विकलांग व्यक्ति अभिज्ञात पदों के लिए आयु में 10 वर्ष तक की छूट के पात्र हैं।

(2) परीक्षा शुल्क/आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती हैं।

(3) जिनकी जांच विशेष रोजगार कार्यालय/व्यावसायिक (वोकेशनल) पुनर्वास केन्द्र से सम्बद्ध मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई है उनको नियुक्ति के समय पुन: चिकित्सा परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की तैनाती उनके मूल निवास स्थान के पास करना और मूल निवास-स्थान या उसके नजदीक स्थान में स्थानान्तरण संबंधी उनके आवेदन पर प्राथमिकता से विचार करना।

(5) यात्रा भत्ता और चिकित्सा परीक्षण शुल्क में रियायत।

(6) ग्रुप ''डी'' से ग्रुप ''सी'' में और ग्रुप ''सी'' के अंतर्गत अभिज्ञात संवर्गों (यदि कोई हों) में पदोन्नति के लिए आरक्षण।

(ख) जी, हां।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तब होती है जब प्रोन्नति केवल ग्रुप ''डी'' से ग्रुप ''सी'' और ग्रुप ''सी'' के भीतर अभिज्ञात पदों में हो।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चालू विमानपत्तन

3327. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सातों राज्यों में चालू विमानपत्तनों का विकास करने हेतु एक बड़ी परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक पर विमानपत्तन-वार कितनी लागत आयेगी और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विमानपत्तन के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के हवाई अड्डों के प्रचालन के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं :–

अगरतला : हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन तथा सम्बद्ध कार्य के विस्तार/सुधार पर 27.61 करोड़ रुपए की लागत तथा एप्रन के विस्तार तथा लिंक टैक्सी पथ के सुदृढ़ीकरण पर 4.95 करोड़ रुपए की लागत से मार्च, 2002 तक पूरा किया जाना है। 7500 फिट के धावन पथ के विस्तार तथा सम्बद्ध कार्य पर 28.70 करोड़ रुपए की लागत से जून, 2003 तक पूरा किया जाना है।

डिब्रूगढ़ : राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि सौंपने के बाद नए टर्मिनल भवन के निर्माण में 24.58 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

दीमापुर : हवाई अड्डे पर धावन पथ के सुदृढ़ीकरण में 10.27 करोड़ रुपए की लागत से सितम्बर, 2002 तक पूरा किया जाना है।

इम्फाल : हवाई अड्डे पर धावन पथ के सुदृढ़ीकरण में 19.50 करोड़ रुपए की लागत से जून, 2003 तक पूरा किया जाना है।

लीलाबाड़ी : हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन परिसर के निर्माण पर 14.47 करोड़ रुपए की लागत से सितम्बर, 2001 तक पूरा किया जाना है।

जोरहाट : हवाई अड्डे पर नए लिंक टैक्सी पथ के निर्माण में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से अगस्त, 2001 तक पूरा किया जाना है।

(ग) और (घ) असम में गुवाहाटी हवाई अड्डे को पहले से ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा चुका है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस हवाई अड्डे का कोटि-उन्नयन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने के लिए कई प्रमुख कार्य आरंभ किए हैं यथा – मौजूदा घरेलू टर्मिनल भवन का विस्तार/संवर्धन, बी-747 विमानों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु मौजूदा धावन पथ का सुदृढ़ीकरण, अत्याधुनिक रडार आदि का संस्थापन। इसके अतिरिक्त मौजूदा धावन पथ का 9000 फुट से 12000 फुट तक विस्तारण, यातायात संभाव्यता तथा एयरलाइनों की अपेक्षा के आधार पर नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन/कार्गो परिसर का निर्माण और दो एयरोब्रिजों के निर्माण की भी योजना है।

डाकघरों/उप डाकघरों को बंद किया जाना

3328. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने डाकघर/उप डाकघर घाटे/मुनाफे में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे डाकघरों को बंद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) डाकघर खोलने के मानदंडों में वित्तीय मानदंड शामिल हैं तथा ग्रामीण इलाकों और साथ ही पहाड़ी, जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए निर्धारित राशि की सब्सिडी दी जाती है। ग्रामीण डाकघरों के संबंध में अद्यतन उपलब्ध आंकड़े न्यायमूर्ति तलवार समिति की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि 95 प्रतिशत घाटे में चल रहे हैं। जहां तक शहरी क्षेत्रों के डाकघरों का संबंध है, ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल, किसी डाक-घर को बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एअर इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का बंद किया जाना

3329. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने कतिपय अंतरराष्ट्रीय मार्गों से कुछ उड़ानों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे बंद किये जाने के कारण क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया ने मार्च, 1998 में तेल अवीव, जेनेवा, सियोल से और मई, 1999 में फ्रैंकफुर्त, मैनचेस्टर तथा रोम से सेवाएं वापिस ले ली हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिल्ली और वाशिंगटन के बीच यूनाइटेड एयरलाइंस से कोड शेयर उड़ान को भी अप्रैल, 1999 से वापिस ले लिया गया था।

(ग) एयर इंडिया ने निम्नांकित गतिविधियां अपनाकर घाटा कम करने तथा मुनाफा बढ़ाने के लिए पूर्व-स्थिति बहाली रणनीति को कार्यान्वित करना आरंभ किया है :–

(i) महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मार्गों पर विमान सेवाएं प्रचालित कर तथा एयरलाइन एलायंस के जरिए गौण नेटवर्क सेवा विकसित करके अपने नेटवर्क की पुनर्संरचना तैयार करना तथा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाना।

(ii) अपने स्वयं के विमान बेड़े को अपेक्षाकृत अधिक मुनाफा वाले मार्गों पर फिर से लगाना।

(iii) अपेक्षाकृत अधिक सतत् लाभप्रद मार्गों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अनेकों गैर लाभप्रद वाले मार्गों तथा कम लाभप्रदता वाले मार्गों पर से विमानों को हटा लिया जाना।

एन०आर०ए०पी० के अंतर्गत वाईटाउन और कोल्हापुर का शामिल किया जाना

3330. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र से कृष्णा नदी के तट पर बसे वाईटाउन, पंचगंगा नदी पर बसे कोल्हापुर टाउन को एन०आर०ए०पी० की दसवी योजना में शामिल किये जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों प्रस्तावों के संबंध में पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है।

संविदा आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति

3331. **श्री के०एच० मुनियप्पा :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एथलीट टीम के लिए संविदा आधार पर चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा गत वर्ष डा० युरी बोकियो को आमंत्रित किया गया था और उनके खर्चों का भुगतान किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो संविदा की निबंधन और शर्तें क्या हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) भारतीय एथलेटिक टीम के लिए संविदा आधार पर चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए, भारतीय एमेच्योर एथलेटिक्स परिसंघ के अनुरोध पर डा० युरी बोकियो को आमंत्रित किया गया था। संविदा के आधार पर उन्हें भुगतान किया गया था।

(ख) डा० युरी बोकियो के नियोजन संबंधी संविदा की मुख्य-मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं :–

(1) अध्यापन कार्य के लिए स्रोत व्यक्ति के रूप में उनकी सेवाओं के लिए तथा प्रशिक्षण संबंधी सामग्री तैयार करने के लिए भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ के सलाकार के रूप में उनकी सेवाओं के लिए तथा एथलीटों एवं खिलाड़ियों को स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया में सहायता के लिए – प्रतिमास 2000 अमरीकी डालर मासिक का करमुक्त पारिश्रमिक;

(2) उनके तथा उनके परिवार के लिए चिकित्सा खर्च;

(3) दुर्घटना और काम के दौरान जोखिम के लिए 3.00 लाख रु० तक का बीमा कवरेज;

(4) उनके, उनकी पत्नी तथा एक बच्चे के लिए कीव से भारत तक तथा संविदा की समाप्ति/अंत हो जाने पर भारत से कीव तक हवाई यात्रा (इकानॉमी श्रेणी) पर होने वाला खर्च;

(5) सभी आवश्यक सुविधाओं सहित पूरी तरह से सुसज्जित वातानुकूलित अपार्टमेंट; तथा

(6) सरकारी प्रयोजनों के लिए परिवहन सुविधाएं।

राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय

3332. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
डा० एन० वेंकटस्वामी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद में एक राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) माननीय संचार मंत्री जी को संबोधित आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि हैदराबाद में एक राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए जिसमें अनुसंधान एवं विकसित विषयों (एडवांस्ड थीम्स) सहित दूरसंचार और कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों से जुड़े, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रशासन, समाजशास्त्र, वित्त तथा बैंक-व्यवस्था संबंधी अन्य संकाय शामिल हों। यह सुझाव प्राथमिक स्वरूप का है और इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का सुधार

3333. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को जोड़ने वाले जिगानी औद्योगिक क्षेत्र से बोमासांद्रा तक के सम्पर्क मार्ग को चौड़ा करने तथा सुधार करने के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार उक्त परियोजना के लिए अपने हिस्से के रूप में 5 करोड़ रुपए प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त राशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में केबल की चोरी

3334. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और आज तक मध्य प्रदेश में टेलीफोन केबल की चोरी के परिणामस्वरूप कितनी टेलीफोन लाइनें खराब रहीं;

(ख) कितनी अवधि के लिए टेलीफोन लाइनें खराब रहीं;

(ग) टेलीफोन केबलों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान टेलीफोन उपभोक्ताओं को क्या राहत दी गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन केबलों की चोरी के कारण, पिछले वर्ष के दौरान और अब तक, प्रभावित रही टेलीफोन लाइनों की कुल संख्या 9606 हैं।

(ख) एक से पांच दिन के बीच की भिन्न-भिन्न अवधि के लिए।

(ग) टेलीफोन केबलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) केबल रूटों पर गश्त लगाना।

(ii) पुलिस प्राधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाना।

(iii) केबल चोरी के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराना।

(घ) आपातकालीन सेवा टेलीफोनों को वैकल्पिक इन्तजामात से बहाल किया गया है।

[अनुवाद]

एच०सी०आई० को घाटा

3335. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटल निगम (एच०सी०आई०) घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय होटल निगम कब से घाटे में चल रहा है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके कार्य निष्पादन को सुधारने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सन् 1999-2000 से भारतीय होटल निगम घाटे में चल रहा है। घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(i) होटल आरम्भ होने के समय से ही दिल्ली स्थित सेन्टॉर होटल का जीर्णोद्धार नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप सतत् ह्रास हुआ है;

(ii) उपर्युक्त कारक के कारण होटल की यात्री-धारिता क्षमता में भी कमी आई जिससे राजस्व अर्जन में भी कमी हुई;

(iii) वर्ष 1998 से ही घाटी में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सिर्फ 1987-88 को छोड़कर श्रीनगर स्थित सेन्टॉर को प्रत्येक वर्ष घाटा हो रहा था;

(iv) यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में अवनति होने के परिणामस्वरूप ओवर सप्लाई रूम कैपेसिटी और धनोपार्जन का स्तर काफी न्यून रहा। ऐसा प्रतिस्पर्धी दर में गिरावट तथा

(v) विभिन्न पारिश्रमिक करारों को अंतिम रूप देने के कारण वेतन वृद्धि की वजह से हुआ।

(ग) घाटा दिखाने वाली इकाइयों को लाभप्रदता वाली यूनिटों में बदलने के लिए उठाए गए कदमों में सेन्टॉर, दिल्ली के 100 कमरे, सेन्टॉर, मुम्बई के 60 कमरे और मुम्बई-जूहू के 84 कमरों का जीर्णोद्धार किया जाना शामिल है; निगमित भवनों सहित गहन बिक्री अभियान, सहस्राब्दि ऑफर शुरू करना और सेन्टॉर गोल्ड कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की शुरूआत करना इत्यादि है।

फ्लाई ओवरों का निर्माण

3336. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में सात फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) जी, नहीं। भुवनेश्वर और उसके सन्निकट क्षेत्र में रा०रा० 5 पर सात

क्रासिंगों में से खुर्दा, खंडागिरि और बारामुंडा में तीन फ्लाई ओवरों का निर्माण पहले ही शुरू कर दिया गया है और इन्हें दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सी०आर०पी० स्क्वेयर, जयदेव विहार, आचार्य विहार और वाणी विहार में शेष चार क्रासिंग अभी हाल में चार लेन बनाए गए खंड पर पड़ते हैं और इन स्थानों पर फ्लाई ओवरों का निर्माण इस समय व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

दूरसंचार विभाग द्वारा उपकरणों की खरीद

3337. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग उपकरणों की खरीद हेतु विक्रेताओं/कम्पनियों को अग्रिम भुगतान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान करने संबंधी निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को अधिकारियों द्वारा उक्त मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रमों की अग्रिम भुगतान किया जा रहा है।

(ख) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लि० (बी०एस०एन०एल०/एम० टी०एन०एल०) को आपूरित आरक्षित कोटे के प्रति उनको दिए गए खरीद आर्डर के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है। ऐसा, उत्पादन तथा उपस्करों की समय से आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए आपूर्तिकर्ता के अनुरोध पर किया जा रहा है।

(ग) अधिकांशतया यह भुगतान, प्रेषण (डिस्पैच) तथा निरीक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र के आधार पर, 90-95% की सीमा तक सामग्री की आपूर्ति के लिए किया जाता है। अग्रिम का भुगतान इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि कम्पनी ने भुगतान करने वाले प्राधिकारी को अग्रिम की राशि के बराबर एक क्षतिपूर्ति-बन्ध-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) इन मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

मार्कण्डेय सिंचाई परियोजना

3338. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की मार्कण्डेय सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग (सी०डब्ल्यू०सी०) के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए मार्कण्डेय परियोजना संबंधी एक प्रस्ताव मई, 1997 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया था। इस परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और यह तटबंध डिजाइन, संयंत्र आयोजना, द्वारा डिजाइन और कंक्रीट व चिनाई बांध डिजाइन संबंधी पहलुओं पर स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार ने कई अन्य पहलुओं विशेष रूप से नहर डिजाइन, जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना और लागत प्राक्कलन संबंधी टिप्पणियों को अभी उत्तर नहीं दिया है।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस स्कीम की स्वीकृति, विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने में राज्य सरकार द्वारा लिए गए समय पर निर्भर करती है।

सिंचाई क्षमता

3339. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत 1996-98 के दौरान 1450 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया है परन्तु सिंचाई क्षमता में कोई वृद्धि प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आवंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) वर्ष 1996-98 के दौरान विभिन्न राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत 1452.19 करोड़ रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता (सी०एल०ए०) प्रदान की गयी। इन राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि के दौरान ए०आई० बी०पी० के तहत लगभग 297.00 हजार हेक्टेयर क्षमता सृजित की गई। ए०आई०बी०पी० मानकों के अनुसार इस परियोजना के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब राज्य सरकार पूर्व जारी केन्द्रीय ऋण सहायता का पूर्ण इस्तेमाल कर लेगी।

डाक विभाग में बचत

3340. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने अपनी डाक बचत गतिविधियों के माध्यम से तीस हजार करोड़ रुपये शुद्ध बचत के रूप में जुटाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बचतों के माध्यम से डाक विभाग को अधिकतम लाभ किस प्रकार प्राप्त होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न डाकघर बचत बैंक योजनाओं के माध्यम से 37579 करोड़ रुपये जमा किए गए। चूंकि, डाक विभाग अल्प बचत योजनाएं वित्त मंत्रालय की ओर से एक एजेंसी कार्य के रूप में चलाता है, इसलिए इस प्रकार जमा की गई राशि का आगे किस प्रकार उपयोग किया जाना है, यह वित्त मंत्रालय पर छोड़ दिया जाता है।

डाक द्वारा पुस्तकों को भेजने पर राजसहायता

3341. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक से पुस्तकों को भेजने पर कोई राजसहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी राजसहायता दी गई;

(घ) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस राजसहायता की क्षतिपूर्ति करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेटों के मामले में डाक दर में 10 वर्ष के अंतराल के बाद संशोधन किया गया है। यह सेवा जिसे 43 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी, उसके सब्सिडी का प्रतिशत 2001 में अब बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया है। संशोधित दरों को लागू करने के बाद भी सब्सिडी का स्तर 76 प्रतिशत होगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों में मुद्रित पुस्तकों वाली बुक पैकेट सेवा पर विभाग द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि नीचे दी गई है :–

वर्ष	कुल लागत (पैसों में)	राजस्व (पैसों में)	घाटा (करोड़ रुपयों में)
1998-99 (ए)	1113.72	242.40	31.63
1999-2000 (पी)	1262.87	242.91	46.41
2000-2001 (पी)	1370.05	243.81	36.27

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के लिए और निधियां

3342. श्री बसुदेव आचार्य : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली निधियों के आधार पर रखरखाव करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या निधियों का प्रवाह अनियमित तथा अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों जिन्हें पश्चिम से पूर्व तक वाहन और ट्रक यातायात हेतु ट्रांजिट मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है के लिए नियमित आधार पर ज्यादा निधियों की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार पश्चिम बंगाल के लिए निधियों के प्रवाह में किस प्रकार सुधार करने जा रही है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) मापदण्ड के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि की उपलब्धता आवश्यकता का 45%-50% होती है। राज्यों को उपलब्ध धनराशि का आबंटन राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई व चौड़ाई, यातायात की सघनता, उच्च समतल भू-भाग, वर्षा आदि के आधार पर चरणों में किया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क के प्रमुख मार्ग हैं जिनपर अंतरराज्यीय और अंत:राज्यीय यातायात होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन०एच०डी०पी०) के अंतर्गत कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने से पं० बंगला में आगामी तीन वर्ष में इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 2570 करोड़ रु० के अतिरिक्त निवेश की संभावना है।

दिल्ली के अनधिकृत उद्योगों का स्थान परिवर्तित करना

3343. श्री रामजी मांझी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अनधिकृत उद्योगों को बन्द करने तथा दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में परिवर्तित करने के मामले में दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों पर चिंता जताई है जैसाकि 30 नवम्बर, 2000 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताए गए मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को चार लेन का बनाना

3344. **श्री एन०आर०के० रेड्डी** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयवाड़ा-हैदराबाद-जाहिराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को चार लेन वाले एक्सप्रेस मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) रा०रा०-9 के विजयवाड़ा-हैदराबाद-जाहिराबाद खंड के लगभग 53 कि०मी० लंबाई में पहले से चार लेन है। विजयवाड़ा-हैदराबाद खंड पर इब्राहिमपत्तनम से नंदीगाम तक 35 कि०मी० की और लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य हाल ही मे शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने बी०ओ०टी० आधार पर शेष लंबाई में चार लेन बनाने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 9 पर चार लेन बनाने के कार्य के पूरा होने की समय सीमा के बारे में अभी बताना संभव नहीं है।

वन विकास अभिकरण स्थापित करना

3345. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार वन विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन अभिकरणों के कार्यकलाप क्या रहे और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार का चालू और अगले वित्त वर्ष के दौरान और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे ही अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है। इन अभिकरणों की स्थापना प्रादेशिक वन/वन्यजीव प्रभाग के स्तर पर फनल मेकनिज़्म प्रदान करने के लिए की गई है जिनके माध्यम से विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित वनीकरण योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता एफ०डी०ए० द्वारा शामिल क्षेत्रों में प्रत्यक्षत: प्रवाहित होगी जो क्षेत्रीय स्तर पर, समय पर निधि प्रदान करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन की सभी प्रावस्थाओं पर स्थानीय लोगों की भागीदारी विधिवत सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण वन समितियों (वी०एफ०सी०)/पारि-विकास समितियों (ई०डी०सी०) द्वारा तृणमूल स्तर पर कार्यान्वयन के लिए है। अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण हेतु अब तक केवल 9 राज्यों में विद्यमान 19 वन विकास अभिकरणों को वित्तीय सहायता दी गई है। ग्रामीण वन समितियों/पारि-विकास समितियों के माध्यम से धनराशि का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2000-01 से प्रायोगिक आधार पर यह दृष्टिकोण आरंभ किया गया है और वर्ष 2000-01 के दौरान पादप रोपण और पौधशालाएं उगाने से संबंधित कार्यकलापों को तैयारी कार्य तक ही सीमित रखा गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे वन विकास अभिकरणों की शीघ्र स्थापना करें।

[हिन्दी]

विभिन्न खेलों की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना

3346. **श्री जय प्रकाश** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न श्रेणी के खेलों की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार साइकिल पोलों के अंतरराष्ट्रीय विजेताओं को सम्मानित करने पर विचार कर रही है ताकि इस खेल को बढ़ावा मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न खेल विधाओं की प्राथमिकताओं का निर्णय किया जाता है। तद्नुसार निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं :–

(क) **प्राथमिकता प्राप्त** : वे खेल जो ओलम्पिक, राष्ट्रमंडल तथा एशियाई खेलों में शामिल हैं तथा जहां पर स्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी स्तरों के समान अथवा निकट है तथा जहां पर, भविष्य में, टीमों अथवा अलग-अलग व्यक्तियों के पदक

जीतने की संभावना है।

(ख) **सामान्य** : वे खेल जो ओलम्पिक, राष्ट्रमंडल तथा एशियाई खेलों में शामिल हैं, तथा जिनमें प्रामाणिक अभिरूचि है किन्तु जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी स्तरों के निकट नहीं है।

(ग) **अन्य** : अन्य खेल जो प्राथमिकता प्राप्त और सामान्य श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

समय-समय पर वर्गीकरण की समीक्षा, सामान्यत: दीर्घावधिक विकास योजना (एल०टी०डी०पी०) चक्र के चार वर्ष के बाद, की जाती है।

(ग) से (ङ) इस समय साइकिल पोलो अन्य श्रेणी में है तथा इस श्रेणी में स्वीकार्य सभी सहायता साइकिल पोलो खेल विधा के मामले में भी दी जा रही है।

[अनुवाद]

गैर-वन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की गई वन भूमि

3347. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा पारिस्थितिकीय पर्यटन के नाम पर तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए भवन तथा जंगल लॉज बनाकर वन नीति का घोर उल्लंघन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वन भूमि के संरक्षण हेतु ठोस उपाय करने के लिए राज्य सरकारों विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार के साथ परामर्श करने हेतु क्या कदम उठाये गए है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, के उपबन्धों के अंतर्गत वन भूमि के वनेतर उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है। नीति के अनुसार, भवनों और आवासीय मकानों के निर्माण की अनुमति नहीं है, केवल लघु जन उपयोगिता भवन जैसे स्कूल, डिस्पेन्सरियां, सामुदायिक हाल आदि बनाए जा सकते हैं।

तथापि, ऐसे निर्माण कार्यों के लिए भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। केन्द्र सरकार ने जंगल लॉजों के निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी है। तथापि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और बिहार से इसके बारे में सूचना मांगी जा रही है कि कहीं इस तरह का कोई निर्माण केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किया गया है और इस आशय का एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए सभी राज्यों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कोयम्बतूर में 29 और 30 जनवरी 2001 को हुआ था। विस्तृत चर्चाओं के पश्चात् सम्मेलन में एक संकल्प स्वीकार किया गया, जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कोयम्बटूर चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत देश में पर्यावरण और वनों की सुरक्षा और इसमें सुधार करने के लिए स्वीकार किए गए कई उपाए उठाए जाने हैं।

आई०सी०एफ०आर०ई० के अंतर्गत अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

3348. **डा० चरणदास महंत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में किए जा रहे वन अनुसंधान तथा विस्तार से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का आई०सी०एफ०आर०ई० के अंतर्गत कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का राजस्व तथा गैर-सरकारी वनों के प्रबंधन हेतु कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) छत्तीसगढ़ में वन अनुसंधान और विस्तार से संबंधित कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार कार्य योजनाओं/कार्य स्कीमों के आदेशों के अनुसार राजस्व और निजी वनों का प्रबंधन किया जाता है।

सांख्य वाहिनी परियोजना

3349. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने सांख्य वाहिनी परियोजना स्थापित करने के लिए आई०यू० नेट के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने नगद रूप में कुछ भी निवेश नहीं किया है और इसके बड़े शेयरधारक बनने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई०यू० नेट द्वारा उपकरणों के मूल्यों का उल्लेख करते समय निविदा करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार का इस परियोजना में भारी निवेश के दृष्टिगत इस संयुक्त उद्यम पर पुनर्विचार करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) अभी तक, दूरसंचार सेवा/दूरसंचार प्रचालन विभाग के निगमित निकाय भारत संचार निगम लि० ने सांख्य वाहिनी परियोजना स्थापित करने के लिए आई०यू० नेट के साथ कोई संयुक्त उद्यम करार नहीं किया है।

(ग) और (घ) ड्राफ्ट संयुक्त उद्यम करार के अनुसार, संयुक्त उद्यम की प्रारम्भिक अंशदान इक्विटी उपस्कर के रूप में होगी। उपस्कर के मूल्य के बाद दी जाने वाली किसी अंशदान राशि के भुगतान के मामले में यह राशि, आई०यू०-नेट द्वारा नकद रूप में दी जाएगी। ड्राफ्ट संयुक्त करार के अनुसार, आई०यू०नेट, सांख्य वाहिनी इंडिया लि० में 49% इक्विटी रखेगा।

(ङ) और (च) उपस्कर प्राप्त करने की प्रक्रिया संयुक्त उद्यम करार का एक भाग है जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि प्रस्तावित ड्राफ्ट संयुक्त उद्यम करार के अनुसार आई०यू० नेट द्वारा उपस्करों का प्रापण, कारनेजी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा अपनायी गई पारदर्शी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर किया जाएगा ताकि संयुक्त उद्यम कंपनी को अधिकतम संभावित लाभ प्रदान किया जा सके। भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) के पास कर्मचारी (कर्मचारियों) को नामित करने का विकल्प होगा जो आई०यू०-नेट के उपस्कर आदेशों पर बातचीत करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने में भागीदारी करेगा। आई०यू०-नेट के अध्यक्ष द्वारा संस्तुत तथा बी०एस०एन०एल० की सहमति से मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन-कर्ताओं द्वारा आई०यू०-नेट की खरीदारी की संवीक्षा करके उन्हें प्रमाणित किया जाएगा।

(छ) बी०एस०एन०एल० तथा सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उपयुक्त निर्णय लेगी।

महाराष्ट्र में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

3350. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं/लघु बांध के कार्यान्वयन हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों (ए०आई० बी०पी०) के अंतर्गत सहायता/ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत अहमदनगर जिले से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सहायता से प्रावधान हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई स्कीमों (छोटे बांध एवं लिफ्ट स्कीमों) के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता केवल विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर पूर्वी राज्यों – सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उड़ीसा के के०बी०के० जिले) को जारी की जाती है। गैर विशेष श्रेणी के राज्य होने के कारण महाराष्ट्र त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्रेणी की स्कीमों को मिल रही सहायता प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 8.92 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जायकवाड़ी परियोजना को उपलब्ध करायी गयी थी। इससे अहमदनगर जिला भी लाभान्वित होता है।

अति विशेषज्ञता वाले ई०एस०आई०सी० अस्पताल

3351. **श्री नरेश पुगलिया : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत राज्य-वार, स्थान-वार कौन से अति विशेषज्ञता वाले अस्पताल कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ई०एस०आई० सी० के अंतर्गत अति विशेषज्ञता वाले कुछ और अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव कब तक लागू होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) फिलहाल, देश में अति विशेषज्ञता वाला कोई भी कर्म०रा०बी० अस्पताल कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, कुछेक कर्म०रा०बी० अस्पतालों में कारडियोलोजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलोजी डायलिसिस, हाथों की माइक्रोवसकूलर सर्जरी सेवाएं उपलब्ध हैं। आदिनांक विभिन्न स्थानों पर अनुबंध व्यवस्था के माध्यम से अति विशेषज्ञता सेवाऐं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अति विशेषज्ञता उपचार हेतु पेशगी/प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर एक चक्रिय निधि स्थापित की गई है।

स्कूलों में खेलों के प्रोत्साहन हेतु योजनाएं

3352. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में खेलकूद के प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत जिला और राज्य स्तरीय अंतर स्कूल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए 50,000/- रुपये प्रति जिला तथा 2,00,000/-रुपये प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की दर से अनुदान दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों द्वारा इस राशि का पूरी तरह उपभोग किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस योजना से स्कूलों में खेलकूद को किस हद तक बढ़ावा मिला है;

(घ) क्या उनका मंत्रालय योजना की प्रगति की निगरानी कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो यह योजना किस सीमा तक लाभदायक रही है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) स्कूलों में खेलकूद के प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत, जिला और राज्य स्तरीय अंतर-स्कूल खेल प्रतियोगिताएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित की जाती हैं। भारत सरकार स्कूलों में खेलकूद के संवर्धन के लिए इन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को अनुदान देती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। चूंकि योजना अभी हाल ही में (1998-99) में प्रारंभ की गई है, अंतर-स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की अभिरूचि बढ़ रही है। हम सभी राज्य/संघ शासित सरकारों से अनुरोध करते आ रहे हैं। कि वे प्रत्येक वर्ष जिला और राज्य स्तरों पर अंतर-स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिसमें वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया गया हो। उनसे इस प्रयोजन के लिए जिला और राज्य स्तरीय समितियों का गठन करने के लिए भी अनुरोध किया जाता है। योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक है।

सार्वजनिक दूरभाष बूथों द्वारा अधिक पैसा वसूलना

3353. डा० वी० सरोजा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक दूरभाष बूथों (पी०सी०ओ०) द्वारा अधिक पैसा वसूलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आज तक सरकार को राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) दोषी सार्वजनिक दूरभाष बूथों के विरुद्ध क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण

3354. श्री भर्तृहरि महताब : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में बेरोजगारी की समस्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा से अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर श्रम बल का पलायन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ीसा में उनके हितों की रक्षा हेतु और नवीन रोजगार अवसरों का सृजन किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य को शामिल करते हुए देशभर के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 1999-2000 में उड़ीसा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर श्रम बल का क्रमश : 2.7% एवं 7.1% थी।

(ग) और (घ) एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) सरकार गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन हेतु विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

खान और "लेड स्मेल्टर" को बंद किया जाना

3355. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच०जेड०एल०) ने तीन खानों और "लैड समेल्टरों को बदं करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो बंद की जाने वाली ये खानें कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) कितने कर्मचारियों की छंटनी होने की संभावना है;

(घ) क्या खान को चालू रखने की संभावनाओं की जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने विस्तृत अध्ययन करने के बाद और प्रचालनात्मक परिणामों के आधार पर, सर्गीपल्ली सीसा खान (उड़ीसा), अग्निगुंडाला सीसा खान (आंध्र प्रदेश), मटोन रॉक फास्फेट खान (राजस्थान) तथा विजाग सीसा प्रगालक (आंध्र प्रदेश), की आर्थिक रूप से अव्यवहार्य इकाइयों के रूप में पहचान की है। विजाग सीसा प्रगालक जिसके प्रचालन, प्रदूषण समस्या तथा आर्थिक

रूप से अव्यवहार्य होने के कारण, प्रारंभ में, 1.8.1999 को रोके गए थे, को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के तहत, 24.1.2001 से बंद कर दिया गया है। विजाग सीसा प्रगालक के सभी कर्मचारियों ने विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) को स्वीकार किया है। सर्गीपल्ली, सीसा खान (उड़ीसा) में प्रचालन अत्यधिक खर्चीले होने तथा निक्षेपों के लगभग समाप्त होने के कारण, एक विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई। सभी 463 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को चुना है तथा 462 कर्मचारियों को 13.7.2001 से पहले ही, छोड़ा जा चुका है और उनकी देयताओं का भी भुगतान कर दिया गया है। अत: इस स्थिति में कम्पनी इन इकाइयों में छंटनी का कोई विचार नहीं रखती।

असम में सड़कों एवं राजमार्गों के विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता

3356. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम में सड़कों और राजमार्गों का विकास करने हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगे जाने के लिए असम सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितना धन संस्वीकृत हुआ ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का प्रतिशत

3357. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुछ सड़क यातायात में से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क यातायात का प्रतिशत कितना है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की 1,62,000 किलोमीटर की कुल लंबाई में से एक लेन, दो लेन और चार लेन वाले सड़कों की लंबाई का प्रतिशत कितना है; और

(ग) देश की सड़कों पर भारी भीड़भाड़ की समस्या से पार पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) देश में कुल सड़क यातायात का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों पर होता है।

(ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई लगभग 58,077 कि०मी० है। इसमें इकहरी लेन की लम्बाई लगभग 39%, दो लेन लगभग 58% और चार लेन लगभग 3% है।

(ग) भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों को धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में चौड़ा किया जा रहा है। इस दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन०एच०डी०पी०) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 13,252 कि०मी० में 4/6 लेन बनाया जा रहा है।

जल अपवाह क्षेत्र

3358. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों में जल की उपलब्धता के मद्देनजर जल अपवाह क्षेत्रों को तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में छोटे, मध्यम और बड़े जल अपवाह क्षेत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं और ये कहां स्थित हैं; और

(ग) प्रत्येक अपवाह क्षेत्र में जल की औसत वार्षिक उपलब्धता की मात्रा कितनी है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) किसी नदी का आवाह क्षेत्र एक प्राकृतिक जल विभाजक क्षेत्र होता है जोकि ऐसी सभी बिन्दुओं से प्रारंभ होता है जो इसे पास के जलविभाजक (रिज लाइन) से इसके समाप्ति बिन्दु तक अलग करता है। आवाह क्षेत्र को नदी बेसिन भी कहा जाता है। आवाह क्षेत्रों को उनके जल निकास क्षेत्र के आधार पर तीन समूहों अर्थात् वृहद (20,000 वर्ग किलोमीटर तथा अधिक), मध्यम (20,000 और 2000 वर्ग किलोमीटर के बीच) और लघु (2000 वर्ग किलोमीटर) में बांटा गया है। तद्नुसार, देश में अनेक लघु (छोटी) नदी प्रणालियों के अतिरिक्त 12 वृहद (बड़े) और 46 मध्यम नदी बेसिन हैं। देश में जल संसाधनों की आयोजना और विकास के उद्देश्य के वास्ते बड़े नदी बेसिनों के अतिरिक्त मध्यम और लघु नदी प्रणालियों को उपयुक्त रूप से 8 संयुक्त बेसिनों के रूप में जोड़ा गया है। जल संसाधनों का आकलन बेसिनवार किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार भारत की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घनमीटर है। सभी 20 बेसिन, उनके आवाह क्षेत्र, ऐसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिनके हिस्से बेसिनों में हैं तथा औसत वार्षिक प्रवाह का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नदी बेसिनों और जल उपलब्धता का ब्यौरा

क्र० सं०	नदी बेसिन का नाम	ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिनका हिस्सा बेसिन में आता है	आवाह क्षेत्र (वर्ग कि०मी०)	औसत वार्षिक प्रवाह (बिलियन घन मीटर)
1	2	3	4	5
(क) वृहद नदी बेसिन				
1.	सिंधु	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चण्डीगढ़	3,21,289	73.31
2.	(क) गंगा	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल	8,61,452	525.02
	(ख) ब्रह्मपुत्र और बराक	अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, मणिपुर मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल	2,36,136	585.60
3.	ब्राह्मणी और बैतरणी	छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखण्ड	51,822	28.48
4.	महानदी	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार	1,41,589	66.88
5.	गोदावरी	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक	3,12,812	110.54
6.	कृष्णा	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश	2,58,948	78.12
7.	पेन्नार	आंध प्रदेश और कर्नाटक	55,213	6.32
8.	कावेरी	तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी	81,155	21.36
9.	तापी	मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र	65,145	14.88
10.	नर्मदा	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र	98,796	45.64
11.	माही	राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश	34,842	11.02
12.	साबरमती	गुजरात और राजस्थान	21,674	3.81
(ख) संयुक्त नदी बेसिन				
1.	सुबर्णरेखा	झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	29,196	12.37
2.	लूनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	राजस्थान और गुजरात	3,21,851	15.10
3.	तापी से ताद्री तक पश्चिम को बहने वाली नदियां	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक, केरल	55,940	87.41
4.	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम को बहने वाली नदियां	तमिलनाडु, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	56.177	113.53

1	2	3	4	5
5.	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व को बहने वाली नदियां	उड़ीसा और आंध्र प्रदेश	86,643	22.52
6.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व को बहने वाली नदियां	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी	1,00,139	16.46
7.	राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकास का क्षेत्र	राजस्थान	60,000	नगण्य
8.	बंगलादेश और म्यांमार में गिरने वाले लघु नदी बेसिन	अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा	36,202	31.00
	कुल			1869.35

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण

3359. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण का गठन किया गया है और यदि हां, तो इसके कार्य कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस न्यायाधिकरण को काफी संख्या में मामलों को अग्रेषित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय सी०सी०एफ० के कार्यालय स्तर पर बड़ी संख्या में मामलों का निपटान किया गया है;

(घ) क्या पर्यावरण संबंधी मंजूरी दिए जाने हेतु परियोजनाओं के मूल्यांकन में व्यावसायिकता की कमी के संदर्भ में क्षेत्रीय सी०सी० एफ० के कार्यालय के निष्पादन के बारे में समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नदी की सफाई

3360. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में नंदिका और ब्रह्मणी नदियों की सफाई किए जाने की किसी कार्य योजना को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) ब्रह्मणी, जिसकी सहायक नदी नान्दिरा है, को चल रही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है और इसमें तलचर, चान्दबाली और धर्मशाला नामक तीन शहरों में 9.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रदूषण निवारण संबंधी कार्यों को शामिल किया गया है। योजना में नदी में बहने वाले सीवेज का अवरोधन, दिशापरिवर्तन और शोधन, अल्प लागत शौचालय, नदी तटाग्र विकास और वनीकरण जैसे कार्य शामिल हैं। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत की जाती है। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड के कैप्टिव पावर प्लांट स्थित एश पाण्ड में 31.12.000 को जो दरार पड़ी थी उसे नालको ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नान्दिरा नदी के तल की पूरी तरह से सफाई कर दी है।

सी०ए०डी०पी० के अन्तर्गत राज्यों को धन

3361. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक केन्द्र सरकार द्वारा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को जारी किए गए धन का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति में कोई कमी पाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कमी को पूरा करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 जुलाई, 2001 तक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस स्कीम के तहत वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक खेत संबंधी विकास कार्यों के कोर घटक के तहत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II से IV में दिया गया है।

(ग) से (ङ) निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति में कमी की सूचना प्राप्त हुई है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों/कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को समय पर निधियां जारी न करने, भूमि उपलब्ध न होने और सिंचाई अधिनियमों आदि को अंतिम रूप देने में हुए विलंब के कारण हुआ है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। इस पर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रभारी राज्य सचिवों/आयुक्त/प्रशासकों एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के परियोजना निदेशकों की अभी हाल में नई दिल्ली में दिनांक 7 एवं 8 जून, 2001 को आयोजित बैठक में भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था।

विवरण-I

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्यवार जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नौवीं योजना में जारी निधियां				कुल
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02*	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	10.00	3.75	34.75	48.50
3.	असम	0.00	0.00	33.45	0.00	33.45
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	324.19	650.00	18.67	0.00	992.86
8.	हरियाणा	1294.63	841.74	503.02	515.63	3155.02
9.	हिमाचल प्रदेश	52.90	15.81	68.17	0.00	136.88
10.	जम्मू व कश्मीर	233.99	248.99	165.19	0.00	648.17
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	668.00	885.37	1863.73	870.84	4287.94
13.	केरल	806.04	788.11	745.62	351.61	2691.38
14.	मध्य प्रदेश	245.99	167.20	123.41	0.00	536.60
15.	महाराष्ट्र	1719.15	660.60	461.14	0.00	2840.89
16.	मणिपुर	132.00	128.05	113.09	0.00	373.47
17.	मेघालय	0.00	18.40	0.00	0.00	18.40
18.	मिजोरम	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैंड	6.43	15.00	0.00	0.00	21.43
20.	उड़ीसा	774.40	365.28	1035.92	0.00	2175.60
21.	पंजाब	500.00	3352.06	2133.49	0.00	5985.55
22.	राजस्थान	3834.87	2700.00	1592.19	643.12	8774.18
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25
24.	तमिलनाडु	2507.27	2336.74	1677.38	0.00	6521.39
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	3959.24	2804.92	3247.32	0.00	10011.48
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	275.00	306.73	424.77	0.00	1006.50
29.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अध्ययन के लिए अनुदान	197.27	297.37	280.25	0.00	774.89
	कुल	17531.70	16592.37	14495.56	2422.20	51041.83

*वर्ष 2001-02 के दौरान जुलाई, 2001 तक राज्यों को जारी निधियां

विवरण-II

कैड कार्यक्रम के तहत फील्ड चैनलों के निर्माण के सम्बन्ध में वास्तविक उपलब्धियां

इकाई 000 हेक्टेयर

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6.30	3.34	17.20	5.54	5.32	2.07	28.82	10.95
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.08	0.09	0.17
3.	असम	0.24	0.83	0.99	0.00	1.70	0.05	2.93	0.88
4.	बिहार	1.27	0.54	0.81	0.47	10.33	3.81	12.41	4.82
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.80	0.00	20.15	0.00	1.00	0.04	21.95	0.04
7.	गुजरात	18.00	20.60	25.00	5.73	10.90	2.85	53.90	29.18
8.	हरियाणा	41.67	23.65	0.00	25.11	20.00	18.03	61.67	66.79
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.30	1.73	1.64	1.73	1.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू एवं कश्मीर	7.82	5.39	3.52	3.36	3.76	3.47	15.10	12.22
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	2.23	10.35	16.80	13.04	62.34	28.90	81.37	52.29
13.	केरल	5.27	7.12	3.36	2.59	2.50	2.86	11.13	12.57
14.	मध्य प्रदेश	8.96	10.86	13.13	10.84	13.12	4.95	35.21	26.65
15.	महाराष्ट्र	56.13	27.67	17.97	22.63	41.50	28.36	115.60	78.66
16.	मणिपुर	9.58	4.48	3.34	2.87	2.08	2.08	15.00	9.73
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.01	0.26	0.01
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.12	0.05	0.19	0.16	0.03	0.03	0.34	0.24
20.	उड़ीसा	7.10	12.89	12.00	9.11	11.10	9.51	30.20	31.51
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	40.37	80.00	67.03	80.00	107.40
22.	राजस्थान	72.00	65.95	81.80	49.09	44.00	40.82	197.80	155.86
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	50.90	53.82	56.10	53.89	22.08	25.08	129.08	132.79
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	106.13	71.54	41.40	115.49	127.00	134.64	274.53	321.67
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	6.00	3.36	8.40	4.57	15.40	6.56	29.80	14.49
29.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	400.52	322.44	322.16	365.25	476.23	382.85	1198.91	1070.54

*अनन्तिम

विवरण-III

कैंड कार्यक्रम के तहत बाराबन्दी के कार्यान्वयन से संबंधित वास्तविक उपलब्धियां

यूनिट = 000 हेक्टेयर में

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	20.00	10.24	72.77	6.18	50.00	12.62	142.77	29.04
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0.35	0.00	8.70	0.00	0.90	0.00	9.95	0.00
4.	बिहार	0.50	0.00	1.00	0.00	12.50	0.00	14.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1.50	1.44	0.50	1.50	1.50	0.00	3.50	2.94
7.	गुजरात	0.00	8.38	18.00	3.34	0.00	0.00	18.00	11.72
8.	हरियाणा	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.25	1.70	1.65	1.70	1.90
10.	जम्मू व कश्मीर	92.76	90.69	37.34	22.08	31.34	31.10	161.44	143.87
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	1.41	8.20	8.40	8.43	5.86	6.88	15.67	23.51
13.	केरल	16.25	20.28	5.40	5.74	9.50	1.68	31.15	27.70
14.	मध्य प्रदेश	4.17	1.18	2.00	0.00	1.00	0.00	7.17	1.18
15.	महाराष्ट्र	15.00	8.69	0.00	0.25	0.00	0.00	15.00	8.94
16.	मणिपुर	1.72	0.16	0.97	1.05	0.00	0.00	2.69	1.21
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	2.80	2.80
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.10	0.00	0.00	0.16	0.29	0.26	0.39	0.42
20.	उड़ीसा	70.00	13.40	10.50	6.83	3.50	1.86	84.00	22.09
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	8.33	20.00	8.33
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	78.40	81.82	77.00	75.66	58.02	56.52	213.42	214.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	158.50	89.29	50.00	121.58	193.40	136.73	401.90	347.60
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	1.00	0.00	0.40	0.00	0.56	0.00	1.96	0.00
29.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	469.66	333.77	292.98	253.04	392.87	260.43	1155.51	847.24

*अनन्तिम

विवरण-IV

कैड कार्यक्रम के तहत फील्ड ड्रेन्स के निर्माण के संबंध में वास्तविक

यूनिट = 100 है०

क्रम सं०	राज्य का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.03	0.15	0.18
3.	असम	0.11	0.00	2.18	0.00	3.20	0.00	5.49	0.00
4.	बिहार	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.15	0.70	0.45	0.70	0.60
10.	जम्मू व कश्मीर	3.20	2.45	0.87	0.96	0.46	0.46	4.53	3.87
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	6.00	2.82	0.32	3.04	6.80	3.38	13.12	9.24
13.	केरल	32.60	32.54	51.60	21.23	33.70	18.46	117.90	72.23
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00
15.	महाराष्ट्र	44.75	13.27	14.74	22.63	41.50	28.36	100.99	64.26
16.	मणिपुर	0.62	0.08	0.42	0.57	0.50	0.44	1.54	1.09
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.17	0.06	0.23	0.12	0.10	0.05	0.50	0.23
20.	उड़ीसा	5.10	3.96	7.50	1.75	3.20	2.98	15.80	8.69
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22.	राजस्थान	12.00	9.76	1.80	1.81	2.00	1.93	15.80	13.50
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	8.71	13.14	7.50	58.40	16.21	71.54
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
29.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	105.55	64.96	91.91	65.55	110.41	115.14	307.87	245.65

*अनन्तिम

आंध्र प्रदेश में वायुक्षेत्र और विमानपत्तन

3362. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में वायुक्षेत्र और विमानपत्तन अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें फिर से चालू करने और अंतरराष्ट्रीय वायु यात्रा हेतु उपयोग करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में दोनाकोण्डा, कुड्डापाह और वारंगल के हवाई अड्डे प्रचालन में नहीं हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से इन हवाई अड्डों को विमानन कार्यकलापों के लिए अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया था परन्तु राज्य सरकार प्राधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कस्तूरी मृग संबंधी परियोजना

3363. श्री ए० नरेन्द्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरांचल में, विशेषकर रूद्रप्रयाग और चमोली जिले में ''कस्तूरी मृग'' के संरक्षण संबंधी परियोजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के उद्देश्य और क्रियाकलाप क्या हैं और इस हेतु बजटीय प्रावधान कितना है, यह कब से चल रही है और इसके संचालन के लिए कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं;

(ग) इस परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने में कितनी प्रगति की गई है;

(घ) क्या हाल में इसके कार्यकरण की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना का उद्देश्य वन्य-जीव संख्या बढ़ाने के लिए कस्तूरी मृग का बाह्य-स्थाने (एक्स-सिटू) प्रजनन करना था। उत्तरांचल सरकार द्वारा यह परियोजना वर्ष 1980-81 से राज्य-आयोजना (स्टेट प्लान) के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक इस परियोजना के बजट प्रावधानों में 2.26 लाख रुपये से 3.94 लाख रुपये के बीच भिन्नता आई है।

(ग) से (ङ) केन्द्र ने कस्तूरी मृग के बंदी प्रजनन की सफलता प्रत्याशा से कहीं कम है। इस परियोजना के लिए सूक्ष्म निगरानी तथा और अधिक वैज्ञानिक निविष्टियों की आवश्यकता है। स्थान की उपयुक्तता के बारे में भी संदेह है राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस केन्द्र का सुधार किया जाए अथवा इसे बन्द कर दिया जाए।

[हिन्दी]

बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें

3364. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन डाकघरों की संख्या कितनी है जिनके संबंध में वर्ष 2001-2002 के दौरान बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) मध्य प्रदेश के वे डाकघर कौन-कौन से हैं जहां बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित की गई हैं;

(ग) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के बजट में इस शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और कितनी खर्च की गई है; और

(घ) किसी डाकघर में बहुउद्देशीय काउंटर मशीन स्थापित करने पर होने वाला औसत व्यय कितना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान एक सौ (100) प्रधान डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश के उन डाकघरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिनमें बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित की गई हैं।

(ग) बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना पर हुए खर्च की राशि नीचे दी गई है :–

1999-2000	–	12.26 करोड़ रु०
2000-2001	–	10.13 करोड़ रु०
2001-2002 के लिए प्रस्तावित राशि।	–	05.00 करोड़ रु०

(घ) प्रिंटर तथा भार मापने की मशीन जैसे सहायक उपकरणों सहित एक बहुउद्देशीय काउंटर मशीन स्थापित करने पर हुआ औसत खर्च 75,000/-रुपए (पचहत्तर हजार रुपये) है।

विवरण

मध्य प्रदेश के उन डाकघरों की सूची, जिनमें बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई है।

क्र०सं०	डाकघर का नाम
1	2
1.	3 ई०एम०ई० सेंटर उप डाकघर, भोपाल
2.	बैरागढ़ उप डाकघर, भोपाल
3.	बालाघाट प्रधान डाकघर
4.	बी०एच०ई०एल० एस०बी०बी० प्रधान डाकघर, भोपाल
5.	भोपाल जी०पी०ओ०
6.	सी०टी०टी० नगर प्रधान डाकघर, भोपाल
7.	छतरपुर प्रधान डाकघर
8.	डाबरा उप डाकघर, ग्वालियर
9.	डाकभवन उप डाकघर, भोपाल
10.	दमोह प्रधान डाकघर
11.	दतिया उप डाकघर
12.	देवास प्रधान डाकघर
13.	धार प्रधान डाकघर
14.	गोबिन्द पूरा उप डाकघर, भोपाल
15.	गुना प्रधान डाकघर
16.	ग्वालियर सिटी उप डाकघर
17.	ग्वालियर आर०एस० उप डाकघर (रेलवे स्टेशन)
18.	एच०ई० हॉस्पिटल उप डाकघर, भोपाल
19.	होशंगाबाद सिटी प्रधान डाकघर
20.	होशंगाबाद प्रधान डाकघर
21.	इन्दौर सिटी उप डाकघर
22.	इन्दौर जी०पी०ओ०
23.	इटारसी प्रधान डाकघर
24.	जबलपुर कैंट उप डाकघर
25.	जबलपुर फैक्ट्री उप डाकघर
26.	जबलपुर प्रधान डाकघर
27.	जौन्सगंज उप डाकघर, जबलपुर
28.	कटनी प्रधान डाकघर
29.	खजुराहो उप डाकघर
30.	खंडवा प्रधान डाकघर
31.	लश्कर प्रधान डाकघर, ग्वालियर
32.	मांडला प्रधान डाकघर
33.	मन्दसौर प्रधान डाकघर
34.	मऊ उप डाकघर
35.	मुरैना प्रधान डाकघर
36.	मोती महल उप डाकघर, ग्वालियर
37.	मोतीलाल नेहरू नगर उप डाकघर, उज्जैन
38.	नगर निगम उप डाकघर, जबलपुर
39.	नरसिंहपुर उप डाकघर
40.	पन्ना उप डाकघर
41.	पिपलानी, भोपाल डिवीजन
42.	पीथमपुर उप डाकघर, धार
43.	आर०एस० नगर उप डाकघर, भोपाल
44.	रतलाम प्रधान डाकघर
45.	रीवा प्रधान डाकघर
46.	सागर कैंट प्रधान डाकघर
47.	सागर सिटी उप डाकघर
48.	सतना प्रधान डाकघर
49.	सतपुड़ा उप डाकघर, भोपाल
50.	सिहोर प्रधान डाकघर

1	2
51.	सियोनी प्रधान डाकघर
52.	शहडोल प्रधान डाकघर
53.	शिक्षा मंडल उप डाकघर, भोपाल
54.	शिवपुरी प्रधान डाकघर
55.	सिधी प्रधान डाकघर
56.	सिहोरा उप डाकघर, जबलपुर डिवीजन
57.	सियागंज उप डाकघर, इन्दौर
58.	तुकोगंज उप डाकघर, इन्दौर
59.	उज्जैन सिटी उप डाकघर
60.	उज्जैन प्रधान डाकघर
61.	वल्लभनगर उप डाकघर, इन्दौर
62.	विदिशा प्रधान डाकघर
63.	विन्ध्य विहार उप डाकघर, भोपाल
64.	यशवन्त रोड प्रधान डाकघर, इन्दौर

महाराष्ट्र के विमानपत्तन

3365. श्री रामदास आठवले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कौन-कौन से हैं और महाराष्ट्र राज्य में निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विमानपत्तनों को कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है और इस पर विमानपत्तन-वार कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलूर, चेन्नई, गोवा, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, तिरूवनन्तपुरम और कोचीन स्थित हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नवी मुम्बई में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दूसरा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव अभी आरंभिक चरण में है।

रेलवे प्लेटफार्म पर एस०टी०डी० बूथ

3366. डा० बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार के उन रेलवे प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है जहां एस०टी०डी० बूथ स्थापित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त राज्यों के प्लेटफार्मों पर और अधिक एस०टी०डी० बूथ स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) सभी पात्र आवेदकों को एस०टी०डी०/आई०एस०डी० पी०सी०ओ० बूथ उनके पंजीकरण के अनुसार उदारता पूर्वक "पहले आओ, पहले आओ" आधार पर आवंटित किए जाते हैं। पी०सी०ओ० के स्थान का निर्णय आवेदकों पर छोड़ दिया जाता है।

विवरण

राज्य : बिहार

एस०टी०डी० पी०सी०ओ० बूथ सहित रेलवे स्टेशन का नाम			
1.	पटना	20.	लहरियासराय
2.	छपरा	21.	झंझारपुर
3.	सीवान	22.	जयनगर
4.	सोनपुर	23.	समस्तीपुर
5.	गया	24.	हसनपुर
6.	हाजीपुर	25.	मधुबनी
7.	कटिहार	**राज्य : उत्तर प्रदेश**	
8.	बरौनी	1.	आगरा कैंट
9.	बेगुसराय	2.	आगरा किला
10.	खगरिया	3.	डुण्डला
11.	मानसी	4.	कासगंज
12.	मोतिहारी	5.	मेरठ कैंट
13.	रक्सौल	6.	मेरठ सिटी
14.	बेतिया	7.	मथुरा जंक्शन
15.	नरकटियागंज	8.	मथुरा कैंट
16.	मुजफ्फरपुर	9.	मुजफ्फरनगर
17.	सीतामढ़ी	10.	रामपुर
18.	सहरसा	11.	सहारनपुर
19.	दरभंगा	12.	देवबन्द

एस०टी०डी० पी०सी०ओ० बूथ सहित रेलवे स्टेशन का नाम			
13.	बलिया	26.	कानपुर
14.	बाराबंकी	27.	मैलानी
15.	बस्ती	28.	लखनऊ
16.	खलीलाबाद	29.	शिकोहाबाद
17.	इटावा	30.	शाहजहांपुर
18.	फैजाबाद	31.	सीतापुर
19.	फर्रूखाबाद	32.	सुल्तानपुर
20.	कन्नौज	33.	उन्नाव
21.	गोंडा	34.	वाराणसी कैंट
22.	बलरामपुर	35.	मुगलसराय
23.	गोरखपुर	36.	भदोही
24.	हरदोई	37.	काशी
25.	झांसी		

[अनुवाद]

जल संसाधनों में वृद्धि

3367. श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में जल धारण क्षमता में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में नियत और आरंभ किए गए कार्य का भी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक आबंटित ओर संवितरित धन का ब्यौरा क्या है;

(घ) आरंभ की गई परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है और प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा किए जाने की अनुमानित समय सीमा कितनी है;

(ङ) क्या सरकार के पास विदेशों और बाहरी अभिकरणों से भी वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनकी अपनी निधियों से किया जाता है। वर्ष 1995 तक देश में बड़े बांधों का निर्माण करके 177 बिलियन घनमीटर की सक्रिय भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त 75 बिलियन घनमीटर की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन करने वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 132 बिलियन घनमीटर के पूर्ण सक्रिय भंडारण का सृजन करने वाली परियोजनाओं की आयोजना की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रयोजनों के लिए नदी जल का उपयोग करने के वास्ते बड़ी संख्या में बैराजों/वीयरों का निर्माण करके जल को नहरों में भी जोड़ा गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में हस्तांतरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है जिसके द्वारा सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर तथा भूजल के बढ़े हुए उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध होने की संभावना है।

चल रही परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने में सहायता देने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता दे रही है। तमिलनाडु में उसके योजना आबंटनों से दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और एक विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने भूजल पुनर्भरण की एक स्कीम पूरी कर ली है जबकि 198.98 लाख रुपये की कुल लागत से सात अन्य स्कीमों का कार्यान्वयन हो रहा है। वर्षा जल के संरक्षण द्वारा उन्नत नमी प्रबंधन के लिए VIII वीं योजना में शुरू किए गए वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०) के तहत तमिलनाडु को नौवीं योजना के लिए 80.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिसकी तुलना में मार्च, 2001 तक 53.92 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ङ) और (च) तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना (टी०एन०डब्ल्यू०आर०सी०पी०) को 491 मिलियन अमेरिकी डालर (2,267.4 करोड़ रुपये) की लागत से विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के उद्देश्यों में जल के सभी उपयोगों के लिए नदी-बेसिनों द्वारा जल संसाधनों की आयोजना शुरू करना, सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण और उन्हें पूरा कर कृषि उत्पादकता में सुधार करना, जल प्रबंधन का उन्नयन और किसानों की सहभागिता, जल अवसंरचना व पर्यावरण की स्थाई सुरक्षा सुनिश्चित करना, तथा राज्य के जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए उन्नत संस्थागत और तकनीकी क्षमताएं शामिल हैं।

मुम्बई में मैरिन मैंगो परियोजना

3368. श्री किरीट सोमैया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई में मैरिन मैंगो परियोजना के संबंध में लोक प्रतिनिधियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के प्रस्ताव का अध्ययन किया है और यदि हां, तो उनका अभिमत क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु सी०आर०जेड० क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लगभग तीन हजार एकड़ की नमक भूमि का उपयोग किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस मुद्दे को शहरी और उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(ङ) संबंधित मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को मुम्बई में मैरिन मेनग्रोव पार्क बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) से (ङ) चूंकि ये मामला राज्य सरकार के पास है इसलिए प्रस्ताव को प्रमुख वन संरक्षक और प्रमुख वन्यजीव वार्डन महाराष्ट्र के पास विचारार्थ भिजवा दिया गया है।

सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण

3369. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षित विमानन सुरक्षा बल का गठन करने हेतु विमानपत्तनों पर तैनात सुरक्षा कर्मिकों को उचित अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नागर विमानन संचालन को गैर-कानूनी बाधाओं से बचाने के लिए विमानपत्तनों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का क्या प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सुचारू व प्रभावी कार्यकलाप सुनिश्चित करने के लिए विमानपत्तन सुरक्षा कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों को अपेक्षित प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को सौंपा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा विहित/निर्धारित सुरक्षा अधिनियम के अनुबंध-17 में यथा उल्लिखित सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है जिसमें निम्न शामिल है :–

(i) विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों की छानबीन तथा हस्तगत समानों की जांच;

(ii) लैडर प्वाइंट पर यात्रियों की सुरक्षा जांच;

(iii) अकस्मात् आधार पर चुने हुए मार्गों पर स्काई मार्शलों को लगाया जाना;

(iv) सुरक्षा कार्यों के लिए चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाया जाना;

(v) अपहरण परिहार अधिनियम में नए संशोधन कर इसे और अधिक सख्त बनाया जाना;

(vi) चुने हुए हवाई अड्डों पर त्वरित प्रतिक्रिया वाले दलों को लगाया जाना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की साई नदी में प्रदूषण

3370. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की साई नदी में प्रदूषण में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा साई नदी के संबंध में मॉनीटर की गई जल गुणता के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में मॉनीटर की गई जल गुणता में सुधार हुआ है। सभी मानीटरिंग स्टेशनों पर घुलनशील ऑक्सीजन और जैव रसायन ऑक्सीजन मांग स्तर, जो प्रदूषण स्तर के संकेतक है, निर्धारित सीमाओं के अन्दर है। केवल रायबरेली में जैव रसायन ऑक्सीजन मांग और कोलीफार्म स्तर, निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त नदी की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार को कार्रवाई करनी है। केन्द्र सरकार को साई नदी के प्रदूषण उपशमन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

जुहू विमानपत्तन पर एक हैंगर डेक्कन एवियेशन को आबंटित किया जाना

3371. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुहू विमानपत्तन पर डेक्कन एवियेशन को हैंगर का आबंटन किन शर्तों पर किया गया है;

(ख) क्या इसके लिए कोई निविदा आमंत्रित की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर पट्टा-दर के निर्धारण की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) विभिन्न कम्पनियों को पट्टे पर दी गई भूमि या हैंगर के लिए उन कम्पनियों से कितनी राशि की वसूली की जानी है;

(च) क्या भुगतान न करने वाली कम्पनियों को विमानपत्तनों से उड़ानें संचालित करने से रोक दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जुहू हवाई अड्डे का विमानशाला स्थान 373 रु० प्रति वर्ग मी० प्रतिमाह के मौजूदा मानक लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर तीन माह की अस्थायी अवधि के लिए मैसर्स डेक्कन एविएशन को ऑफर किया गया है। भारतीय विमनपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) की मौजूद कार्यप्रद्धत्ति के अनुसार, *पहले आओ पहले पाओ आधार* पर विमानशालाएं आवंटित की जाती हैं परन्तु ऐसा करते समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बकाए सहित स्थान की उपलब्धता तथा अर्हता का भी ध्यान रखा जाता है।

(घ) विभिन्न हवाई अड्डों पर पट्टा दरों का निर्धारण संबंधित हवाई अड्डों पर व्याप्त भूमि तथा तत्संबंधी ढ़ांचों की के लागत सहित किए गए पूंजीगत निवेश पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को होने वाले उपर्युक्त लाभ पर आधारित है।

(ङ) से (छ) विभिन्न कंपनियों से 725.39 लाख रु० की वसूली की जानी है। इनमें से अधिकांश मामले न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में है।

[हिन्दी]

जोधपुर के लिए नियमित उड़ानें

3372. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के जोधपुर शहर के लिए प्रात:काल और सायंकाल में नियमित उड़ानों को संचालित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रति दिन प्रात: जोधपुर होकर मुम्बई और दिल्ली के बीच एक उड़ान संचालित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सेवा के कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलायंसएयर दिल्ली से जोधपुर के लिए सुबह के समय दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-मुम्बई मार्ग पर तथा सायंकाल में मुंम्बई से मुम्बई-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर और दिल्ली मार्ग पर बोइंग-737 से प्रतिदिन सेवाएं प्रचालित करती है।

(ग) और (घ) इस समय जोधपुर होकर मुम्बई से दिल्ली वैमानिक प्रचालन प्रतिदिन प्रात: काल आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, जेट एयरवेज का 27 अगस्त, 2001 से मुम्बई-जोधपुर-मुम्बई सेक्टर में और अक्टूबर, 2001 के तीसरे सप्ताह से दिल्ली-उदयपुर-जोधपुर-उदयपुर-दिल्ली मार्ग पर सेवाएं प्रचालित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

अंगुल (उड़ीसा) स्थित नालको संयंत्र को बिजली

3373. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालको को उड़ीसा में अपने अंगुल स्थित संयंत्र के लिए कुल कितने बिजली की आवश्यकता है;

(ख) नालको कौन-कौन से स्रोतों से बिजली प्राप्त कर रहा है;

(ग) क्या नालको अपने लिए आवश्यक पूरी बिजली अपने रक्षित संयंत्रों से ही प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) नालको के अपने अंगुल स्थित एल्यूमिनियम प्रागलक संयंत्र की विद्युत आवश्यकता माहवार बदलती रहती है। आमतौर से यह लगभग 4000 एम०यू० वार्षिक है।

(ख) नालको अपने प्रगालक संयंत्र के लिए अंगुल स्थित कैप्टिव पावर प्लांट (सी०पी०पी०) से मुख्य रूप से विद्युत की प्राप्ति कर रहा है। आपातकाल में, उड़ीसा स्टेट ग्रिड से विद्युत प्राप्त की जाती है।

(ग) और (घ) नालको, प्रगालक क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपनी सी०पी०पी० से संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सी०पी०पी० की मौजूदा 6 × 120 मेगावाट की क्षमता में प्रति 120 मेगावाट की दो और इकाइयां बढ़ा रहा है। जिससे इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 8 × 120 मेगावाट हो गई है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

3374. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में अलग-अलग राज्यों से कुछ और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की व्यावहारिकता का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अलग-अलग हवाई अड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन संबंधी समीक्षा समय-समय पर की जाती है जो यातायात मांग पर निर्भर करती है जबकि कस्टम और प्रवासन सुविधाओं की उपलब्धता सतत् प्रक्रिया के भाग के रूप में है। सात और हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया जा चुका है जिससे विदेशी एयरलाइनों को उन तक सीधे आने में सहायता मिलेगी। तथापि, उनको समय-समय पर होने वाले द्विपक्षीय विमान सेवा विचार-विमर्शों के आधार पर ही तत्संबंधी अनुमति दी जा सकती है। वास्तविक प्रचालन सेवाएं उनके वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दी जाती है। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने भी कुछ नई उड़ाने शुरू की हैं और साथ ही ड्राईलीज पर अतिरिक्त विमान प्राप्त करने के बाद उनकी मुम्बई, कोचीन कालीकट और हैदराबाद से और अधिक अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की योजनाा है।

मध्य प्रदेश में सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा

3375. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किन-किन शहरों में वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड की सेल्यूलर सेवा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : भारत संचार निगम लि० की वर्ष 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के 39 शहरों को कवर करने की योजना है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश सर्किल में आई०एम०पी०सी०एस० (मुख्य) निविदा के अंतर्गत कवर किए जाने वाले शहरों/ कस्बों की सूची

1. बेतुल	12. होशंगाबाद
2. भोपाल	13. इन्दौर
3. बिओरा	14. इटारसी
4. छतरपुर	15. जबलपुर
5. छिन्दवाड़ा	16. झबुआ
6. दमोह	17. कटनी
7. दतिया	18. खजुराहो
8. देवास	19. खण्डवा
9. धार	20. खड़गोन
10. गुना	21. मालनपुर
11. ग्वालियर	22. मण्डीदीप
23. मन्दसौर	32. सेहोर
24. मोरेना	33. सिओनी
25. नरसिंगपुर	34. शहडौल
26. नीमच	35. शिवपुरी
27. पीतमपुरा	36. सिंगरौली
28. रतलाम	37. उज्जैन
29. रीवा	38. विदिशा
30. सागर	39. विजयपुर
31. सतना	

[अनुवाद]

फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्टस, क्लब को मान्यता

3376. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडिया को भारत में मोटर रैली लाइसेंस प्रदान करने वाली शासी निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मोटर स्पोर्टस की भारी राजस्व संभावनाओं के बारे में ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में मोटर रैली आयोजित करने में रूचि दिखाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आटो निर्माता कितने हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय मोटर रैली प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कोई अवसरंचना उपलब्ध कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में मोटर स्पोर्टस की खेल विधा के संवर्धन के लिए, सरकार ने फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्टस क्लब्स ऑफ इंडिया (एफ०एम०एस०सी०आई०) को मान्यता दी है, जिसका कार्यालय चेन्नई में है।

(ग) एफ०एम०एस०सी०आई० ने सूचित किया है कि फार्मूला 1 रेस में राजस्व अर्जित करने की उच्च क्षमता है लेकिन अभी तक ऐसी कोई रेस देश में आयोजित नहीं की गयी है। तथापि, विभिन्न तत्वों के आधार पर, ऐसे रेसों के आयोजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) एफ०एम०एस०सी०आई० ने बताया है कि मारूति उद्योग लिमिटेड पहले से ही रैलियों और आटो क्रासेस को सह-प्रायोजित

कर रहा है। हायुन्डई और फोर्ड ने भी देश में मोटर स्पोर्टस प्रतियोगिताओं के सह-प्रायोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ङ) और (च) अवस्थापना के सृजन और राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत, ऐसे प्रयोजनों के लिए मोटर स्पोर्टस विधा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, भारत सरकार प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए स्वीकृति देती है।

पवन हंस लिमिटेड के बेड़े का विस्तार

3377. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस हेलीकाप्टरस् लिमिटेड का विचार अपने बेडे का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और पवन हंस लिमिटेड इस समय किन-किन वायुमार्गों पर अपनी उड़ानों का संचालन कर रहा है; और

(ग) पवन हंस का विचार किन-किन नए वायुमार्गों पर अपने अतिरिक्त बेड़े का संचार करने का है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दो माध्यम क्षमता वाले हैलीकॉप्टरों की खरीद के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड द्वारा हेलिकॉप्टर प्रचालनों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

(i) सिक्किम सरकार : गंगटोक–बागडोगरा–गंगटोक सैक्टर

(ii) मेघालय सरकार : गुवाहाटी–शिलांग–तुरा सैक्टर

(iii) अरूणाचल प्रदेश सरकार : इटानगर–मोहनबाड़ी–पासीघाट–एलांग–रोइंग सेक्टर

(iv) लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूह : अन्तर द्वीपसमूह सेवाएं

(v) पंजाब और झारखंड सरकारों को दोनों के एक-एक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाती है।

(vi) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड माता वैष्णो देवी तीर्थ-स्थान की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लाभ के लिए जम्मू-कटरा-सांझीछत सैक्टर पर एक हेलीकॉप्टर सेवा का प्रचालन करती है।

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०), ऑयल इंडिया, नेशनल हाईड्रो पावर कमीशन, गैस ऑथेरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और हार्डी एक्सप्लोरेशन (निजी तेल कम्पनी) के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है।

(ग) मुम्बई में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए अपतटीय कार्यों के लिए नये हेलीकॉप्टर सेवा प्रचालित किये जाने का प्रस्ताव है।

निधियों का उपयोग

3378. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के लिए 1992-93 से आबंटित निधियों का उपयोग करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आबंटित और उनके मंत्रालय द्वारा उपयोग की गई निधियों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने निधियों के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1992-93 से 2000-2001 तक केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न योजना स्कीम के लिए आबंटित निधियों का लगभग 88 प्रतिशत का उपयोग हो गया है। मंत्रालय के केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आबंटित/उपयोग की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय द्वारा आबंटित योजना निधियों के उपयोग में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में कार्य की प्रगति की तुलना में व्यय निष्पादन की मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करना, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय प्रस्तावों की कार्रवाई में होने वाली देरी में कमी करना, कार्यान्वयन अभिकरणों को समय पर निधि जारी करना, केन्द्र द्वारा राज्य को मिल रही सहायता के मामले में वित्त पोषण मानकों में उपयुक्त परिवर्तन करना, विभिन्न स्कीमों के क्षेत्रों की मांग आधारित उन्मुखीकरण, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय महत्व की कुछ बड़ी स्कीमों की शुरूआत तथा विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अभिकरणों के साथ संयुक्त प्रयास बढ़ाना भी शामिल है।

विवरण

जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत वर्षवार आबंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	योजना आबंटन	व्यय	प्रतिशत व्यय
1	2	3	4
1992-93	240.00	199.26	83.02
1993-94	289.00	267.00	92.39
1994-95	275.47	232.67	84.46

1	2	3	4
1995-96	302.00	251.57	83.30
1996-97	830.80	786.27	94.64
1997-98	1641.00	1228.18	74.84
1998-99	1896.00	1465.97	77.32
1999-2000	1970.00	1831.41	92.92
2000-2001	2187.42	2218.91	101.44
	9631.69	8481.24	88.05

डाक विभाग में घाटा

3379. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग को लाभकारी बनाने और इसके 1000 करोड़ रुपये के घाटे की पूर्ति करने के लिए अर्थोपायों के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौप दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उन डाकघरों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है जिनका कारोबार 50 प्रतिशत से भी नीचे चला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निधियों का कम उपयोग किया जाना

3380. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूर के पुनर्वास, बेरोजगार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित निधियों का गत दो वर्षों के दौरान पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित निधियों और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटित निधियों के कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी करने हेतु कोई प्रणाली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा निधियों से उपयोग के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान बंधुआ श्रम की योजनाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियोजन और कल्याण (कोचिंग, प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन) से संबंधित बजट आकलन और उसके उपयोग का ब्यौरा निम्नवत है :–

(रु० करोड़ों में)

योजना	वर्ष	बजट अनुमान	उपयोग
बंधुआ श्रम	1999-2000	3.98	3.83
	2000-2001	5.75	9.21
नियोजन	1999-2000	3.82	0.65
	2000-2001	3.79	1.07
अ०जा०/अ०ज०जा०	1999-2000	1.18	0.60
का कल्याण	2000-2001	1.62	0.46

बंधुआ श्रमिकों से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, जिन मामलों में राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं, वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के दौरान उपयोग की दर क्रमश: 96 प्रतिशत और 160 प्रतिशत पर पर्याप्त रूप से उच्च रही है।

रोजगार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के मामले में निधियों का कम उपयोग किये जाने के कारण नये केन्द्रों की स्थापना तथा मौजूदा केन्द्रों के अंतर्गत पदों की पुनर्बहाली/पुनर्सृजन हेतु प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान न होना है। ये केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जिनमें राज्य सरकारों को सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(घ) से (च) राज्य सरकारों के लिए समय-समय पर ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं कि वे जैसे ही बंधुआ श्रमिकों की पहचान हो जाती है और मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए पूर्ण प्रस्ताव भेज दें। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करके पुनर्वास अनुदान के उपयोग का प्रबोधन किया जाता है तथा सहायता के उचित उपयोग की समीक्षा करने के उद्देश्य से

पुनर्वास स्थल का दौरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जाता है।

खेल संबंधी सांविधिक विधियां

3381. **श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के अधिनियम के माध्यम से खेल संबंधी सांविधिक विधियां लाने की आवश्यकता है अथवा खेलों के विनियमन के लिए वर्तमान परिदृश्य/कार्य प्रणाली पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का विचार संसद में कब तक आवश्यक विधान लाने का है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) ''खेल'' का विषय भारत के संविधान की ''राज्य सूची'' में है। तथापि, राष्ट्रीय खेल नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा खेलों के आयोजन तथा प्रबंधन को नियंत्रित करने तथा खेलों में चहुंमुखी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए, ''खेल'' विषय को राज्य सूची से भारत के संविधान की समवर्ती सूची में लाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए, संवैधानिक (61वां) संशोधन विधेयक 1988 में राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, लेकिन वह अभी तक विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विदर्भ क्षेत्र में हीरे के भंडार

3382. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के दौरान विदर्भ क्षेत्र (गुजरात) में हीरे के विशाल भन्डारों की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन संबंधी कार्यकलापों के बारे में भी कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कार्यकलापों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन को आरंभ करने पर विचार कर रही है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को गुजरात में हीरे के भंडारों के अस्तित्व के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तथापि, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चंद्रपुर तथा गडचिरोली जिलों में किम्बरलाइट, लैम्पोइट निक्षेपों की विस्तृत खोज का कार्यक्रम चलाया गया है। कोंग्लोमेरेट के मैटरिक्स से, गडचिरोली जिले के वैरागढ़ क्षेत्र में 0.15 कैरट वजन वाले छोटे हीरा कणों का पता चला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के पास अवैध खनन के बारे में कोई सूचना नहीं है। अवैध खनन यदि कोई हो, को रोकने का दायित्व राज्य सरकारों का है। अवैध खनन रोकने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में अनेक प्रावधान मौजूद हैं।

(ङ) ऊपर ''क'' के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान की जांच

3383. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने पटना में विमान दुर्घटना के पश्चात् एलाइंस एयर के सभी विमानों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोईंग और विमानों के अन्य विनिर्माताओं से कोई तकनीकी राय मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विमान विनिर्माताओं ने अपने विमानों की तकनीकी दक्षता प्रमाणित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एयरलाइनों की प्रमाणित अभियंत्रताओं द्वारा अनुमोदित अनुरक्षण कार्य के अनुसार एलायंस एयर के सभी बोइंग 737-200 विमानों का निरीक्षण किया जाता है। उड़नयोग्यता अपेक्षाओं के विहित प्रतिमानों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशलय (डी०जी०सी०ए०) पर्यवेक्षण कार्य करता है। उपर्युक्त विमान दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित एयर मार्शल राजकुमार समिति ने अनुरक्षण कार्य पद्धति को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत का सुझाव दिया और निष्कर्ष के तौर पर उल्लेख किया कि मानवीय भूल के कारण विमान का नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटना हुई और जांच से यह तथ्य भी सुनिश्चित हो गया कि विमान बिल्कुल उड़ान-योग्य था और इसका खास तौर पर अनुरक्षण किया गया था। जुलाई, 2000 में पटना में एलायंस एयर के बोइंग-737 विमान की दुर्घटना होने के बाद एलायंस एयर की अनुरक्षण प्रणालियों का कोटि-उन्नयन किया गया।

(ख) और (ग) विनिर्माता के अनुरक्षण योजना दस्तावेज (एम०पी०डी०) में दिए गए विनिर्माता कार्यक्रम तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विधिवत् अपनाए गए अनुसार ही अनुरक्षण अनुसूची तथा अनुरक्षण सावधिक अनुसूची तैयार की जाती है।

(घ) और (ङ) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित फेडर एविएशन एकेडमी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विमानन् उद्योग का विनियामक प्राधिकरण है, ने मैसर्स बोइंग कंपनी द्वारा विनिर्मित बोइंग 737-200 सीरीज के लिए किस्म के बारे में प्रमाण-पत्र जारी किया है। किस्म-प्रमाण पत्र विमानों की तकनीकी कार्य-कुशलता को प्रमाणित करता है। एलाइंस एयर विमानों की इन सीरीज को प्रचालित करती है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का माल-भाड़ा शुल्क

3384. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा मालभाड़ा शुल्क बढ़ाए जाने और घटाए जाने के संबंध में कोई मानदण्ड अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको लाभप्रद बनाने में किराए की ये दरें किस स्तर तक सहायक रही ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस के मालवाही किरायों का निर्धारण एयरलाइनों द्वारा स्वयं किया जाता है जो मार्केट की आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय सैक्टर में सरकार द्वारा अपनाई जा रही मुक्त आकाश नीति के कारण अधिक से अधिक क्षमता से मार्केट पूरी तरह से प्रतिस्पर्द्धात्मक हो गयी है और इसलिए मांग और पूर्ति के कारण मालवाही किरायों में उतार-चढ़ाव आता रहता है।

अंतर्देशीय सैक्टर में, कारगो दरों में यात्री किरायों में वृद्धि के कारण वृद्धि/कमी होती रहती है। विभिन्न प्रचालनात्मक लागत अर्थात् ईंधन, दिक्चालनात्मक प्रभारों, पार्किंग और अवतरण प्रभारों इत्यादि को मालवाही दरों में पिछली वृद्धि के साथ यात्री किराये के परिवर्तन के समय ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 1998 में, पूर्वोत्तर क्षेत्र सैक्टरों और श्रेणी-2 मार्गों को छोड़कर, इंडियन एयरलाइंस के सभी सैक्टरों में यात्री किराये/मालवाही प्रभारों में परिवर्तन किया गया था। तथापि, फ्लैक्सी किराया नीति के आरंभ होने के बाद मालवाही प्रभारों के स्तर को बनाए रखने का एक निर्णय हाल ही में लिया गया है। कारगो वहन से प्राप्त होने वाला कुल राजस्व इंडियन एयरलाइंस के अर्जित कुल राजस्व का लगभग 5 प्रतिशत तथा एअर इंडिया का लगभग 10 प्रतिशत बनता है।

वायुयान चार्टर कंपनियां

3385. **श्री अशोक अर्गल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वायुयान चार्टर कंपनियों द्वारा कितने घंटे उड़ान भरी गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वायुयान चार्टर कंपनियों का कुल कारोबार और कुल लाभ/हानि कितनी रही;

(ग) गैर-अधिसूचित संचालकों द्वारा विभिन्न कंपनियों से प्राप्त किए गए आई०ए०टी०टी० कर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भिन्न-भिन्न वायुयान चार्टर कंपनियों के पास उड़ने लायक वायुयानों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न वायुयान चार्टर कंपनियों के पास उपलब्ध वायुयानों का प्रकार और संख्या कितनी है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) विमान चार्टर कंपनियों के उड़ान घंटे, कारोबार, निवल लाभ/हानि के ब्यौरे सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान गैर-अनुसूचित प्रचालकों से संग्रहित विमानयात्रा कर क्रमशः 606.47 लाख रु० 676.48 लाख रु० और 355.14 लाख रु० है।

(घ) विभिन्न चार्टर कंपनियों के पास उपलब्ध उड़न योग्य विमान, उनकी संख्या तथा किस्म संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न विमान चार्टर कम्पनियों के पास उपलब्ध उड़नयोग्यता वाले विमानों, उनकी संख्या और विमान की किस्म के ब्यौरे

क्र० सं०	नाम	विभाग की किस्म	विमान की संख्या
1	2	3	4
1.	एसीई एयरवेज प्रा० लि०	ए०एस० 350-बी एक्इल	1
2.	एरियल सर्विसेज प्रा० लि०	बीच जेट-400	1
3.	अग्नि एयरोस्पोट्स एडवेंचर प्रा०लि०	बी०एन० 2ए	1
4.	मैसर्स अहमदाबाद एविएशन एकादमी लिमिटेड	सेसना 152 पाइपर एजतेज़ सेसना 172	1 1
5.	एयरवर्क्स इंडिया (प्रा०) लि०	किंग एयर सी-90	1
6.	एशिया एविएशन लि०	सेसना सिट 2	1
7.	एज़ल इंडिया प्रा० लि०	बेल 412	6
8.	ब्ल्यू डार्ट	बी-737-200	3
9.	सेंचुरी टैक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ लि०	सेसना कारवां कारवा-II	1
10.	डेक्कन एविएशन	बेल 206 एल-3 बेल 206 बी-3 बेल 212 बेल 407 इक्युल ए०एस०	2 2 1 1 1

1	2	3	4
11.	द्वारका एयर टैक्सी	सेसना 404 टाइटन	1
12.	एस्कोट्स लि०	बेल-407	1
13.	ईस्ट इंडिया होटल्स	एच०एस०-125	1
		सी-90 ए	1
14.	राजस्थान सरकार	एलौउटी III	1
15.	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग क० लि०	बैल-212	3
16.	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी	सेसना-172	1
17.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	बेल 222 यू०टी०	1
		एच०एस०-125-बी	1
		पाइपर चिफ्टैन	
		पी०ए०-31-350	1
18.	इंडो पैसिफिक एविएशन	बेल-206 एल-4	1
19.	जैगसन एयरलाइन्स	डी०ओ०-228	2
20.	जे०के० कारपोरेशन	किंग एयर बी-200	1
21.	कुदेमुख आयरन ओर क०लि०	एलौउटी-III	1
22.	मल्होत्रा हेलीकाप्टर्स	बेल-47 जी-5	1
23.	मेगोपोडे एयरलाइन्स	एच०एस०-125-700बी	1
		फाल्कान-2000	1
24.	मैसको एयरलाइन्स लि०	एक्ज़ुइल	3
		पी-68 टी०पी०	1
		पी-68 औबज़रबर	1
		एम०आई०-172	2
		ए०एस०-365-एन	1
25.	ओरियण्ट फ्लाइंग स्कूल	सेसना-152	3
26.	पवन हंस	डॉफिन 2	20
		रोबिन्सन	2
		एम०आई० 172	3
		बेल 407	2
		बेल 206 एल-4	3
27.	राजपूताना एविएशन अकादमी (प्रा०) लिमिटेड	सेसना-172	1
		सेसना-152	2
28.	रैमण्ड लिमिटेड	ए०एस०-365-एन	1
		बेल-206 एल-3	2
		सेसना	1
		सिटेशन 2	
29.	रिलायन्स ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स लिमिटेड	गल्फस्ट्रीम जी-4	1
30.	सहारा इंडिया एयरलाइन्स	बी-737-200	1
		बी-737-400	2
		एक्ज़ुइल	1
		ए०एस०-355-एन	
		डॉफिन 365 एन-2	1
31.	सराया एविएशन प्रा०लि०	बीच बी-58	1
32.	स्पैन एयर प्रा०लि०	बेल 206 एल-4	1
		बेल 407	1
		सुपर किंग 200	1
33.	तनेजा एयरोस्पेस एण्ड एविएशन लि०	पी०सी०-68 टी०सी०	1
		पी० 68 सी०	4
34.	टाटा टी०लि०	चेतक एस०ए०-316बी	1
35.	ट्रांस भारत एविएशन	बीच 99	2
		बेल-206 बी-3	2
		बेल 407	1
36.	यू०बी० एयर	चेतक	1
		बेल-212	2
37.	उत्तर प्रदेश एयरवेज़	एफ-27	2
38.	विद्युत ट्रेवल सर्विसेज	किंग एयर सी-90	1

इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या सी०डी० 7278 में विलम्ब

3386. **श्री अबुल हसनत खां :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की 22 मई, 2001 की कलकत्ता-भुवनेश्वर-हैदराबाद को जाने वाली उड़ान संख्या सी०डी० 7278 के लिए भुवनेश्वर स्थित विमानपत्तन अधिकारियों ने क्षमता से अधिक बुकिंग कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस के स्टाफ ने निश्चित आरक्षण टिकट-धारक यात्रियों को उतारकर अन्य को वे सीटें दे दीं जिससे उड़ान में विलंब हुआ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) दिनांक 22.05.2001 को उड़ान सं० सी०डी०-7278 (कोलकाता-हैदराबाद-भुवनेश्वर) में ओवर बुकिंग नहीं हुई थी। यद्यपि, दिनांक 19.05.2001 को इस उड़ान में 7 सीटों (कोलकाता से 4 और भुवनेश्वर से 3) की ओवर बुकिंग हुई थी। इसीलिए, आरंभ में कतिपय यात्रियों को विमान में प्रविष्टि नहीं मिली थी। किन्तु विमान के आगमन पर, छुट्टी पर रहे कर्मचारियों को ऑफ लोड किया गया था और जिन यात्रियों के पास पुष्टिकृत टिकट थे उन यात्रियों को स्वीकार किया गया था। कोलकाता और भुवनेश्वर में इंडियन एयरलाइंस के संबंधित कर्मचारियों को उपयुक्त दण्ड दिया गया है।

भर्ती एजेंसियां

3387. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन श्रमिक भर्ती एजेंसियों को राज्यवार विदेशों में श्रमिकों की आपूर्ति करने का लाइसेंस प्राप्त है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार किन-किन भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई है;

(ग) 1998 से 2001 के बीच राज्य-वार किन-किन एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और लाइसेंस रद्द किए गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार उनमें से नए लाइसेंस प्राप्त करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली भर्ती एजेंसियों की संख्या	एजेंसियों की संख्या जिनके विरुद्ध शिकायत की गई	निरस्त किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या	नये पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए गए एजेंसियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	36	07	–	–
2.	चंडीगढ़	21	–	–	–
3.	दिल्ली	207	24	–	–
4.	गोवा	13	–	–	–
5.	गुजरात	10	–	–	–
6.	हरियाणा	5	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	2	–	–	–
8.	जम्मू और कश्मीर	1	–	–	–
9.	कर्नाटक	17	–	–	–
10.	केरल	145	14	–	–
11.	उड़ीसा	1	–	–	–
12.	पंजाब	26	1	–	–
13.	राजस्थान	15	–	–	–
14.	तमिलनाडु	163	19	–	–
15.	उत्तर प्रदेश	5	–	1	–
16.	पश्चिम बंगाल	4	–	–	–
17.	महाराष्ट्र	480	93	2	–

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए अनुदान

3388. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चौड़ा करने के कार्य के लिए 94.75 करोड़ रुपए के अनुदान देने तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रिम तौर पर दिए गए 5 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास राज्य सरकार के कुछ और अनुरोध अभी भी लंबित है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) 94.75 करोड़ रु० के अनुदान का अनुरोध राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4, 5, 7, 9, 16, 18 और 43 पर आने वाले कस्बों से गुजरने वाले मार्ग खंडों को चौड़ा करने के लिए था। रा०रा०-5 जो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत है, को 2003 के अंत तक चार लेन का बना दिया जाएगा। रा०रा०-7 जो उत्तर-दक्षिण महामार्ग के अंतर्गत है, को चार लेन का बनाने का कार्य 2007 के अंत तक पूरा किया जाना निर्धारित है। अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार कार्य वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। यह परियोजना की परस्पर प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार द्वारा किया गया 5 करोड़ रु० का व्यय स्वीकृत काम के लिए नहीं था और इसलिए इस राशि की प्रतिपूर्ति संभव नहीं है। राज्य सरकार को पहले ही सूचित कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) यह एक सतत् प्रक्रिया है। वार्षिक योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी परस्पर प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

वेटलीज सौदे के संबंध में सी०बी०आई० जांच

3389. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष पहले पट्टे पर विमान लेने के सौदे से संबंधित तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले को जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था; और

(ख) यदि हां, तो जांच में हुए विलंब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत अधिक दस्तावेजों तथा विभिन्न स्थानों में फैले अनेक साक्ष्यों के कारण जांच बहुत धीमी गति से हुई। समिति के संयोजक जिन्होंने मैसर्स कैरिबजेट तथा तत्कालीन वाणिज्यिक प्रबंधक (विपणन) को चुना था जो कि अब सेवानिवृत्ति के पश्चात स्विटजरलैंड में बस गए हैं, की भी जांच की जानी थी। यद्यपि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले की सक्रियतापूर्वक जांच कर ही रही है।

बंधुआ मजदूर

3390. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूरी की प्रथा अभी भी देश में जारी है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उक्त प्रथा अभी भी जारी है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रथा को खत्म करने हेतु क्या कदम उठाए गए;

(घ) 1 जनवरी, 2000 से आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों में पता लगाए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) बंधुआ मजदूर रखने वाले लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया एवं दोषसिद्ध किया गया;

(च) क्या सरकार बंधुआ मजदूर रखने वाले लोगों को कड़ी सजा देने हेतु विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) ऐसे विधेयक को कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) देश के कुछ भागों में बाल श्रम की घटनाओं की सूचना समय-समय पर चौदह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से मिलती रही है।

(ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत 25.10.1975 से पूरे देश में बंधित श्रम पद्धति समाप्त कर दी गयी है। अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेटों को अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मुक्त कराए गए प्रति बंधुआ श्रमिक को 20,000/- रु० की पुनर्वास सहायता दी जाती है, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 आधार पर वहन किया जाता है।

(घ) जनवरी, 2000 से आदिनांक पहचान किए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की राज्यवार संख्या निम्नवत है :–

राज्य	संख्या
अरूणाचल प्रदेश	2992
राजस्थान	104
तमिलनाडु	14120
उत्तर प्रदेश	79

(ङ) राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उल्लंघन के 4533 मामलों पर अभियोग चलाये जा चुके हैं जिनमें से 1190 मामलों के संबंध में सिद्धदोष के आदेश दिए जा चुके हैं।

(च) से (झ) विद्यमान अधिनियम के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों का शोषण किए जाने पर दण्ड दिए जाने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत कारावास और जुर्माने की भी व्यवस्था है और उसे क्रमश: तीन वर्ष तक तथा दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में बंधित श्रम पद्धति से संबंधित अपराधों के लिए दण्ड बढ़ाने के लिए कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

श्रमिक असंतोष

3391. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में श्रमिक असंतोष के कारण होने वाले नुकसान का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्य श्रमिक असंतोष के प्रति अधिक प्रवण हैं और क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे श्रमिक असंतोष को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) श्रम ब्यूरो देश में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण होने वाली मजदूरी और उत्पादन की हानियों के बारे में स्वैच्छिक आधार पर सूचना एकत्र करता है। वर्ष 1999 और 2000 के लिए उपलब्ध अनन्तिम जानकारी के अनुसार मजदूरी की हानि लगभग 200 करोड़ की रही जबकि उसी अवधि के दौरान उत्पादन की हानि लगभग 1800 करोड़ रुपए की रही। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हड़तालों और तालाबंदियों की घटनाएं अधिक देखी गईं। सरकार देश में औद्योगिक संबंधों की स्थिति पर पूरी-पूरी और सतत् रूप से निगरानी रख रही है औद्योगिक संबंध तंत्र को निदेश दिए गए हैं कि मध्यस्थता, सुलह और निपटारे के माध्यम से विवादों का निपटान करने और काम बंदी को कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सामाजिक भागीदारों के साथ नियमित परामर्श और त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के लिए भी कदम उठाए गए हैं ताकि श्रम अंशाति के कारकों की गहरी समझ बनाई जा सके और औद्योगिक सौहार्दता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय किए जा सकें।

मजदूर संगठनों के लिए विधान

3392. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मजदूर संगठनों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए विधान बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में श्रम सुधारों के लिये ''इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड ट्रेड यूनियंस'' से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सभा ने दिनांक 2.8.2001 को व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित कर दिया है। प्रस्तावित संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों का चुनाव किए जाने और उनके कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष से अधिक न रखे जाने, पदाधिकारियों के अनुपात को पदाधिकारियों की कुल संख्या का 1/2 से बढ़ाकर 2/3 किए जाने के लिए उसे उद्योग के साथ जोड़े जाने के प्रावधान किए गए हैं।

(ग) से (ङ) इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्री, कोयम्बटूर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अपने पत्र में उसने माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28.2.2001 को अपने बजट भाषण में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 में संशोधनों के बारे में की गयी घोषणाओं से सरकार को अवगत कराया है। इन सुझावों को नोट कर लिया गया है।

दिल्ली में टेलीफोन तारों की चोरी

3393. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में तारों की चोरी संबंधी घटनाओं के कारण हजारों टेलीफोन खराब हो गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामस्वरूप कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ;

(ग) क्या चोरी की ऐसी घटनायें इन क्षेत्रों में पहले भी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी चोरी को रोकने हेतु सुधारात्मक कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। पिछले छः महीने के दौरान एम०टी०एन०एल० दिल्ली में चोरी के 125 मामले हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप लगभग 61,000 टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं।

(ख) सलंग्न विवरण-I के अनुसार।

(ग) पहले जिन क्षेत्रों में केबल की चोरियां हुई, उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। केबल की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

- प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज करना।
- उच्च पुलिस प्राधिकारियों के साथ संपर्क साधना।
- प्रमुख केबल रूटों पर गश्त लगाना।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

जनवरी 2001 से जुलाई 2001 तक केबल की चोरी से प्रभावित क्षेत्र

पप्पन कलां, मधुविहार, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, मंडोली, द्वारका, जनकपुरी, कंझावला, अंधेरी मोड़, आर०के० पुरम सेक्टर-6, मुनीरका, बेर सराय, रोहिणी, नरेला, तुगलकाबाद, बवाना रोड़, नेताजी नगर, जे०एन०यू०, बवाना गांव, एग्यूर्नपुर, नौएडा मोड़, आसफअली रोड़, वसन्त कुंज, सिन्धु वार्डर, महरौली, महिपालपुर, सिंधोला गांव, टिकरी गांव, शाहपुर गांव, दरयापुर, नांगल, संगम विहार, देशबन्धु गुप्ता रोड़, अलीपुर, प्रीत विहार, रोहतक रोड़, कालका जी डी०डी०ए० फ्लैट्स, मित्रावंगांव, गोयला डेयरी, छावला ब्रिज, झडौदा रोड़, ईस्टंड अर्पाटमेंट, न्यू अशोक नगर, एक्सप्रैस अपार्टमेंट, गाज़ीपुर, चन्द्रनगर, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, जेल रोड, सिरसपुर, सोनिया बिहार, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी।

विवरण-II

पप्पनकलां, बवाना, द्वारका, जनकपुरी, जे०एन०यू० कैम्पस, महरौली, कंझावला बसन्त कुंज, अंधेरी मोड़।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शीतागारों का निर्माण

3394. **श्री राजैया मल्याला :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शीतागारों के निर्माण की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो शीतागार केन्द्रों के निर्माण हेतु किन अंतराष्ट्रीय विमानपत्तनों की पहचान की गई;

(ग) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर और शीतागार निर्मित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस नई सुविधा से एयर इंडिया को होने वाले लाभ का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कृषि तथा खाद्य उत्पाद निर्यात प्रसंस्करण विकास (ए०पी०ई०डी०ए०) की सहायता से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए अत्याधुनिक केन्द्र दिल्ली, चेन्नई तथा हैदराबाद एयरपोर्टों पर स्थापित किये गये है तथा चलते फिरते कोडल्ड स्टोरेज मुम्बई, कोलकाता तथा गुवाहाटी एयरपोर्टों पर स्थापित किये जा चुके हैं।

(ग) से (च) मुम्बई एयरपोर्ट पर ए०पी०ई०डी०ए० निगम शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के कारगो केन्द्र के विकास के लिए 27.2.2001 को निविदा आमंत्रित की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी कोलकाता, अमृतसर तथा अहमदाबाद एयरपोर्टों पर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के कार्गो परिसर के लिए भूमि की पहचान की है। केन्द्र पर शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के निर्यात की सुविधाएं बढ़ा दी गयी है। यद्यपि, विशेषकर एअर इंडिया के लाभ का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आदि शंकर, आप अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री के० मलयसामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सरोजा, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री टी०आर० बालू सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत बैटरीज (प्रबंध और संचालन) नियम, 2001 जो 16 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 432(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3939/2001]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का०आ० 327(अ) जो 12 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत निहित शक्तियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की गई है ताकि वह जैविक अपशिष्ट, परिसंकटमय रसायनों, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट, जिनमें प्लास्टिक अपशिष्ट भी शामिल है, से संबंधित मानकों और नियमों के उल्लंघन के लिए किसी उद्योग अथवा किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी को निदेश जारी कर सके।

(दो) का०आ० 352(अ) जो 25 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पार्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन निहित शक्तियां छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल की राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3940/2001]

(3) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 241(अ) जो 19 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण के सदस्य को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3941/2001]

(4) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, प्राणिउद्यान मान्यता (संशोधन) नियम, 2001, जो 11 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 520(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3942/2001]

(5) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा वनरोपण विकास निगम लिमिटेड तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001- 2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3943/2001]

(6) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3944/2001]

(8) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3945/2001]

(10) (एक) इंडियन प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3946/2001]

(12) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण (अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध जांच करने की प्रक्रिया) नियम, 2001 जो 22 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 450(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3947/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का०आ० 350(अ) जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का०नि० आ० 1181 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) का०आ० 394(अ) जो 8 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची से लोप किया गया है।

(तीन) का०आ० 395(अ) जो 8 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 को एक नये संरेखण के साथ घोषित किया गया है।

(चार) का०आ० 465(अ) जो 25 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (सिकन्दरा–अकबरपुर–बारा खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का०आ० 580(अ) जो 21 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का०नि० आ० 1181 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(छः) का०आ० 581(अ) जो 21 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग में उल्लिखित हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सात) का०आ० 591(अ) जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर-अजमेर मार्ग पर स्थित भूमि का अधिग्रहण करना है।

(आठ) का०आ० 939(अ) जो 19 अक्टूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उदयपुर-रतनपुर खंड में 278.000 से 317.500 (अजमेर में '0' किलोमीटर) भूमि का अधिग्रहण करना है।

(नौ) का०आ० 940(अ) जो 19 अक्टूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका

आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उदयपुर-रतनपुर खंड में 317.500 से 315.0 (अजमेर में 0'0' किलोमीटर) भूमि का अधिग्रहण करना है।

(दस) का०आ० 1009(अ) जो 10 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर 192/0 किलोमीटर से 198/0 किलोमीटर तक रियायती क्षेत्र में जाडेश्वर में नर्मदा नदी पर विद्यमान और नये पूलों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क का उदग्रहण करने के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 1017(अ) जो 14 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर उपमार्ग फेज–दो, जोन 'डी' जयपुर में हर्मदा से चांदवाजी तक भूमि का अधिग्रहण करना है।

(बारह) का०आ० 1018(अ) जो 14 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 591(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तेरह) का०आ० 694(अ) जो 20 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 602(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चौदह) का०आ० 673(अ) जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर पुणे-सतारा मार्ग पर भूमि का अधिग्रहण करना है।

(पंद्रह) का०आ० 674(अ) जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर (सूरत–मनौर टोलवे रोड प्रोजेक्ट) चार लेन वाले हिस्से के लिए लोकप्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण करना है।

(सोलह) का०आ० 675(अ) जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (सूरत–मनौर टोलवे रोड प्रोजेक्ट) के चेंगलपट्टु–टिंडीवनम खंड को चार लेनों वाला बनाने के लिए लोकप्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण करना है।

(सत्रह) का०आ० 671(अ) जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) को ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन हेतु एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करना है।

(अठारह) का०आ० 666(अ) जो 12 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को लोकप्रयोजन हेतु चौड़ा करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करना है।

(उन्नीस) का०आ० 657(अ) जो 10 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य में धारवाड़ और बेलगाम जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चार लेन वाला बनाने के लिए लोकप्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण करना है।

(बीस) का०आ० 621(अ) जो 29 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को सुननखला से खुर्दा तक चौड़ा किये जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 601(अ) जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 492(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(बाईस) का०आ० 602(अ) जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित अधिकारियों को ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करना है।

(तेईस) का०आ० 594(अ) जो 27 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत भुवनेश्वर, उड़ीसा के भूमि अर्जन अधिकारी को ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करना है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या 1 के क्रमांक (सात) से (बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3948/2001]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत डाक (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 25 मई, 2001 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3949/2001]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) टेलिकम्यूनीकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3950/2001]

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3951/2001]

(तीन) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3952/2001]

अपराह्न 2.04 बजे

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां – एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : मैं, "विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां (1999-2000)" एक समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.04½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी स्थायी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध प्रसार भारती के कार्यकरण के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 10 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 10 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.06 बजे

(इस समय, श्री के० मलयसामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जायें।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.06½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) नासिक तथा अंकलेश्वर में कुंभ मेले के सुचारू रूप से संचालन के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चिंतामन वनगा (दहानू) : नासिक और अंकलेश्वर में सन् 2003 में कुंभ मेला हो रहा है। इस मेले में पूरे देश से और विदेश से भी साधु-संत और श्रद्धालू आते हैं। यह मेला करीबन एक महीना चलता है। बहुत भीड़ होने के कारण वहां प्रशासन को सड़कें, रहने की सुविधा, आरोग्य सेवा, यातायात सेवा, पीने का पानी आदि व्यवस्था करनी पड़ती है। यह काम स्थानीय प्रशासन की मदद से राज्य सरकार कर रही है। इसके लिए मास्टर प्लान भी बनाया गया है और काम भी शुरू हुआ है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार को अनेक मर्यादा के कारण ये सेवा उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि नासिक–अंकलेश्वर में होने वाले कुंभ मेले के लिए विशेष सहायता देने की कृपा करें।

(दो) महाराष्ट्र के जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना) : मेरे संसदीय क्षेत्र जालना (महाराष्ट्र) में टेलीफोन व्यवस्था ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। संबंधित अधिकारी वर्ग को सूचित करने पर भी स्थिति में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में तो दूर संचार की हालत और भी खराब है। महीनों तक टेलीफोन पी०सी०ओ० खराब रहते हैं और विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की ओर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामवासियों ने वर्षों से टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन किए हुए हैं, लेकिन अभी तक टेलीफोन नहीं लगाए गए हैं।

अत: आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की दूर संचार व्यवस्था ठीक करवाने तथा वर्षों से लोगों के जो टेलीफोन हेतु आवेदन लंबित हैं, उन्हें अविलम्ब टेलीफोन कनेक्शन जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(तीन) झारखंड राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में कोयले के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखण्ड राज्य में एक भी खुदरा कोयले की दुकान नहीं है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को कालाबाजारी में कोयला खरीदना पड़ता है, इससे कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी कम्पनियों में चोरी बढ़ती है और राजस्व में हानि होती है।

ऐसी स्थिति में झारखण्ड राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में शिक्षित बेरोजगार युवकों द्वारा संचालित खुदरा कोयला बिक्री केन्द्र की स्थापना होने से वनों की कटाई रूकेगी और कोयले की चोरी में रोक लगेगी। इस संबंध में हमने कई बार मामले को लोक सभा में उठाया, परन्तु कार्रवाई नहीं हुई।

अत: सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में कोयले के फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बेरोजगारों को कोयले का आबंटन कराने की व्यवस्था की जाये ताकि झारखण्ड-वासियों को खुले बाजार में अधिकृत ढंग से कोयला मुहैया कराया जा सके।

(चार) उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जाफरा–जंघई रेल लाइन का सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर रेलवे की जाफरा–संघई रेलवे लाईन लगातार जर्जर होती जा रही है। उस रेलवे लाइन की समुचित देख-रेख के साथ उसके सुदृढ़ीकरण की भी आवश्यकता है। यदि वहां रेल मार्ग मजबूत हो जाए तो शाहगंज–जौनपुर–जाफराबाद से होकर जंघई के लिए सीधी गाड़ियों को एक नया रेल मार्ग मिल जायेगा और मुम्बई के लिए आजमगढ़–जौनपुर से सीधी ट्रेन की मांग भी पूरी की जा सकती है तथा जौनपुर–इलाहाबाद के लिये तीव्र गति की गाड़ियां भी चल सकती हैं।

(पांच) राजस्थान के अजमेर जिले में ब्यावर तथा विजयनगर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन आने वाली सूती कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : अजमेर जिले (राजस्थान) के अंतर्गत ब्यावर एवं विजयनगर तथा उदयपुर में कपड़े की बहुत पुरानी मिलें हैं जो आजादी से पहले कपड़ा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करती रही हैं। इन मिलों में हजारों श्रमिक कार्यरत हैं। ये मिलें एन०टी० सी० द्वारा संचालित हैं।

राजस्थान में विगत तीन वर्षों से घोर अकालजन्य परिस्थितियों के कारण रोजगार उपलब्ध कराने के और कोई अन्य संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं। ब्यावर जिला अजमेर स्थित एडवर्ड एवं महालक्ष्मी तथा विजयनगर जिला अजमेर स्थित विजय कॉटन मिल में श्रमिकों को पूरा जॉब और माल नहीं देने के कारण इन मिलों को घाटा देने वाली घोषित कर, वी०आर०एस० के नाम पर श्रमिकों की छंटनी निरन्तर की जा रही है, उनके लिए पूर्व घोषित और स्वीकृत वेतनमान व लाभ आदि भी नहीं दिये जा रहे हैं और अब अनुपयोगी मानकर बंद किया जाने वाला है। ऐसा करने से हजारों श्रमिक बेकार हो जायेंगे, रोजी-रोटी के लिए दर-दर पर भटकने को मजबूर हो जायेंगे तथा उन पर आश्रित परिवारों के सामने भयंकर संकट उपस्थित हो जायेगा।

अत: भारत सरकार से प्रार्थना है कि एन०टी०सी० द्वारा संचालित ब्यावर जिला अजमेर की एडवर्ड और महालक्ष्मी तथा विजयनगर जिला

---

*सभा-पटल पर रखे गए।

अजमेर की विजय कॉटन मिल तथा उदयपुर स्थित कपड़ा मिल को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाये, उन्हें पूरा काम दिया जाये तथा श्रमिकों की बकाया राशि तथा वेतनमान आदि का पूर्ण भुगतान किया जाये।

[अनुवाद]

(छह) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों को वर्ष 1997-98 के लिए बोनस के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों को वर्ष 1997-98 से बोनस नहीं दिया गया है। उन्हें इस दिखावटी आधार पर बोनस से वंचित रखा जा रहा है कि पंजाब राज्य के कर्मचारियों के मामले में ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं। यह बात अब मान ली गई है कि 'पंजाब राज्य के सिर्फ वेतनमान और सेवा शर्तें' ही 1.4.1991 से चंडीगढ़ कर्मचारियों पर लागू हैं और बोनस 'सेवा शर्तों' की सीमा में नहीं आता है। यह मामला अब गृह मंत्रालय के पास सिर्फ इस प्रश्न के आधार पर लंबित है कि देय बोनस का हिसाब किस आधार पर किया जाए। स्पष्टतः, इसका आधार भारत सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस का आधार ही होना चाहिए। चूंकि यह मामला बहुत समय से लंबित है जिससे संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों में चिंता और उत्तेजना पैदा हो गई है मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जाए।

(सात) कर्नाटक में मंगलौर स्थित कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उडुपी) : कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड की स्थापना से ही इरान से लौह अयस्क की एक लंबी अवधि के क्रयादेशों के आधार पर एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई थी। इरान द्वारा लंबी अवधि की खरीद के अनुबन्ध के आश्वासन पर ही यह परियोजना स्थापित की गई थी। इरान में अचानक राजनैतिक परिवर्तन के कारण, इन क्रयादेशों को निरस्त कर दिया गया और के०आई०ओ०सी०एल० को वैकल्पिक निर्यात बाजार खोजने पर बाध्य होना पड़ा। कुछ वर्षों से जापान अपनी लौह अयस्क की जरूरतों के लिए के०आई०ओ०सी०एल० को प्रश्रय दे रहा है।

अब के०आई०ओ०सी०एल० अपने अस्तित्व के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। केन्द्र से के०आई०ओ०सी०एल० के लिए कोई पुनरुद्धार पैकेज नहीं दिया जा रहा है और कंपनी को स्वयं का उद्धार करने के लिए छोड़ दिया गया है। के०आई०ओ०सी०एल० 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराती है।

इसलिए मैं, केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि के०आई०ओ०सी० एल० की खनन लीज के नवीकरण द्वारा इसे संकट से उबारने के लिए आगे आए तथा उसे इसके लिए एक पैकेज प्रदान करें।

[हिन्दी]

(आठ) बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप प्राविधिक शिक्षा व्यवस्था को गहरा आघात लगा है क्योंकि राज्य के तीन अग्रणी प्राविधिक संस्थान झारखंड राज्य में चले गये हैं। राज्य में मानव संसाधन विकास की आवश्यकता तथा चहुंमुखी विकास में मानव संसाधन की अनिवार्यता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि कई अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी भारतीय प्राविधिकी संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी) की एक इकाई खोली जाये। देश के लगभग सभी जनसंख्या बहुल प्रदेशों में भी भारतीय प्राविधिक संस्थान स्थापित हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में प्राविधिक शिक्षा की मांग तथा राज्य के औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए बिहार में एक भारतीय प्राविधिक संस्थान स्थापित कराने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(नौ) पूर्व रेल के फरक्का–अजीमगंज सेक्शन का सुदृढ़ीकरण किए जाने तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में धुलियान निमितिता और जंगीपुर स्टेशनों पर मेल रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री अबुल हसनल खां (जंगीपुर) : पूर्व रेलवे के फरक्का–अजीमगंज सेक्शन पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। रेल लाइनें बहुत पुरानी हो गई हैं जिससे ट्रेन की गति समान्यतः धीमी हो जाती है। हांलाकि धुलियान, औरंगाबाद और जंगीपुर जैसे व्यापारिक केन्द्र होते हुए इन महत्वपूर्ण स्थानों पर मेल ट्रेनों के रुकने का कोई प्रावधान नहीं है। हजारों यात्रियों को रेल-यात्रा सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। स्टेशनों और उस तक पहुंचने वाली सड़कों की हालत खस्ता है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि मुर्शिदाबाद जिले, के जंगीपुर सबडिवीजन के लाखों लोगों के हित में जंगीपुर, निमतिता और धुलियान में मेल ट्रेनों का ठहराव बनाने की व्यवस्था करने और रेलवे स्टेशनों और रेल लाइनों के उन्नयन के कार्य का शीघ्र आरंभ किया जाए।

(दस) सरकारी उद्यमों विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में ऐसे उद्यमों की परिसम्पत्तियों के निपटान से होने वाले पूंजी अभिलाभ के समायोजन की अनुमति देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कई कंपनियों और सहकारी संस्थाओं की

[श्री के० येरननायडू]

स्थापना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कतिपय विकासात्मक गतिविधियों की तरफ ध्यान देने के लिए की थी। इनमें से बड़ी संख्या में कंपनियां/संस्थाएं रुग्ण हो गईं और अक्षम हो गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के राजकोष की बर्बादी रोकने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार शुरू किए हैं।

राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों को अपनी देनदारियों की पूर्ति के लिए अपनी परिसम्पत्ति बेचने की जरूरत पड़ती है। परिसम्पत्तियों को बेचते समय, कुछ परिसम्पत्तियां मुख्यत: भूमि को बेचने से पूंजीगत लाभ हो सकता है। इन परिसम्पत्तियों से मिला पूंजीगत लाभ उनके संचित घाटे से कम होता है।

इन कंपनियों का घाटा और देनदारियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें अपने कर्मचारियों के वी०आर०एस० के कारण भी काफी खर्च करना पड़ रहा है। इन सब तथ्यों को देखते हुए और राज्य सरकार के अन्य उद्यमों तथा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उद्यम में ऐसी ही परिस्थितियों की संभाव्यता के मद्देनजर मैं, सरकार से निवेदन करता हूं कि सार्वजनिक उद्यमों को पुनर्गठित/निजीकरण कर/बंद कर उनकी परिसम्पत्तियों को बेचने से होने वाले पूंजीगत लाभ को समायोजित करने की अनुमति देने के लिए आयकर अधिनियम 1961, में संशोधन करें ताकि ये उपक्रम अपने घाटे को पूरा कर सकें।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पृथ्वीगंज हवाई अड्डे का भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम के रूप में उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में सेना विभाग का एक हवाई अड्डा पृथ्वीगंज में स्थित है। उस हवाई अड्डे को भारतीय खाद्य निगम गेहूं भण्डार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हवाई अड्डा बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। कई करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे को कभी भी आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का भण्डारण से हवाई अड्डे के बगल से जाने वाला आम रास्ता, जो कई गांव के लोग इस्तेमाल करते थे, बंद हो गया है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा रक्षा मंत्री से अनुरोध है कि तत्काल उक्त हवाई अड्डे को भारतीय खाद्य निगम से खाली करा कर उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाये।

(बारह) मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : महोदय, मराठवाडा के आठों जिलों में जब से खरीफ की फसल की बुवाई की गई है पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी है। मराठवाड़ा में भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है। किसानों की सारी मेहनत तथा बुवाई में बीज, खाद आदि पर लगाये गये सारे पैसे बरबाद हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति के जायजे के लिए एक कमेटी भी भेजी थी, परंतु अब तक कोई सहायता मराठवाड़ा के आठों जिले में से किसी भी जिले में प्रदान नहीं की गयी है। स्थिति यहां तक आ गयी है कि अकाल के कारण गरीब लोग यहां से बाहर जाने लगे हैं। न पीने के लिए एक बूंद पानी है और न खाने के लिए अनाज। चारे के अभाव में जानवर मर रहे हैं तथा किसान बरबाद हो रहा है।

अत: इस माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें तथा किसानों को मुआवजा देने के साथ ही साथ यहां भयंकर सूखे की चपेट में आयी गरीब जनता को भोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम से अनाज भी तुरंत मुहैया करवाया जाये।

[अनुवाद]

(तेरह) उड़ीसा के कन्धामल और बौड़ जिलों को के०बी०के० जिला सुधार योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री पद्मनाव बेहरा (फूलबनी) : केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998-99 में उड़ीसा राज्य में के०बी०के० जिला विकास योजना को लागू करने के लिए केन्द्र से विशेष निधि देने की घोषणा की थी। हम इसका स्वागत करते हैं परंतु पड़ोसी जिले, कंधामल और बौड़ को इस योजना से बाहर रखा गया है। राज्य के ये दो जिले अन्य जिलों के मुकाबले आर्थिक रूप से सार्वधिक पिछड़े हैं। इन जिलों की 70 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या अ०ज०/अ०ज०जा० की है। इन जिलों में अभी तक सिंचाई की और बिजली की कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कंधामल और बौड़ इन दो जिलों को जो के०बी०के० योजना के बाहर थे, इसमें शामिल करें ताकि राज्य की गरीब/दलित जनता लाभांवित हो सके।

(चौदह) शहरी सहकारी बैंकों विशेष रूप से महाराष्ट्र में इन बैंकों द्वारा सांविधिक नकद अनुपात धारिता के अनुपात में वृद्धि करने पर रोक लगाने वाले आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने 19.4.2001 के अपने परिपत्र के माध्यम से सरकारी बाण्ड के रूप में सांविधिक नकद अनुपात धारिता और अन्य मान्य प्रतिभूतियों जैसे उसके द्वारा निर्धारित फार्म में निवल मांग और समय देयताओं की प्रतिशतता और जिस ढ़ंग से मार्च 2002 तक उसे प्राप्त किया जाना है, का अनुपात बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अर्द्धवार्षिक ऋण नीति में कुछ बड़ी शर्तें लगाईं हैं जो शहरी/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होती हैं।

शहरी सहकारी बैंकों ने एस०एल०आर० धारिता की बड़ी पूंजी को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में जमा कर दिया है। इन बैंकों द्वारा जमा कराई गई राशि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में जमा राशि का 40 प्रतिशत है। इसे आर०बी०आई० द्वारा सुझाए गये बदलाव को देखते हुए, सहकारिता के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अब आर०बी०आई० में जमा निधि का विकास के कार्य में उपयोग नहीं किया जा सकता।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उपरोक्त परिपत्र को शीघ्र ही वापस लें।

(पन्द्रह) तमिलनाडु के वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले चेन्नई–बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर उपरिपुलों का निर्माण शीघ्र किये जाने की आवश्यकता

श्री एन०टी० षणमुगम (वेल्लौर) : चेन्नई–बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् तमिलनाडु के वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की सुगमता को बनाए रखने के लिए छः उपरिपुल का निर्माण करने की आवश्यकता है। चेन्नई से बंगलौर और कोयम्बटूर जाने वाली रेलवे लाइन इस राष्ट्रीय राजमार्ग के पंचाकुघम, वैनीयमबाडी इत्यादि समेत छः अंतर प्रभागों (इन्टर सेक्शनों) से गुजरती है। प्रतिदिन चेन्नई से कोयम्बटूर और बंगलौर जाने वाली हजारों बसें, कारें और अन्य भारी वाहन रेलवे क्रांसिग के इन अंतर-प्रभागों से गुजरती हैं और उपरिपुल के न होने से, इस राजमार्ग से गुजरने वाले यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा इन छः उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार ने आवश्यक राशि की मंजूरी पहले ही दे दी है।

मैं, केन्द्र सरकार से इस प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध करता हूं ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के यात्रियों को काफी हद तक लाभ मिल सके।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताता हूं कि जिस ढंग से आप के साथ व्यवहार किया गया है वह निंदनीय है। साथ ही पूर्वाह्न में कमीज उतारने और सभा के मध्य जो प्रदर्शन किया गया, वह भी उतना ही निंदनीय है। सभा के इतिहास में कभी भी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया गया।

यही नहीं, आपको नियमानुसार अपने स्थान से ही मामले उठाने होते हैं। इस मामले में अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव की जो भी सूचना दी है, वह माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल मंगलवार, 14 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 14 अगस्त, 2001/23 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रक

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।